दस्तावेज 1

सत्यमेव जयते

मतदान केंद्रों पर मैनुअल

अक्तूबर, 2020

संस्करण - 2

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"कोई मतदाता न छूटे "

दस्तावेज 1

मतदान केंद्रों पर मैनुअल

अक्तूबर, 2020

संस्करण - 2

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"कोई मतदाता न छूटे "

सुनील अरोड़ा
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

चित्र

<u>संदेश</u>

'मतदान केंद्र' वह स्थान है जहां अभ्यर्थियों द्वारा अनेक दिनों तक प्रचार अभियान चलाने के बाद मतदान के दिन निर्वाचन प्रक्रिया की परिणति होती है। मतदान केंद्र पर मतदान प्रबंधन की प्रभावी योजना किसी निर्वाचन के सफल निष्पादन का सार है। निर्वाचन आयोग इस बात को समझता है और इसलिए मतदान केंद्र के विषय को अत्यधिक महत्व देता है। निर्वाचन आयोग मतदान केंद्र प्रबंधन के कार्य को निर्वाचनों के संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों के आधार पर पूरा करता है। इनमें से अनेक प्रावधान, समय के साथ-साथ, संशोधित और प्रवर्धित हुए हैं। निर्वाचन प्रणाली की इमारत के मुख्य आधार के रूप में मतदान केंद्र के क्रमिक विकास के मद्देनजर, मतदान केंद्रों पर सभी मौजूदा अनुदेशों का एक सार-संग्रह तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। यह आवश्यकता तब पूर्ण हुई जब जनवरी, 2016 में 'मतदान केंद्रों पर मैनुअल' का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। इस मैनुअल को सभी निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सराहा गया। वस्तुत:, यह निर्वाचन आयोग में विभिन्न विषयों पर मानक दस्तावेज जारी करने की श्रृंखला में पहला दस्तावेज था। अब, 'मतदान केंद्रों पर मैनुअल' के दूसरे संस्करण को प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें इस दरम्यान सामने आए सभी नवीनतम अपडेट को शामिल किया गया है।

मुझे ऐसे समय पर जब हम देश में 01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का अगला विशेष सार पुनरीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मतदान केंद्रों पर मैनुअल के इस दूसरे संस्करण को साझा करते हुए खुशी हो रही है।

आशा है कि यह मैनुअल अत्यधिक उपयोगी होगा और यह पुनरीक्षण की वास्तविक कवायद शुरू होने से पहले मतदान केंद्रों का यौक्तिकीकरण/पुनर्गठन करने में जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए सहायक होगा। इस पुस्तक के अंत में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की सूची संलग्न की गई है।

मैं इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के लिए श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव और निर्वाचक नामावली डिवीजन की उनकी टीम को बधाई देता हूं।

ह./-
(सुनील अरोड़ा)

सुशील चंद्रा
भारत के निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

चित्र

<u>संदेश</u>

भारतीय निर्वाचन दुनिया भर में सबसे बड़ी निर्वाचन कवायद के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सबसे अधिक संख्या में मतदाता एकत्र होते हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में स्थित 'मतदान केंद्रों' में अपना मत डालते हैं। मतदान केंद्र प्रबंधन निर्वाचन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से कुशल क्षेत्र-स्तरीय योजना और नागरिकों और राजनैतिक दलों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है।

मतदान केंद्रों पर यह मैनुअल सभी स्टेकहोल्डरों को मतदात केंद्र प्रबंधन के सभी संगत पहलुओं को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

पिछले कई वर्षों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी सभी प्रावधानों और अनुदेशों के मानकीकृत प्रलेखीकरण की दिशा में उद्देश्यपूर्ण प्रगति की है।

मैं श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त तथा श्री नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव, जिन्होंने मतदान केंद्रों पर मैनुअल के दूसरे संस्करण के पुनरीक्षण और अद्यतनीकरण के प्रति पूरी तन्मयता से कार्य किया है, के प्रभार में निर्वाचक नामावली डिवीजन के प्रयासों की सराहना करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि निर्वाचन अधिकारी और राजनैतिक दल इस दस्तावेज से लाभान्वित होंगे।

ह./-
(सुशील चंद्रा)

राजीव कुमार
भारत के निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

चित्र

<u>संदेश</u>

मुझे यह जानकार प्रसन्नता हो रही है कि निर्वाचन आयोग 'मतदान केंद्रों पर मैनुअल' के दूसरे संस्करण को पेश कर रहा है। इस दस्तावेज में मतदान केंद्रों में और उनके आस-पास घटित होने वाले विभिन्न पहलुओं और कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने समावेशी और बढ़ी हुई मतदाता सहभागिता के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया है। लगातार किए जा रहे उपाय, कार्यनीतियां और पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के अंतिम लक्ष्य का अनुसरण करने के निर्वाचन आयोग के दृढ़ संकल्पित प्रयासों की झलक प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों पर ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो मतदाताओं को बेहतर अनुभव दे और सभी मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को आसान बनाए।

मैं श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव तथा श्री अजय कुमार, सचिव की अगुवाई वाली पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं इस बात के प्रति आश्वस्त हूं कि यह मैनुअल लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा और मतदान केंद्र सही मायनों में लोकतंत्र के उत्सवपूर्ण माहौल को प्रतिबिंबित करेंगे।

ह./-
(राजीव कुमार)

सुदीप जैन, भा.प्र.से.
उप निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

चित्र

<u>संदेश</u>

अपनी स्थापना के समय से, निर्वाचन आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम करने के लिए अनगिनत पहल की है। सौंपे गए संवैधानिक अधिदेश के भीतर निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने के व्यापक उपाय किए हैं। मतदान केंद्र इस संरचना की आधारभूत इकाई है।

'मतदान केंद्रों पर मैनुअल' में मतदान केंद्र प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इससे पूर्व में, वर्ष 2016 में इस मैनुअल का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। अब, सभी नवीनतम और अद्यतनीकृत अनुदेशों के साथ दूसरा संस्करण सभी निर्वाचन प्राधिकारियों, राजनैतिक दलों और अन्य स्टेकहोल्डरों की सुविधा एवं सहयोग हेतु पेश किया गया है।

मैं इस दस्तावेज को संकलित करने का कार्य संपन्न करने के लिए निर्वाचक नामावली डिवीजन के प्रभारी, श्री नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव के प्रयासों की सराहना करता हूं। मुझे आशा है कि यह मैनुअल सभी निर्वाचन अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।

ह./-
(सुदीप जैन)

नरेन्द्र ना. बुटोलिया
वरिष्ठ प्रधान सचिव

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग

चित्र

<u>प्राक्कथन</u>

मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि निर्वाचन आयोग ने 'मतदान केंद्रों पर मैनुअल' के दूसरे संस्करण को समेकित और अद्यतन करने के लिए हमारे उपर भरोसा रखा है।

यह विषय निर्वाचन प्राधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन संरचना की पूरी इमारत मतदान केंद्र पर निर्भर करती है। यह वह स्थान है जहां अभीष्ट मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत डालते हैं।

इस मैनुअल को वर्ष 2016 के पहले संस्करण के प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी नए अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए नवीनीकृत और संशोधित किया गया है। 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमि', 'राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र', 'राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र' 'कोविड-19 के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदान दिन की व्यवस्थाएं' विषयों पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। इसके अलावा, मैनुअल के अंत में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) की सूची, उनके उत्तरों के साथ भी जोड़ी गई है। पाठकों की सुविधा के लिए अध्यायों में अनुदेशों के महत्वपूर्ण अंशों को रंगीन रूप में चिह्नित किया गया है और उप-शीर्षों को हाशिए में बाक्सों में सूचीबद्ध किया गया है।

मुझे आशा है कि यह मैनुअल सभी स्टेकहोल्डरों, निर्वाचन अधिकारियों और अन्य आमजन जो इस विषय में रूचि रखते हैं, के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका के रूप में अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगी।

मैं निर्वाचक नामावली डिवीजन की पूरी टीम विशेषकर श्री अजय कुमार, सचिव, श्री रितेश सिंह, अवर सचिव, श्री प्रशांत पांडेय, अनुभाग अधिकारी और अपने निजी सहायक, श्री शुभम दुहान जिन्होने इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए साथ-साथ काम किया, द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग में निर्वाचन योजना, ईवीएम डिवीजन और द्विवार्षिक निर्वाचन डिवीजन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों पर अद्यतनीकृत सूचना उपलब्ध कराई।

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

विषय-सूची

		पृष्ठ
शब्दावली		
अध्याय 1: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि		
अध्याय 2: मतदान केंद्र स्थापित करने के मानक		
2.1	विधिक उपबंध	
2.2	मतदान केन्द्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी	
2.3	निर्वाचक नामावली के भाग और मतदान केन्द्र	
2.4	सु-परिभाषित मतदान क्षेत्रों का सीमांकन	
2.5	मतदान क्षेत्रों का स्थान (लोकेशन)	
2.6	मतदान केन्द्र के लिए निर्दिष्ट निर्वाचकों की संख्या	
2.7	मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए अधिकतम दूरी	
2.8	मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम पैरामीटर	
2.9	मतदान केन्द्र के लिए मानचित्र	
अध्याय 3	**मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी**	
3.1	नए मतदान केन्द्र की स्थापना	
3.2	मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार करना	
3.3	मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन	
3.4	राजनैतिक दलों के साथ परामर्श	
3.5	मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची के लिए निर्वाचन आयोग का अनुमोदन	
3.6	मतदान केन्द्र की सूची का अंतिम प्रकाशन	
3.7	राजनैतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्रों की सूची प्रदान करना	
अध्याय 4	**विद्यमान मतदान केन्द्रों की सूची में यौक्तिकीकरण/परिवर्तन**	
4.1	मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण क्या है ?	
4.2	सहायक मतदान केन्द्र	
4.3	मतदात केन्द्रों के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया	
4.4	निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केन्द्र के स्थान में परिवर्तन	
4.5	किसी मतदान केन्द्र के भवन के नाम में परिवर्तन	
4.6	भावी साधारण/उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी	
अध्याय 5	**मतदान केन्द्र का अभिविन्यास व अन्य व्यवस्थाएं**	
5.1	मतदान केन्द्र का अभिविन्यास	
5.2	मतदान कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था	
5.3	मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था	
5.4	ईवीएम और वीवीपीएटी	
5.5	मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट)	
अध्याय 6	**संवेदनशील मैपिंग और संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित करना**	
6.1	कमजोर वर्गों के क्षेत्रों की संवदेनशील मैपिंग	
6.2	निर्वाचनों के दौरान संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित किया जाना	

अध्याय 7	**विशेष श्रेणियों के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था**	
7.2	संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र	
7.3	कुष्ठ रोग से ग्रसित मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र	
7.4	पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पृथक मतदान केन्द्र	
7.5	सचल मतदान केन्द्र	
7.6	अस्थायी मतदान केन्द्र	
7.7	'आदर्श मतदान केंद्र' की अवधारणा	
अध्याय 8	**मतदान केन्द्र में दिव्यांगों/महिलाओं/अशक्त/वृद्ध निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं**	
8.1	दिव्यांग निर्वाचकों के लिए सुविधाएं	
8.2	दृष्टिहीन या अशक्त मतदाताओं के मतों को दर्ज करने की व्यवस्था	
8.3	सखी/गुलाबी मतदान केंद्र (केवल महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र)	
8.4	मतदान केंद्रों पर 'पर्दानशीं' महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था	
8.5	मतदान केंद्रों पर वृद्ध/अशक्त व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम	
अध्याय 9	**मतदान दिवस को मतदान केंद्रों पर स्टाफ की तैनाती**	
9.1	लोक सभा/विधान सभा के एकल निर्वाचन में मतदान कार्मिक	
9.2	समकालिक निर्वाचनों में मतदान कार्मिक	
9.3	पीठासीन अधिकारी	
9.4	क्षेत्र अधिकारी	
9.5	प्रेक्षक	
9.6	संबद्ध अधिकारी	
9.7	मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा कार्मिक	
9.8	पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कार्मिक के बीच समन्वय	
9.9	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और राज्य पुलिस की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	
अध्याय 10	**मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन इंतजाम**	
10.1	मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी/मतदान पदाधिकारियों के लिए साधारण अनुदेश	
10.2	मतदान केन्द्र के भीतर इंतजाम	
10.3	मतदान केन्द्रों के भीतर 'निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर लोक सेवकों' के प्रवेश को शासित करने संबंधी दिशानिर्देश	
10.4	मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द इंतजाम	
10.5	मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित दिशानिर्देश	
10.6	मतदान केन्द्र पर सुरक्षा इंतजाम	
10.7	मतदान केन्द्र पर अन्य इंतजाम	
अध्याय 11	**मतदान केन्द्र स्तर पर संचार योजना का प्रचालन**	
11.1	संचार योजना	
11.2	वेबकास्टिंग	
11.3	मतदान के दिन मतदान केन्द्र का अनुवीक्षण	
अध्याय 12	**राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र**	
12.1	परिचय	

12.2	मतदान का स्थान /मतदान केंद्र	
12.3	मतदान केंद्र का ले-आउट	
12.4	मतदान अधिकारियों की तैनाती	
12.5	मतदान एजेंट	
12.6	मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अनुमत्य व्यक्ति	
12.7	मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं के प्रवेश के विनियम	
12.8	प्रेस के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं	
12.9	निर्वाचकों को सूचना	
12.10	मतदान केंद्र के बाहर नोटिस लगाना	
12.11	मतदान केंद्रों में कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी	
अध्याय 13	**राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र**	
13.1	परिचय	
13.2	विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान /मतदान केंद्र	
13.3	परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र	
13.4	स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की सूची	
अध्याय 14	**कोविड-19 के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन इंतजाम**	
14.1	मतदान केंद्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या	
14.2	मतदान के दिन इंतजाम	
14.3	मतदान अधिकारियों के लिए किट	
अनुलग्नक		
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		

प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली

(1) **एएसडी मतदाता-** अनुपस्थित, अन्यत्र चले गए एवं डुप्लीकेट मतदाताओं, जिनके नाम निर्वाचक नामावलियों में बने हुए हैं, के बदले मतदान को रोकने के लिए, ऐसे मतदाताओं की सूची (एएसडी सूची) मतदान केन्द्र-वार तैयार की जाती है और संबंधित पीठासीन अधिकारी को प्रदान की जाती है ताकि मतदान दिवस को उनकी समुचित पहचान की जा सके। एएसडी सूची में शामिल मतदाता को अपना मत डालने के समय निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किसी वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(2) **सहायक मतदान केन्द्र-** जहां किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या विहित सीमा से अधिक हो जाती है, वहां विद्यमान मतदान केन्द्र को दो भागों/तीन भागों में बांटकर सहायक मतदान केंद्र (द्रों) की व्यवस्था की जाती है। साधारणतया, ऐसा सहायक मतदान केंद्र उसी मतदान केंद्र के लोकेशन, जिसमें मुख्य (मूल) मतदान केन्द्र पहले से स्थित है, में स्थित होता है। सहायक मतदान केन्द्र(द्रों) को मुख्य मतदान केन्द्र की क्रम संख्या के बाद अक्षर/अंक यथा '100', '100ए/1', 100ए/2' आदि जोड़कर निर्दिष्ट किया जाता है।

(3) **बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए)-** निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण/तैयारी में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, नामावली पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी की सहायता करने के लिए बूथ लेवल अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्वाचन के दौरान मतदान अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की तर्ज पर एक उपबंध किया गया है। सामान्यतया, निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिए एक बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है, हालांकि, निर्वाचक नामावली के एक से अधिक भागों के लिए भी एक ही बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते निर्वाचक नामावली के संगत भाग एक ही मतदान केन्द्र लोकेशन के भीतर स्थित हों। बूथ लेवल अभिकर्ता को निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, में एक रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना चाहिए क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि बूथ लेवल अभिकर्ता उस क्षेत्र, जहां वह रहता/रहती है, की प्रारूप नामावली में मृत/अन्यत्र चले गए व्यक्तियों की प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए प्रविष्टियों की जांच करेगा/करेगी। सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा का कोई व्यक्ति बूथ लेवल अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। बूथ लेवल अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी जब तक ऐसे बूथ लेवल अभिकर्ता के नामनिर्देशन/प्राधिकार को उक्त राजनैतिक दल द्वारा स्पष्ट रूप से वापस नहीं ले लिया जाता है या ऐसा बूथ लेवल अभिकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र, जहां उसे बूथ लेवल अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, का रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक नहीं रह गया हो। किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर, बूथ लेवल अभिकर्ता बूथ लेवल अधिकारी/नामोद्दिष्ट अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की मुद्रित प्रति प्राप्त करने के लिए हकदार है। निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अभिकर्ताओं को एक दिन में बूथ लेवल अधिकारी को 10 से अनधिक प्ररूप प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। यदि बूथ लेवल अभिकर्ता संपूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 30 से अधिक प्ररूप प्रस्तुत करता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सभी प्ररूपों का प्रति-सत्यापन करेगा। बूथ लेवल अभिकर्ता प्ररूपों की सूची तथा विहित फॉर्मेट में घोषणा के साथ प्ररूप प्रस्तुत करेगा।

(4) **बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) -** बूथ लेवल अधिकारी स्थानीय निर्वाचकों से परिचित स्थानीय सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी होता है और साधारणतया उसी मतदान क्षेत्र में मतदाता होता है जो अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके नामावली को अद्यतन करने में सहायता करता है। वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन क्षेत्र के सत्यापन, निर्वाचकों के संबंध में सूचना/आंकड़ों के संग्रहण तथा संबंधित मतदान क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक नामावली के भाग की नामावली

की तैयारी के लिए जिम्मेदार होता है। निर्वाचन के दौरान बूथ लेवल अधिकारी अपने मूल हस्ताक्षर के अधीन अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र के निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्ची जारी करेगा और उसे रजिस्ट्रीकृत मतदाता या मतदाता के परिवार के किसी वयस्क सदस्य, जो स्वयं मतदाता है, को वितरित करेगा। मतदान दिवस को बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदान केन्द्र के बाहर मुख्य फैसिलिटेशन डेस्क पर तैनात रहेगा जहां वर्णक्रमानुसार मतदाता सूची सहित अवितरित फोटो मतदान पर्चियां वितरण के लिए रखी जाएंगी। बूथ लेवल अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होता है बल्कि यह एक ऐसी ड्यूटी है जिसे वह अपनी आधिकारिक ड्यूटी के अलावा निष्पादित करता है।

(5) **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ)** - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अध्यधीन संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचनों के संचालन से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत है।

(6) **संचार योजना**- 'संचार योजना' प्रभावी निर्वाचन प्रबंधन, त्वरित संकट निवारण तथा मतदान दिवस को मतदान केन्द्र स्तर से निर्वाचन क्षेत्र स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक सूचना के सुचारू प्रवाह हेतु तैयार की जाती है। संचार योजना के अधीन, क्षेत्र स्तरीय अधिकारी यथा, पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी/सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट आदि रिटर्निंग ऑफिसरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ दूरभाष, मोबाइल फोन, एस एम एस या पूर्व-निश्चित संपर्क केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्र में उपलब्ध संचार के अन्य साधनों से संवाद करते हैं।

(7) **संवेदनशील मतदान केन्द्र** - संवेदनशील (क्रिटीकल) - मतदान केन्द्र वह मतदान केन्द्र है जिसको हिंसा की घटनाओं के विगत के इतिहास, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने, पूर्व के निर्वाचनों में किसी विशेष अभ्यर्थी आदि के पक्ष में अपसामान्य उच्च मतदान के आधार पर निर्वाचन के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह चिह्नित किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी मतदान केन्द्र, जहां विगत साधारण निर्वाचन के दौरान डाले गए मतों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक हो और 75 प्रतिशत से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए हैं, को संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(8) **जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)** - निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन के प्रमुख, जिसे कलक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, को संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन, जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में संसद और राज्य विधान सभा के सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रों के मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने तथा मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है।

(9) **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)** - निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट/नामनिर्देशित करता है।

(10) **निर्वाचक नामावली-** साधारणतया 'मतदाता सूची' के रूप में जाना जाने वाला निर्वाचक नामावली किसी निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची है। समुचित प्रबंधन के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को कई भागों में बांटा जाता है जिसमें संगत मतदान क्षेत्रों के निर्वाचकों का ब्यौरा होता है।

(11) **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)-** ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसमें मतदाता मतदान केन्द्र में अपना मत दर्ज करता है। किसी ईवीएम में दो यूनिटें होती हैं-कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट जो पांच मीटर के केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है और बैलट यूनिट मतदान कम्पार्टमेंट के अंदर रखी होती है। मत पत्र जारी करने के बजाय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी

मतदान अधिकारी बैलट बटन को दबाएगा। इससे मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने बैलट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपना मत डालने में सक्षम होगा।

(12) **नजरी नक्शा-** नजरी नक्शा बूथ लेवल अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मतदान क्षेत्र का एक साधारण स्केच मानचित्र है जिसमें मतदान क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का सीमांकन किया जाता है तथा बसावटों (निवास क्षेत्र), गलियों, सड़कों, तालाबों/नदियों, महत्वपूर्ण भवनों यथा मतदान केन्द्रों, डाक घर, पुलिस थाना, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि को चित्रित किया जाता है। मतदान क्षेत्र में नई विकसित कॉलोनियों के संबंध में अतिव्यापन (ओवर लैपिंग) से बचने के लिए नजरी नक्शा तैयार किया जाता है।

(13) **फोटो मतदाता पर्चियां-** मतदान दिवस को मतदाताओं की सुविधा के लिए पूर्व मुद्रित अधिकारिक मतदाता पर्चियां, जिसमें मतदाता का फोटोग्राफ तथा फोटो नामावली में उपलब्ध ब्यौरे अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, भाग संख्या, नाम, लिंग, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, क्रम सं., मतदान केन्द्र संख्या और नाम तथा तारीख, मतदान का दिवस और समय होता है, को जिला प्रशासन द्वारा नामांकित सभी मतदाताओं को वितरित किया जाता है। फोटो मतदाता पर्चियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किया जाता है तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार की गई वितरण समय-सारणी के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को वितरण हेतु मतदान केन्द्र के बाहर फैसिलिटेशन डेस्क पर रखा जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची की फोटो प्रति को वितरण के प्रयोजन हेतु अनुमति नहीं है। फोटो मतदाता पर्ची के अनधिकृत वितरण/कब्जे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।

(14) **मतदान अभिकर्ता-** कानून में अभ्यर्थियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अपने हित पर नजर रखने और उन मतदान केंद्रों में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने में मतदान कार्मिक की सहायता करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त करे, इन्हें 'मतदान अभिकर्ता' कहा जाता है। मतदान अभिकर्ता को उसी मतदान केन्द्र क्षेत्र या पड़ोसी मतदान केन्द्र क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिए।

(15) **मतदान क्षेत्र-** मतदान क्षेत्र एक सुपरिभाषित और पहचाने जाने योग्य क्षेत्र है जिसे कतिपय प्रत्यक्ष सीमाचिह्नों अर्थात् गली, सड़क, नदी, पहाड़ी आदि से सीमांकित किया जाता है। उस विशेष मतदान क्षेत्र में रह रहे सभी निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली के पृथक भाग में नामांकित किया जाता है तथा वे उस मतदान क्षेत्र के लिए बनाए गए मतदान केन्द्र में मत डालते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कई मतदान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

(16) **मतदान दल/मतदान कार्मिक-** मतदान के दौरान मतदान केन्द्र पर निर्वाचन आयोग द्वारा उदघोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार उस विशेष मतदान केन्द्र पर मतदान के संचालन हेतु 4-5 सरकारी कर्मचारियों का एक दल तैनात होता है। प्रत्येक मतदान दल का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मचारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। कर्मचारियों को उस अवधि, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा तथा वे उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन रहेंगे।

(17) **मतदान केन्द्र-** मतदान केन्द्र मतदान आयोजित करने के लिए एक कमरा/हॉल होता है जहां संबंधित मतदान क्षेत्र के निर्वाचक मतदान दिवस को अपने मत डालते हैं। इसे 'मतदान बूथ' भी कहा जाता है।

(18) **मतदान केन्द्र का स्थान/मतदान केन्द्र-** मतदान केन्द्र का स्थान/मतदान केन्द्र एक ऐसा भवन/परिसर है जिसमें एक या एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित होते हैं।

(19) **पीठासीन अधिकारी-** पीठासीन अधिकारी एक सरकारी सेवक होता है जो मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त मतदान कार्मिक का प्रमुख होता है। वह उस विशेष मतदान केन्द्र पर मतदान के संचालन के लिए सांविधिक रूप से जिम्मेदार होता है।

(20) **रिटर्निंग आफिसर (आरओ) -** निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य विधान सभा या संसद के निर्वाचन के लिए संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी को नामोद्दिष्ट/नामनिर्देशित करता है।

(21) **सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट-** वह राज्य सरकार का अधिकारी होता है जो मतदान दिवस को मतदान दलों और रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मतदान संबंधी किसी संकट में पीठासीन अधिकारी के साथ समन्वय करता है तथा निर्वाचन और विधि एवं व्यवस्था संबंधी अन्य स्थिति के बारे में रिटर्निंग आफिसर को त्वरित रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। सेक्टर अधिकारी यादृच्छिक रूप से यह जांच करता है कि फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण आयोग के अनुदेशों के अनुसार किया जा रहा है। वह फोटो मतदाता पर्ची रजिस्टर से यह भी सत्यापित करता है कि सभी पर्चियां वितरित कर दी गई हैं और यह कि पावती के रूप में संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ले लिया गया है। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट के पास उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन भौगोलिक क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन होता है जिसमें सामान्यतया 10-12 मतदान केन्द्र क्षेत्र होते हैं।

(22) **मतदान कम्पार्टमेंट-** मतदाता को मतदान केन्द्र में अपना मत डालते समय गोपनीयता बरतनी है तथा इस प्रयोजनार्थ ईवीएम की बैलट यूनिट मतदान कम्पार्टमेंट में रखी जानी अपेक्षित होती है। मतदान कम्पार्टमेंट के तीन किनारे ढके हुए होते हैं। बैलट यूनिट को मतदान कम्पार्टमेंट के अंदर मेज पर रखा जाना होता है। बैलट यूनिट को इस प्रकार रखा जाना होता है कि मतदाता को अपना मत दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो तथा इस प्रक्रिया में गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

(23) **अतिसंवेदनशीलता मानचित्रण (मैपिंग)-** अतिसंवेदनशीलता मानचित्रण अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, जो किसी धमकी, अनुचित प्रभाव, डराए जाने या उनके निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा डाले जाने के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, के निर्वाचक मंडल के गांवों/वास-स्थानों/खंडों को चिह्नित करने का एक कार्य है। निर्वाचन आयोग ने अतिसंवेदनशील वर्गों के मतदाताओं को डराए जाने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशनिर्देश निर्धारित किए हैं।

(24) **वीवीपैट** -वीवीपैट (मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल) किसी निर्वाचन में मत के पेपर ट्रेल का मुद्रण करने के लिए ईवीएम से जुड़ा हुआ ड्राप बॉक्स युक्त प्रिंटर होता है। यह एक प्रणाली है जो मतदाता को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उसका मत सही जगह पड़ा है। प्रिंटर में मुद्रित पर्ची में उस अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक होता है जिसको मत दिया गया है।

अध्याय-1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. मतदान केंद्र की योजना किसी निर्वाचन प्रणाली के मूल में स्थित है। एक लोकप्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन एक निरंतर सहभागी क्रिया है जिसमें निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत नागरिक निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के दिए गए सेट में से अपनी पसंद व्यक्त करने का हकदार होता है। मतदान केंद्र वह स्थान है जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा कई दिनों के अतिव्यस्त प्रचार अभियान के पूरा होने पर संबंधित मतदान क्षेत्र के मतदाता मतदान के दिन अपना मत डालते हैं।
2. भारत में सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार के आधार पर 1951-52 के दौरान पहले साधारण निर्वाचन आयोजित किए गए थे जब 17 करोड़ से अधिक निर्वाचकों ने निर्वाचन में भाग लिया था। उसके राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के लिए साथ-साथ होने वाले निर्वाचन होने के नाते पूरे देश में कुल मिलाकर 1,32,560 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। औसतन हर 884 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी।
3. उन दिनों 'मतदान केंद्र' शब्द का प्रयोग मतदान के स्थान के रूप में नियत भवन/परिसर को इंगित करने के लिए किया जाता था। हांलाकि, ऐसे भवनों में विभिन्न कमरे/हॉल, जहां विभिन्न मतदान क्षेत्रों के निर्वाचक अपना मत डालते थे, को 'मतदान बूथ' के रूप में संदर्भित किया जाता था।
4. मौजूदा विधिक संरचना के अंतर्गत, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी था।
5. निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का चयन करने में रिटर्निंग अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं:
   - (i) किसी मतदान बूथ के लिए सामान्यतया 1000 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।
   - (ii) किसी मतदान केंद्र को भौगोलिक रूप से सुपरिभाषित क्षेत्र को कवर करना चाहिए।
   - (iii) जहां अति आवश्यक हो, महिला मतदाताओं के लिए पृथक मतदान केंद्र उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
   - (iv) सामान्यतया किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 03 मील से अधिक यात्रा नहीं करनी चाहिए।
   - (v) मतदान केंद्र को किसी धार्मिक पूजास्थल में नहीं होना चाहिए।
6. उपर्युक्त पैरामीटरों के अनुसार मतदान केंद्रों को तैयार करना देश में जनशक्ति, उपयुक्त भवनों और परिवहन के साधनों की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में एक कठिन चुनौती थी। निर्वाचन आयोग द्वारा एकल बूथ मतदान केन्द्रों को तरजीह दिए जाने के बावजूद केवल 94431 मतदान केंद्रों में एक-एक बूथ बन पाए थे। अन्य सभी मामलों में एक मतदान केंद्र में एक से अधिक पोलिंग बूथ बनाए जाने को अनुमोदन दिया जाना था। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण सामने आया जहां एक मतदान केंद्र में पोलिंग बूथों की संख्या 19 तक थी। अनेक पोलिंग बूथ वाले मतदान केंद्रों में एक ही पीठासीन अधिकारी को सभी बूथों के प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था।
7. पुरूष तथा महिला मतदाताओं के लिए समान पोलिंग बूथों में अलग अलग कतारें बनाई गईं और उनको वैकल्पिक बैचों में मतदान करने की अनुमति दी गई। ऐसे मतदान केंद्रों में कम से कम एक महिला मतदान अधिकारी को महिला मतदाताओं और पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। तथापि, जहां भी यह महसूस किया गया वहां महिला मतदाताओं के लिए अनन्य रूप में महिला मतदान अधिकारियों वाले अलग बूथ स्थापित किए गए। पूरे देश में महिला मतदाताओं के लिए कुल 27,527 बूथ स्थापित किए गए थे।

8. सामान्यतया, मतदान केंद्र स्थलों के लिए सरकारी भवनों को वरीयता दी गई थी, तथापि, पर्याप्त मात्रा में सरकारी भवन उपलब्ध न होने पर 23,222 निजी भवनों में मतदान केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार, पक्के भवनों की कमी के कारण क्षेत्र में उपलब्ध सस्ती सामग्री का उपयोग करके कुछ स्थानों पर अस्थायी संरचना तैयार करने का कार्य किया गया। इस प्रयोजनार्थ पूरे देश में कुल ऐसी 16,088 अस्थायी संरचनाएं तैयार की गईं। कुछ कठिन मामलों में जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, गोपनीय मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) के रूप में कार्य करने के लिए छोटी झोपड़ी या टेंट के साथ खुले स्थान पर भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए।

9. निर्वाचन आयोग ने मतदान बूथ का एक कच्चे नक्शे का सुझाव दिया। योजना के अनुसार, पहचान पर्ची जारी करने वाला प्रभारी मतदान अधिकारी मतदान बूथ के दरवाजे के बाहर बैठेगा। राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदान कर्मियों के दो अलग-अलग दल तैनात किए गए। पीठासीन अधिकारी की सीट कमरे के केंद्र में थी जबकि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिए बैलेट बॉक्स को कमरे के दोनों कोनों मे बने मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) में रखा गया था। मतदान कंपार्टमेंट मतदान बूथ में बड़ी जगह घेरते थे। ऐसा अशिक्षित मतदाताओं को अपनी पसंद के अभ्यर्थी की पहचान करने तथा उसके पक्ष में मतदान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग बैलेट बॉक्स दिए गए थे तथा उन पर अंदर एवं बाहर से विशिष्ट प्रतीक चिपके हुए थे। मतदाता को केवल उस अभ्यर्थी, जिसको वह मत देना चाहता है, के बैलेट बॉक्स में बिना कोई मार्क लगाए बैलेट पेपर डालना होता था। मतदाता पहले प्रवेश द्वार के बाहर बैठे मतदान अधिकारी से पहचान पर्ची प्राप्त करता था तथा संबंधित मतदान दल से विधान सभा निर्वाचन के लिए बैलेट पेपर प्राप्त करता था तथा विधान सभा के लिए बने मतदान कंपार्टमेंट में अपनी पसंद के अभ्यर्थी को आवंटित बॉक्स में बैलेट पेपर डालता था। तब वह लोक सभा निर्वाचन के लिए अपना बैलेट पेपर प्राप्त करने के आगे आता था और लोक सभा के लिए नियत मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) में अपनी पसंद के अभ्यर्थी के बैलेट बॉक्स में उक्त बैलेट पेपर को डाल देता था।

10. मतदान केंद्रों की सूची काफी पहले प्रकाशित की जाती थी ताकि मतदाता बिना किसी कठिनाई के यह जान सके कि उनको किस मतदान केंद्र में मत डालना है।

11. मतदान अधिकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के सरकारी अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों से लिए जाते थे फिर भी निर्वाचन आयोग को पर्याप्त संख्या में मतदानकर्मी प्राप्त करने में कठिनाई होती थी और निर्वाचन कार्यक्रम को अनेक दिन में आयोजित करना पड़ता था। हांलाकि 126 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 1846 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान एक ही दिन में आयोजित किया गया था लेकिन शेष निर्वाचन क्षेत्रों में यह अनेक दिनों तक चलता रहा था। सबसे अधिक लम्बा समय पंजाब के होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र में लगा था जहां मतदान पूर्ण होने में कुल 25 दिन लगे थे। उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान अलग-अलग समय पर किए गए थे, वहां कार्यक्रम कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि एक ही मतदान दल कई मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोजित करवा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान दल मतदान केंद्र पर पहुंच सके और समय पर मतदान केंद्र पर मतदान की तैयारी कर सके, मतदान के लिए नियत दो तिथियों के भीतर एक या अधिक दिनों का अंतर रखा जाता था।

12. 1957 में आयोजित दूसरे साधारण निर्वाचन के पहले निर्वाचन आयोग ने परिसीमन कार्य संचालित किया और नए परिसीमन वाले निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार 2,20,478 मतदान केंद्रों का सृजन किया। मतदान अवधि को कम करने की वांछनीयता और मतदान कर्मियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने प्रति मतदान केंद्र 1200 निर्वाचक की ऊपरी सीमा नियत की थी। निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ मतदान केंद्रों की प्रस्तावित सूची को अंतिम रूप देते समय रिटर्निंग अधिकारी को राजनैतिक दलों और निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों से परामर्श करना होता था। अंतिम अनुमोदन के बाद

पुन: मतदान केंद्रों की सूची राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ निशुल्क साझा की जाती थी।

13. आगामी साधारण निर्वाचन में निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के सृजन के लिए मूल पैरामीटरों का दायरा बढ़ाया जिसमें रिटर्निंग अधिकारियों से अपेक्षित था कि वे प्राकृतिक बाधाओं जैसे कि पहाड़, वन, नदी आदि की मौजूदगी पर विचार करें और सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों को वरीयता दें।

14. 1966 में 1950 और 1951 अधिनियम में अनेक संशोधनों के माध्यम से, जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिले में निर्वाचन व्यवस्थाओं के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे, को सांविधिक मान्यता दी गई। तदनुसार, 1951 के अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से मतदान केंद्र प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

15. 1967 के साधारण निर्वाचन के लिए, मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने से जुड़े कार्य 1966 की शुरूआत में ही शुरू हो गए थे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के सृजन और प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए। यह देखा गया कि निर्वाचकों को प्रभावित करने की दृष्टि से अपने पक्ष में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनैतिक दलों ने उनको मतदान केंद्र तक निशुल्क परिवहन मुहैया करवाया था। निर्वाचन आयोग से नि:शुल्क परिवहन के भ्रष्ट आचरण को रोकने की प्रार्थना की गई थी। इसने मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की तथा मतदाताओं के आवास और मतदान केंद्रों के बीच की दूरी को 3 मील से कम करके 2 किमी. कर दी थी। इसके अलावा, प्रतिरूपण रोकने और बुरका/परदे का प्रयोग करके होने वाले बोगस मतदान को रोकने के लिए, ऐसे मतदान केंद्र, जहां बड़ी संख्या में परदानशीन निर्वाचक आवंटित थे, वहां निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को महिला पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि कमजोर वर्गों के लिए मतदान केंद्र उनके इलाके में उपलब्ध करवाएं जाए ताकि वे बिना किसी भय के मतदान करने में समर्थ हो सकें।

16. इसके बाद के वर्षों में, कई राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल था। इसके परिणामस्वरूप, देश में समकालिक निर्वाचनों का चक्र बाधित हुआ और निर्वाचन आयोग को कम समय के अंतराल पर मध्य अवधि चुनाव कराने पड़े।

17. लोकसभा साधारण निर्वाचन 1980 के बाद निर्वाचन आयोग ने एक प्रमुख निर्णय लिया जब निर्वाचक नामावली के सबसे छोटे यूनिट 'पार्ट' को मतदान केंद्र के तदनुरूपी बना दिया। इससे पहले नामावली के विभिन्न भागों से निर्वाचक समूह एक मतदान केंद्र के साथ टैग किए जाते थे, और इस प्रकार एक मतदान केंद्र में एक से अधिक भागों के पंजीकृत निर्वाचक होते थे। नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भाग में निर्वाचन क्षेत्र के भौगोलिक रूप से परिभाषित मतदान क्षेत्र के भीतर रहने वाले वाले निर्वाचकों के नाम शामिल होते हैं, और 'भाग' में नामांकित सभी निर्वाचक जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा पहले से अभिचिह्नित निर्दिष्ट मतदान केंद्र में अपना मत डालेंगे। 'भाग' और मतदान केंद्र को सुसंगत बनाने से निर्वाचकों के बीच संदेह का कारण समाप्त हो गया। मतदान केंद्र स्थायी और नियमित बन गए और निर्वाचकों को अग्रिम रूप में अपने मतदान केंद्र की जानकारी मिल गई। इस व्यवस्था के मद्देनजर अब निर्वाचक नामावली का 'भाग' और उस 'भाग' को आवंटित मतदान केंद्र एक दूसरे के तदनुरूपी होते हैं। भाग की क्रम संख्या और मतदान केंद्र की क्रम संख्या एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए भाग 1 के निर्वाचक को मतदान केंद्र संख्या 1 आवंटित की जाती है और भाग 2 के निर्वाचकों को मतदान केंद्र संख्या 2 का आवंटन किया जाता है और यह क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता है।

18. उत्तरवर्ती निर्वाचनों में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के प्रबंधन में अधिकाधिक सक्रिय हो गया। हांलाकि मूल मानक समान रखे गए हैं, निर्वाचन आयोग ने सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक नए मानदंडों (पैरामीटर्स) को जोड़ा है। जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक निर्वाचन से पहले मौजूदा मतदान

केंद्र का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान केंद्र वाले भवन अच्छी स्थिति में हैं और स्थापित मानकों के अनुसार हैं। वह राजनैतिक दलों, निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करेगा और ऐसी बैठकों की कार्यवाही और कार्यवृत्त का अनुरक्षण करेगा और निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

19. निर्वाचन आयोग ने 'जोखिम मानचित्रण' की संकल्पना शुरू की है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी बूथ लेवल पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अ.ज./अ.ज.जा. या अल्पसंख्यक जैसे समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित निर्वाचक मंडल के गांव और प्राकृतिक वास/खंड जो अपने निर्वाचकीय अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में किसी धमकी, अनुचित प्रभाव, डर या हस्तेक्षप के प्रति जोखिम के दायरे में होते हैं, की पहचान करते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो नए मतदान केंद्र के सृजन के लिए मानकों में रियायत देते हुए ऐसे स्थलों में अलग समर्पित मतदान केंद्र का प्रावधान करते हैं। मतदान के दौरान ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं।

20. इसी प्रकार निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन रणनीति बनाने और मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना बनाते समय जिला प्रशासन को विशेष उपाय करने में समर्थ बनाने के लिए मतदान पैटर्न, हिंसा की घटनाओं, कमजोर वर्गों को डराने-धमकाने और अन्य विषयपरक मानकों के पिछले इतिहास के आधार पर निर्वाचन से पहले संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान के लिए व्यापक प्रणाली स्थापित की है।

21. निर्वाचन आयोग दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की जरूरतों के प्रति विशेष रूप से चिंतित रहता है। इसने कुष्ठ रोग और दृष्टिहीन श्रेणी के निर्वाचकों के लिए अलग मतदान केंद्र का प्रावधान किया है। रिट याचिका (सिविल) 2004 की 187 - विकलांग अधिकार समूह बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य में दिनांक 05.10.2007 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निर्वाचन आयोग ने रैंप, व्हीलचेयर, संकेत चिन्हों, निर्दिष्ट पार्किंग हेतु स्थान आदि सुविधाओं का प्रावधान करके दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों को सुगम बनाने के आदेश दिए हैं।

22. हाल ही में सम्पन्न निर्वाचनों में निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैंप, पेयजल, पर्याप्त प्रकाश, शौचालय, संकेत चिन्हों आदि जैसी मतदाता अनुकूल आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाने के लिए कहा है।

23. 2015 में दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान केंद्र की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने और मतदाताओं के लिए मतदान का अनुभव सुखद और समृद्ध बनाने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मॉडल मतदान केंद्र की संकल्पना पेश की थी। इसे सर्वत्र सराहना मिली और अतएव अन्य राज्यों के निर्वाचनों में इसे अपनाया गया।

24. इस प्रकार मतदान केंद्र प्रबंधन ने मतदान की तदर्थ व्यवस्था से मतदान की संस्थागत प्रणाली तक एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। मौजूदा मतदान केंद्रों का सत्यापन और संशोधन निर्वाचक नामावलियों के वार्षिक पुनरीक्षण की नियमित विशेषता बन गयी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा मतदान केंद्रों वाले भवनों से अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक भवनों के बारे में नागरिकों और फील्ड अधिकारियों से सुझाव एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। निर्वाचनों में विभिन्न प्रकार के अनुभवों से लैस निर्वाचन आयोग मतदान केंद्र की संरचना में निरंतर सुधार कर रहा है। जीआईएस टूल, नज़री नक्शा और मतदान केंद्र मानचित्र का सुधार किया जा रहा है और मतदान केंद्र का सामने का दृश्य, कैड दृश्य, रूट/की मैप, एएमएफ की स्थित आदि जैसे विवरण बेहतर प्रबंधन और योजना के लिए एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन किसी आकस्मिकता के मामले में तत्काल प्रत्युत्तर देने में निर्वाचन मशीनरी को सक्षम बनाने के लिए सुस्थापित पदानुक्रम फीडबैक प्रणाली के माध्यम से देश में प्रत्येक मतदान केंद्र को लिंक करने की एक सुदृढ़ संचार योजना विकसित

की है। लाइव वेबकास्टिंग और स्वचालित मतदान दिवस निगरानी प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान केंद्रों का साथ-साथ (रियल टाइम) में प्रेक्षण करने और निगरानी करने में समर्थ रहा है।

****

अध्याय-2
मतदान केंद्र स्थापित करने के मानदंड

इस अध्याय में वर्णित मुख्य बिंदु
- ✓ **विधिक उपबंध**
- ✓ **मतदान केंद्र उपलब्ध करवाने के प्राधिकारी**
- ✓ **निर्वाचक नामावली के भाग और मतदान केंद्र**
- ✓ **सुपरिभाषित मतदान केंद्र का चिह्नांकन**
- ✓ **मतदान केंद्र का स्थान**
- ✓ **किसी मतदान केंद्र पर आवंटित निर्वाचकों की संख्या**
- ✓ **मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अधिकतम दूरी**
- ✓ **मतदान केंद्र स्थापित करने के न्यूनतम पैरामीटर**

2.1विधिक उपबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। इस धारा को नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

*[**निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबंध** -जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्रों का उपबंध करेगा जो संपूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबंधित मतदान केंद्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमश: उपबंधित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा]*

2.2 **मतदान केन्द्र प्रदान करने के लिए प्राधिकारी-**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र प्रदान करने के लिए प्राधिकारी होता है, तथापि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए मतदान केन्द्र को निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी स्थान पर हुए मतदान से उस स्थान पर इस प्रकार किया गया मतदान दूषित हो सकता है।

2.3 निर्वाचक नामावली के भाग और मतदान केन्द्र-

मतदान केंद्र निर्वाचक नामावली के भाग के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। निर्वाचक नामावली एक सूची होती है जिसमें निर्वाचकों के ब्यौरे यथा नाम, आयु, लिंग, रिश्तेदार का नाम, एपिक नंबर आदि होते हैं। निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार तैयार और अनुरक्षित की जाती हैं। 1960 के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम-5 के उप नियम-1 के अनुसार निर्वाचक नामावली को सुविधाजनक 'भागों' में बांटा जाएगा। निर्वाचक नामावली का 'भाग' संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सृजित एक भौगोलिक रूप से परिभाषित एवं पहचान योग्य मतदान क्षेत्र है। 'भाग' में उन मतदान क्षेत्रों तथा चिह्नित मतदान केन्द्र (उप-क्षेत्र), जहां मतदान दिवस को उस 'भाग' के निर्वाचकों के लिए मत डाले जाने हेतु इंतजाम किए जाते हैं, के भीतर रह रहे सभी निर्वाचकों के नाम होते हैं। इससे पहले नियमावली के विभिन्न भागों के निर्वाचकों के समूह को एक मतदान केन्द्र पर रखा जाता था और इस प्रकार मतदान केन्द्र में निर्वाचक नामावली के एक से अधिक भाग में सम्मिलित मतदाता होते थे। लोक सभा साधारण निर्वाचन, 1980 के बाद से निर्वाचक नामावलियों को एक सुपरिभाषित मतदान क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्र-वार तैयार किया जा रहा है तथा निर्वाचक नामावलियों के किसी एक भाग में सम्मिलित सभी मतदाताओं को एक विशिष्ट मतदान केन्द्र में निर्दिष्ट किया जा रहा है। यही कारण है कि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक संशोधन से पहले, आवश्यक होने पर मतदान केन्द्रों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है और नामावली के 'भाग' तदनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। निर्वाचक

नामावली के भागों की क्रम संख्या तथा संगत मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या भी निरपराद रूप से एक समान संख्या है। उदाहरणार्थ निर्वाचक नामावली के 'भाग सं.1' द्वारा कवर किए गए निर्वाचकों को 'मतदान केन्द्र सं. 1' तथा 'भाग सं. 2' को 'मतदान केन्द्र सं. 2', और इसी प्रकार आगे भी निर्दिष्ट किया जाता है।

2.4 सु-परिभाषित मतदान क्षेत्रों का सीमांकन

मतदान केन्द्र शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट परिक्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी गांव को कवर करते हुए, स्पष्टरूप से सीमांकित मतदान क्षेत्रों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जहां कोई परिक्षेत्र या गांव बहुत बड़ा होता है, वहां इसे उन भागों में रह रहे निर्वाचकों के लिए पृथक मतदान केन्द्र प्रदान करने हेतु भागों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार, छोटे परिक्षेत्रों या गांवों की दशा में दो या दो से अधिक ऐसे परिक्षेत्रों या गांवों के लिए साझा मतदान केन्द्र प्रदान करने हेतु उन्हें मिलाया जा सकेगा। मतदान क्षेत्र के स्पष्ट विवरण से किसी साधारण मतदाता के लिए भी यह जानना संभव होना चाहिए कि उसे अपना मत दर्ज करने के लिए किस मतदान केन्द्र में जाना है।

2.5 मतदान क्षेत्रों का स्थान (लोकेशन)

2.5.1 साधारणतया मतदान क्षेत्र के भीतर-

(i) जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र को मतदान क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। तथापि, किसी मतदान केन्द्र को मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित किसी भवन में स्थित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है तो इसे मतदान क्षेत्र के बाहर किंतु यथा संभव इसके अपने क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाना चाहिए। कई दशाओं में एक से अधिक मतदान केन्द्रों को एक ही भवन में स्थापित किया गया है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ राज्यों में कुछ दशाओं में कतिपय मतदान केन्द्र विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के बाहर भी प्रदान किए गए हैं। ऐसा निर्वाचकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है और मतदान केन्द्रों को ऐसे बाजार क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, जहां निर्वाचक बार-बार जाते हैं और जहां मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए नियमित भवन उपलब्ध हैं।

(ii) जहां किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान क्षेत्र में कई गांव शामिल हों, वहां मतदान केन्द्र या केन्द्रों को सामान्य रूप से उस गांव में ही स्थित होना चाहिए, जिसमें मतदाताओं की अधिकतम संख्या है। तथापि, यदि दूसरा गांव तुलनात्मक रूप से बिल्कुल बीच में पड़ता हो या वहां थोड़ी बेहतर सुविधाएं हों तो अधिक मतदाताओं की संख्या वाले गांव वरीयता देते हुए दूसरे गांव को ही मतदान केन्द्र के स्थान के लिए चुना जा सकता है। एक मतदान क्षेत्र में सभी गांवों को एक प्रशासनिक इकाई अर्थात् एक पुलिस थाना, फिरका, पटवारी सर्किल आदि में पड़ना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी मतदान क्षेत्रों को प्रस्तावित मतदान केंद्रों द्वारा कवर किया जाना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

2.5.2 स्थायी भवन में स्थान - निर्वाचन आयोग इस बात पर जोर देता है कि मतदान केन्द्रों को यथा व्यवहार्य स्थायी रूप से स्थित होना चाहिए ताकि निर्वाचकों को हमेशा यह ज्ञात हो कि उन्हें सभी निर्वाचनों के लिए अपने मत डालने हेतु कहां जाना है और उन्हें उनके मतदान केन्द्रों के स्थान में बार-बार परिवर्तनों से भ्रम न हो।

2.5.3 सरकारी भवनों में -जहां तक संभव हो, मतदान केंद्रों को सरकारी या अर्धसरकारी भवनों या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों यथा, विद्यालयों या महाविद्यालयों में स्थित होना चाहिए

क्योंकि आवश्यक फर्नीचर तथा उपस्कर वहां उपलब्ध होंगे तथा राज्य की बिना किसी अतिरिक्त लागत के इनका उपयोग किया जा सकेगा। मतदान केन्द्रों को स्थानीय निकायों यथा सामुदायिक केन्द्रों, गांव की चौपालों आदि से संबंधित भवनों में भी स्थापित किया जा सकता है।

2.5.4 निजी भवनों में- केवल दुर्लभ दशाओं में - केवल दुर्लभ दशाओं में निजी भवनों का प्रयोग मतदान केन्द्रों के रूप में किया जाता है किंतु जहां यह अपरिहार्य हो जाता है, वहां भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। यदि स्वामी लिखित सहमति देने से इन्कार करता है तो आवश्यकता पड़ने पर भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के अधीन अधियाचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधिगृहीत भवनों को मतदान आरंभ होने से कम से कम 24 घंटे पहले तथा मतदान के लिए अपेक्षित अवधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी के डिस्पोजल पर होना चाहिए। भवन और 200 मीटर की परिधि में इसके आस-पास का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए।किसी वाच एवं वार्ड या मालिक से संबंधित अन्य कर्मी, सशस्त्र या शस्त्ररहित, को मतदान केंद्र पर या उसके चारों ओर दो सौ मीटर की परिधि के भीतर रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर तथा उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी पूरी तरह से पीठासीन अधिकारी के नियंत्रणाधीन राज्य पुलिस की होगी। इसके अतिरिक्त, नामनिर्देशन दाखिल करने के बाद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे निजी भवन का मालिक निर्वाचन नहीं लड़ रहा है या निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों का ज्ञात शुभचिंतक या कार्यकर्ता नहीं है।

2.5.5 अस्थायी संरचना -जहां किसी मतदान क्षेत्र या उसके निकट कोई उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है वहां निर्दिष्ट अवस्थानों में मतदान केन्द्र के रूप में कार्य किए जाने के लिए अस्थायी संरचना को खड़ा किया जा सकेगा। तथापि, किसी अस्थायी संरचना में मतदान केन्द्र की स्थापना से बचा जाना चाहिए क्योंकि इसे खड़ा करने के लिए व्यय होता है तथा अग्नि, आंधी आदि का भी जोखिम रहता है।

2.5.6 किसी मतदान केंद्र को पुलिस थानों, अस्पतालों, मंदिरों या धार्मिक महत्व वाले स्थानों में अवस्थित नहीं होना चाहिए।

2.5.7 मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए।

2.5.8 जहां तक संभव हो, वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों को भूतल पर होना चाहिए। ऐसे निर्वाचकों के उपयोग हेतु रैंप भी होना चाहिए।

2.6 मतदान केन्द्र के लिए निर्दिष्ट निर्वाचकों की संख्या-

2.6.1 किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों की अधिकतम संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या में 1000 से भाग देकर निर्धारित की जानी चाहिए। यह संख्या शहरी और ग्रामीण, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए औसत होगी। मतदान के सुचारू संचालन के लिए किसी मतदान केंद्र को निर्वाचकों की प्रबंधन किए जाने योग्य संख्या आवंटित करने के लिए पहले निर्वाचक आयोग ने अनुदेश दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक की संख्या में और शहरी क्षेत्र में 1400 से अधिक की संख्या में निर्वाचकों का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचक मंडल मे सतत वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग ने अब सभी मतदान केंद्रों में 1500 निर्वाचकों की अनुमति दे दी है।

2.6.2 तथापि, आयोग का विचार 300 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक मतदान केंद्र प्रदान करने का है बशर्ते इसके लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध हो।

2.6.3 विरल आबादी वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही कम संख्या में निर्वाचकों के लिए मतदान केन्द्र प्रदान किए जा सकेंगे। एक मामले में साधारण निर्वाचन, 2006 के दौरान केरल में पेरम्बरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कक्कायम बांध स्थल पर केवल एक निर्वाचक के लिए एक मतदान केन्द्र प्रदान किया गया था क्योंकि एक मात्र मतदाता ने अन्य ग्रामीणों, जिनको बांध के निर्माण कार्य के कारण दूसरे स्थल पर बसाया गया था, के विपरीत अपने घर से शिफ्ट होने से इन्कार कर दिया था। एक दूसरे मामले में अरुणाचल प्रदेश में तिरिजिनो-बुरागांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में चाको में 6 निर्वाचकों वाले एक परिवार के लिए एक मतदान केन्द्र प्रदान किया गया था। एक और मामले में भी जम्मू एवं कश्मीर में लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर लेह में अनले फू एवं पड़ोसी गांव के निर्वाचकों के लिए दो मतदान केन्द्र प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार, गुजरात के गिर जंगल में केवल एक मतदाता के लिए एक मतदान केंद्र प्रदान किया गया था।

2.6.4 समाज के कमजोर वर्गों के निवास स्थानों में कम निर्वाचकों के लिए भी मतदान केन्द्र प्रदान किए जा सकेंगे ताकि उनके हितों के विरोधी तत्वों द्वारा उनके मताधिकार के प्रयोग में उनके लिए कोई अवरोध पैदा न किए जा सके।

2.6.5 देश में कोविड-19, सामाजिक दूरी के लिए निर्धारित निवारक उपायों और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग ने बिहार में जिला निर्वाचन अधिकारियों को मौजूदा मतदान केंद्रों को द्विभाजित करने की अनुमति दी थी ताकि प्रति मतदान केंद्र 1000 तक निर्वाचकों को सीमित किया जा सके। ऐसे अन्य राज्यों में जिला निर्वाचन अधिकारियों को कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जहां 2020 में उप-निर्वाचन होने हैं।

2.7 मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए अधिकतम दूरी

मतदान केन्द्रों की स्थापना ऐसी रीति से होनी चाहिए कि सामान्यतया किसी मतदाता को अपना मत डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक यात्रा करना अपेक्षित न हो। विरल रूप से बसे, पहाड़ी या वन क्षेत्र में इस नियम में रिआयत दी जा सकती है। ऐसे मामलों में मतदाताओं को असम्यक रूप से लंबी दूरी तक न चलना पड़े, इसके लिए अपेक्षाकृत कम मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। स्थालाकृति सुगम एवं सहज यात्रा पर भी विधिवत विचार किया जाना चाहिए।

2.8 मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम पैरामीटर:

2.8.1 मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं (एएमएफ):

निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान केन्द्रों पर मतदाता अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक मतदान केन्द्र में निम्नलिखित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:-

(i) रैम्प की व्यवस्था
(ii) पेयजल की व्यवस्था
(iii) पर्याप्त फर्नीचर
(iv) समुचित रोशनी
(v) हेल्प डेस्क
(vi) समुचित संकेतक
(vii) शौचालय

2.8.2 इसके अतिरिक्त, मतदान के लिए आने वाले निर्वाचकों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए उनके लिए मतदान केन्द्रों पर शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2.8.3 जहां तक व्यवहार्य हो, मतदान केंद्र में कम से कम 20 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए ताकि मतदान केंद्र के भीतर कोई भीड़-भाड़ न हो।

2.8.4 हॉल/कमरे अच्छी तरह से प्रकाशित होने चाहिए और इसमें कम से कम दो दरवाजे होने चाहिए ताकि मतदान के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक को 'प्रवेश' और दूसरे को 'निकास' के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

2.8.5 शहरी क्षेत्रों में, चार से अधिक मतदान केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दो से अधिक मतदान केन्दों की स्थापना यथासंभव एक ही भवन में नहीं होनी चाहिए ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा हो।

2.8.6 जहां तक व्यवहार्य हो, मतदान केंद्रों को भवन के भूतल पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक हो।

2.8.7 निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों को यह अनुदेश भी दिया है कि ऐसे भवनों में रैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि शारीरिक तौर पर अक्षम

व्यक्तियों की आवाजाही को सुकर बनाया जा सके। उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य के मामले में दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के उनके अंतरिम आदेश में दिए गए निदेश के फलस्वरूप यह अनुदेश दिया गया है।

2.8.8 यदि मतदान केन्द्र पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए है तो पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक कतारें होनी चाहिए। मतदान केन्द्र में प्रत्येक एक पुरुष के प्रवेश करने के बाद दो महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वृद्ध, अशक्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों को कतार में खड़े हुए बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब किसी विशेष मतदान क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है तो इन दोनों केन्द्रों को यथासंभव एक ही भवन में स्थित होना चाहिए।

2.9. मतदान केंद्र के लिए मानचित्र

2.9.1 निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि एक मतदान क्षेत्र के निर्वाचक के एक दूसरे से मिश्रित होने या दो या अधिक मतदान केंद्रों में समान क्षेत्र के शामिल होने की गलती से बचने के लिए कवर किए गए खंडो को दर्शाने वाला एक मानचित्र, जिसे सामान्य तौर पर नजरी-नक्शा कहा जाता है, प्रत्येक मौजूदा मतदान केंद्र क्षेत्र के लिए तैयार किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समग्र निर्वाचन क्षेत्र कवर किया गया है, एक भू सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

नजरी-नक्शा

1-वाल्मीकी नगर विधान सभा क्षेत्र, भाग सं 8

2.9.2 उपर्युक्त आरेख से देखा जा सकता है कि नजरी-नक्शा मतदान केंद्र क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य होता है जिसे हाथ से बनाया जाता है, जिसमें मतदान केंद्र के स्थान के संदर्भ में मंदिर/डाकघर/पुलिस स्टेशन या कोई अन्य महत्वपूर्ण भवन/सड़क/तालाब आदि का चित्रण होता है ताकि क्षेत्र में इसे आसानी से चिह्नित और लोकेट किया जा सके।

2.9.3 इसके अलावा, भौतिक सर्वेक्षण करने वाले फील्ड अधिकारी, एक मुख्य मानचित्र तैयार करते हैं जिसमें मतदान केंद्र स्थल (लोकेशन) की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग/रास्तों को दर्शाया जाता है।

मुख्य मानचित्र व्यू
चित्र
153 - भोपाल मध्य, भाग संख्या 238

2.9.4 परंपरागत नजरी-नक्शा और मुख्य मानचित्र की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसे गूगल मैप पर इंगित किया जा सकता है।

गूगल मैप व्यू
60- खैरताबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग सं 93

2.9.5 उपर्युक्त के अलावा, निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र स्थल (लोकेशन) और मतदान बूथ के फ्रंट व्यू का फोटो लेने तथा कैड व्यू (मतदान केंद्र के अंदर का लेआउट) तैयार करने का अनुदेश दिया है।

मतदान केंद्र के भवन का फ्रंट व्यू	**मतदान केंद्र का फ्रंट व्यू**
60-खैरताबाद विधानसभा भाग सं 73	**216-उज्जैन उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग सं. 151**

कैड व्यू

चित्र

14- शालीमार बाग, भाग सं 118

2.9.6 ये सभी मानचित्र और तस्वीरें निर्वाचक नामावली प्रकाशित करते समय संबंधित भाग की निर्वाचक नामावली के साथ संलग्न की जाती हैं।

****

अध्याय 3
मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करना

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य बिंदु

- ✓ **नए मतदान केन्द्र की स्थापना**
- ✓ **मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार करना**
- ✓ **मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन**
- ✓ **राजनैतिक दलों के साथ परामर्श**
- ✓ **मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची के लिए निर्वाचन आयोग का अनुमोदन**
- ✓ **मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन**
- ✓ **राजनैतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्रों की सूची प्रदान करना**

3.1 नए मतदान केन्द्रों की स्थापना

3.1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश भाग उनके क्षेत्राधिकार में आता हो, के लिए निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्र उपलब्ध कराए जाने अपेक्षित हैं। साधारणतया यह निर्णय करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि किस निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग किस जिले में आता है। तथापि, जहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उदाहरणस्वरूप 8 विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं और उनमें से 4 एक जिले में पड़ते हैं और शेष 4 दूसरे जिले में, तो वहां उस जिले को अभिनिश्चित करना आसान नहीं होगा कि किसमें निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है। ऐसे मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय के स्थान, विभिन्न जिलों के, विभिन्न भागों में उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या या उन भागों की जनसंख्या संबंधी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना चाहिए तथा इसकी सूचना संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को देनी चाहिए। उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है, सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.1.2 यह भी संभव है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की दशा में अधिकतर घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक जिले में पड़ सकते हैं और इसका कोई हिस्सा या हिस्से दूसरे जिले या जिलों में पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में, दूसरे जिला या जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यवस्था किए गए मतदान केन्द्रों को उस जिले, जिसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के अधिकांश भाग आते हैं, जिसके लिए वहां मतदान केंद्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णतया स्वीकार किया जाएगा।

3.1.3 नए मतदान केन्द्र स्थापित करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तावित मतदान केन्द्र का वास्तविक सत्यापन करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामोद्दिष्ट करना चाहिए। नामोद्दिष्ट सत्यापन अधिकारी मतदान केन्द्र स्थापित करने के बारे में आयोग के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए सत्यापन का कार्य करेगा। वह पहाड़ियों, वनों, नदियों, जंगलों जैसे अवरोधों की विद्यमानता पर सम्यक रूप से ध्यान देगा। उदाहरण के लिए किसी मतदान क्षेत्र में किसी बड़ी नदी के दोनों ओर गांव स्थित नहीं होने चाहिएं; किंतु जहां गांव स्वयं ही किसी नदी या धारा द्वारा विभाजित हो वहां इसे जब तक कोई विशेष कारण न हो, मतदान प्रयोजन के लिए विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

3.1.4 प्रत्येक मतदान केंद्र के वास्तविक स्थल का चयन अग्रिम रूप से सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथा विधि एवं व्यावहारिक सुविधा की अपेक्षाओं के अनुरूप मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री, संरचनाओं, फिटिंग आदि का इंतजाम किया जाना चाहिए।

नए मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ मानदंड निम्नलिखित होंगे:-

- नए मतदान केन्द्र का प्रस्ताव किया जा सकेगा यदि किसी गांव में 300 से अधिक निर्वाचक होंगे तथा मतदान केन्द्र के लिए कोई उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध होगा।
- यदि ऐसा करना अतिसंवेदनशीलता मैपिंग के मद्देनजर आवश्यक है।
- यदि कई निवास यूनिटों वाली कोई नई कॉलोनी अस्तित्व में आई है तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकेगा।
- किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र संक्षिप्त होना चाहिए।

3.2 मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार करना

जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र **(अनुलग्नक-I)** में मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार करेगा। मतदान क्षेत्र का सीमांकन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। मतदान क्षेत्र द्वारा कवर किए गए प्रत्येक गांव का नाम और उसमें मतदाताओं की संख्या प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने संबंधित स्तम्भों में दर्शायी जानी चाहिए। मतदान केन्द्रों को दर्शाते हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए और इसे यदि संभव हो तो डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मतदान क्षेत्र के स्पष्ट वर्णन द्वारा किसी आम मतदाता के लिए यह जानना व्यवहार्य होना चाहिए कि उसे किस मतदान केन्द्र में अपना मत दर्ज करने के लिए जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रपत्र के स्तम्भों को भरने के मामले में एक समान विधि का पालन किया जाए,जिला निर्वाचन अधिकारी को **अनुलग्नक-I** के अनुसार अनुदेशों को ध्यान में रखना चाहिए।

3.3 मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन

सूची को उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर तैयार कर लिए जाने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी को विनिर्दिष्ट तारीख तक, जिसमें सात दिन से कम की अवधि न दी जाए, आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित

करते हुए साधारण सूचना के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नियमावली की भाषा या भाषाओं में प्रारुप को प्रकाशित करना चाहिए। मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची के प्रकाशन तथा ऐसे स्थानों, जहां इसका निरीक्षण किया जा सकता है, से संबंधित नोटिस भी स्थानीय समाचार पत्रों में दिया जाना चाहिए और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए तथा विचार के लिए लिखित आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिएं।

3.4 राजनैतिक दलों के साथ परामर्श

3.4.1 किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करते समय, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों, मान्यताप्राप्त और गैर मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकृत दोनों के स्थानीय प्रतिनिधियों तथा इच्छुक अभ्यर्थियों से परामर्श किया जाता है और जब वह अनुमोदन के लिए प्रारूप सूची प्रस्तुत करता है तो उसे ऐसे परामर्श कर लेने के बारे में निर्वाचन आयोग को प्रमाण पत्र देना होगा। यदि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची में कोई परिवर्तन किन्हीं पर्याप्त कारणों से आवश्यक समझा जाता है तो ऐसे परिवर्तन के लिए निर्वाचन आयोग का अनुमोदन मांगने से पहले राजनैतिक दलों से परामर्श किया जाना होगा।

3.4.2 सूचियों की प्रतियां सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की स्थानीय शाखाओं तथा लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पदासीन सदस्यों या यदि लोक सभा या विधान सभा भंग हो गई है तो लोक सभा या विधान सभा के पूर्व सदस्यों को दी जानी चाहिए।

3.4.3 उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को एक बैठक के लिए दल के प्रतिनिधियों एवं विधायकों को बुलाना चाहिए तथा प्रारूप सूची पर चर्चा करनी चाहिए और सुझाव प्राप्त करने चाहिए। राजनैतिक दलों के साथ बैठक के कार्यवृत्तों और कार्यवाहियों की सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। अभ्यर्थी बनने की इच्छा रखने वाला कोई भी प्रामाणिक (वास्तविक) व्यक्ति, जो इस बैठक में चर्चा में भाग लेना चाहता है, उसे बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

3.5 मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची के लिए निर्वाचन आयोग का अनुमोदन

3.5.1 जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके बाद राजनैतिक दलों/प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों/इनपुट पर अपना निर्णय लेना चाहिए, जहां आवश्यक हो, वहां प्रारूप सूची को संशोधित करना चाहिए तथा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची को अंतिम रूप देना चाहिए। उसे उसके बाद इसे मानचित्र सहित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को अग्रेषित करना चाहिए जिसके साथ संवीक्षा पत्र और प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-II एवं III** में विहित प्ररूपों में होने चाहिएं। जब निर्वाचन आयोग को सूची अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में अग्रेषित की जाती है तो इसके साथ अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। अंग्रेजी में मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची को मुद्रित या अनुकृति (साइक्लोस्टाइल) करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि सरकारी प्रयोग

के लिए या जनता द्वारा अंग्रेजी में प्रतियां अपेक्षित हैं तो ऐसा करने पर कोई आपति नहीं होगी।

3.5.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी संवीक्षा के बाद इस सूची को और अन्य संलग्नकों को अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन हेतु निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग मतदान केन्द्रों की प्रस्तावित सूची पर विचार करेगा और आवश्यक समझे गए परिवर्तनों के साथ इसे अनुमोदित करेगा।

3.5.3 आयोग के अनुमोदन की सूचना निर्वाचन आयोग द्वारा सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी जिसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को यह देखने के लिए सूची की एक बार पुनः जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें कोई त्रुटियां रह गई हैं, तथा सूची में आयोग द्वारा सुझाए गए सुझावों, यदि कोई हों, को समाविष्ट करना चाहिए।

3.6 मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन

3.6.1 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित करेगा। अंतिम प्रकाशन से पहले, **अनुलग्नक-1** के स्तम्भ 4, 5, 8, 9 और की प्रविष्टियों 10 तथा मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान केन्द्रों की कुल संख्या और प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की औसत संख्या के संबंध में सूची के नीचे की गई प्रविष्टियों को सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले हटा दिया जाना चाहिए।

3.6.2 किसी विधान सभा निर्वाचन **(अनुलग्नक IV)** क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की सूची को उस भाषा या उन भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें या जिनमें उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नियमावली प्रकाशित हुई है।

3.6.3 अंतिम प्रकाशन के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए उपलब्ध मतदान केन्द्रों की अंतिम सूची की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। अंतिम सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, यथा व्यवहार्य, कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/राजस्व मंडल अधिकारी/न्यायाधीश और मुंसिफ न्यायालय/प्रांत अधिकारी/तहसीलदार/आमीलदार/उप तहसीलदार/उप रजिस्ट्रार/पुलिस थानों/मौजादारों या सरपंचों या यूनियन के कार्यालयों/पंचायत घरों/यूनियन बोर्डों/जिला बोर्ड/नगर निगम समिति/अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा ऐसे अन्य स्थानों पर और ऐसी अन्य रीतियों से, जो वह आवश्यक और समुचित समझे, संलग्न प्रारूप में नोटिस के साथ सूची के सुसंगत भागों की प्रति निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रकाशन के बाद यह सूची उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की सूची होगी।

3.6.4 जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रकाशन के बाद केवल मुद्रण या लिपिकीय गलतियों, यदि कोई हों, को सही कर सकता है। किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे मामले में, जहां लोक सभा और विधान सभा के एक साथ निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं, अपने

कार्यालय के सिवाय, दूसरी बार सूची प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, उसको लोक सभा के एकल निर्वाचन की दशा में ऐसा करना चाहिए।

3.7 राजनैतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्रों की सूची प्रदान करना

3.7.1 मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित करने के शीघ्र बाद ऐसी अंतिम रूप से प्रकाशित सूची की एक प्रति ऐसे प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल को निःशुल्क दी जाएगी, जिनको प्रारूप सूचियों की प्रतियां पहले दी गई थीं।

3.7.2 निर्वाचन में लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तारीख के शीघ्र बाद उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की सूची की तीन प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

3.7.3 मांग करने वाले सभी व्यक्तियों को ये प्रतियां नियत मूल्य पर बिक्री हेतु उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

3.7.4 जिला निर्वाचन अधिकारी को अपेक्षित संख्या में प्रतियां यथास्थिति, अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस आयुक्त को भी देनी चाहिए। प्रतियां संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर(रों) को दी जानी होती हैं। एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

3.7.5 मतदान केंद्रों की सूची, प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन के सभी चरणों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक शासकीय बेवसाइट पर भी डाली जानी चाहिए।

*****

अध्याय-4

विद्यमान मतदान केन्द्रों की सूची में यौक्तिकरण/परिवर्तन

इस अध्याय में उल्लिखित महत्वपूर्ण विषय

- ✓ **मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण क्या है?**
- ✓ **सहायक मतदान केन्द्र**
- ✓ **मतदात केन्द्रों के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया**
- ✓ **निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केन्द्र के स्थान में परिवर्तन**
- ✓ **किसी मतदान केन्द्र के भवन के नाम में परिवर्तन**
- ✓ **भावी साधारण/उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करना**

4.1 मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण क्या है?

निर्वाचन आयोग ने अनुदेश दिया है कि **1500** निर्वाचकों के लिए एक मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समय, देश में **10,35,919** मतदान केन्द्र हैं, तथापि, निर्वाचक मंडल में नियमित वृद्धि होने से, यह संख्या निश्चित बढ़ेगी। निर्वाचकों की सदैव बढ़ती संख्या और विभिन्न अन्य घटनाक्रमों यथा विद्यमान भवनों की स्थिति में गिरावट, परिक्षेत्र में समुचित नए भवनों की उपलब्धता, मतदान केन्द्रों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं की स्थिति, भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन, विधि एवं व्यवस्था स्थिति में परिवर्तन आदि के मद्देनजर, विद्यमान मतदान केन्द्रों की समय-समय पर पुनरीक्षा किया जाना अपेक्षित है। यह कार्य मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण कहलाता है।

4.2 सहायक मतदान केन्द्र

4.2.1 सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के कारण

मतदान केन्द्र का यौक्तिकीकरण साधारणतया निर्वाचक नामावलियों के प्रत्येक पुनरीक्षण से पहले किया जाता है। किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान, यौक्तिकीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाता है किंतु कभी-कभी निम्नलिखित कारणों से, विद्यमान (मूल) मतदान केन्द्र को दो भागों/तीन भागों में बांटकर सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जानी होती है:-

(i) यदि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद, यह ध्यान में आता है कि मतदान क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या विहित सीमा से अधिक है और विद्यमान मतदान केन्द्र में निर्वाचकों का प्रबंधन करना संभव नहीं है।

(ii) यदि निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक किसी निर्वाचन/उप निर्वाचन की उदघोषणा की जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान केन्द्र के यौक्तिकीकरण संबंधी कवायद के लिए समय

नहीं होता तथा निर्वाचन को विद्यमान निर्वाचक नामावली के आधार पर संचालित किया जाना अपेक्षित होता है।

4.2.2 ऐसी शर्तें जिनके अधीन सहायक मतदान केन्द्रों को अनुमति दी जाती है:-

(i) सहायक मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या वहीं होगी जो मूल (मुख्य) मतदान केन्द्र की है किंतु उसके बाद ''क'', ''ख'' आदि जोड़ा जाएगा।

(ii) यथा व्यवहार्य, सहायक मतदान केन्द्र मूल (मुख्य) मतदान केन्द्र वाले भवन या परिसरों में ही अवस्थित होंगे।

(iii) सहायक मतदान केन्द्र को पृथक भवन में केवल तभी अवस्थित किया जा सकता है जब अपरिहार्य कारण से समुचित कक्ष उपलब्ध न हो। किंतु यह मूल (मुख्य) मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र के भीतर ही होगा।

(iv) सहायक मतदान केन्द्र को पृथक क्रम संख्या नहीं दी जाएगी चाहे वह पृथक भवन में अवस्थित हो। इसकी क्रम संख्या वही होगी जो मूल (मुख्य) मतदान केंद्र की है। किंतु इसके बाद ''क'' या ''ख'' होगा क्योंकि मूल (मुख्य) मतदान केन्द्र और इसके सहायक मतदान केन्द्र में निर्वाचक नियमावली के एक ही भाग में दर्शाए गए निर्वाचक हो सकते हैं।

4.2.3 निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को भेजनाः- निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव में तैयार करने से पहले, जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करेंगे और उसके बाद सहायक मतदान केंद्रों के समेकित प्रस्ताव में साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कार्यवाही और कार्यवृत्त के साथ-साथ इस आशय का प्रमाणपत्र भी मुख्य निर्वाचक अधिकारी के जरिए अनुमोदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा कि सभी सहायक मतदान केंद्र विद्यमान मतदान केंद्रों के अपने उसी मतदान क्षेत्र में जाते।

4.3 मतदात केन्द्रों के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से पहले किया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निर्वाचनों से काफी पहले मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण करना बेहतर होता है ताकि सभी स्टेकहोल्डरों से समुचित रूप से परामर्श किया जा सके और यौक्तिकीकरण के विश्लेषण से पहले सभी मतदान केन्द्रों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया जा सके। किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यौक्तिकीकरण का कार्य निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले पुनरीक्षण पूर्व क्रियाकलाप के रूप में किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर इस विषय पर अनुदेश जारी किए हैं। मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है:-

4.3.1 वास्तविक सत्यापन

(i) मतदान केन्द्र अवस्थानों तथा निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों के शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन के बाद ही यौक्तिकीकरण किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामोद्दिष्ट कोई वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक सत्यापन का कार्य करेगा। तथापि, मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण कार्य की समग्र जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। एकरूपता के प्रयोजनार्थ, जिला निर्वाचन अधिकारी एक प्रपत्र तैयार कर सकेगा जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित मानदंडों तथा जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त समझे जाने वाले अतिरिक्त बिंदुओं को कवर किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्रों के सत्यापन और यौक्तिकीकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी/नामोद्दिष्टसत्यापन अधिकारी को प्रत्येक मतदान केन्द्र के वास्तविक सत्यापन के बाद प्रपत्र पर तारीख सहित हस्ताक्षर करना चाहिए।

(ii) पहाड़ियों, वनों, नदियों, जंगलों आदि जैसे अवरोधों की विद्यमानता पर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी मतदान केन्द्र में किसी बड़ी नदी के दोनों ओर के गांव शामिल नहीं होने चाहिए; किंतु जहां गांव ही किसी नदी या धारा द्वारा विभाजित हो तो इसे जब तक कि विशेष कारण न हों, मतदान प्रयोजनों के लिए खंडित नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन करते समय, सभी मौजूदा मतदान केन्द्रों का निम्नलिखित का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए-

- क्या मतदान केन्द्र क्षेत्र का विद्यमान मतदान केन्द्र सूची में सही-सही एवं पूरी तरह से वर्णन किया गया है।
- क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित हैं;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए नदियों/नहरों/घाटियों को पार करना पड़ता है;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए 2 किमी. से अधिक की दूरी तय की जानी अपेक्षित है;
- क्या मतदान केन्द्र अवस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र तथा शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक मतदान केन्द्र हैं;
- क्या भवन जर्जर या खतरनाक है;
- क्या मतदान केन्द्र कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर है और क्या इसके दो दरवाजे हैं;
- क्या मतदान केन्द्र पहली मंजिल या इससे ऊपर है;
- क्या मतदान केन्द्र प्राइवेट भवन में है;
- क्या मतदान केन्द्र किसी पुलिस थाना/अस्पताल/धर्मशाला/मंदिर या किसी धार्मिक स्थान में अवस्थित है;
- क्या किसी राजनैतिक दल का कार्यालय मतदान केन्द्र अवस्थान से 200 मीटर के भीतर स्थित है;
- क्या भवन में बिजली का कनेक्शन है;

- क्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है;
- क्या मतदान केन्द्र परिसरों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधाएं विद्यमान हैं;
- क्या मतदाताओं को धूप एवं वर्षा से बचाने के लिए शेड है;
- क्या मतदान केन्द्र में दूरभाष कनेक्शन है। यदि हां, तो दूरभाष नम्बर क्या है;
- क्या अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति की बहुलता वाले परिक्षेत्रों में मतदान केन्द्र ऐसी रीति में स्थित हैं कि ऐसे समुदायों को मतदान केन्द्र पहुंचने एवं अपने मत डालने से रोका जाता है।

4.3.2 यौक्तिकीकरण के दौरान किसी नए मतदान केन्द्र की स्थापना हेतु मानदंड

मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के दौरान वास्तविक सत्यापन के बाद नए मतदान केन्द्र बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

(i) किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट किए जा सकने वाले निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1500 है। तथापि, विभिन्न मुद्दों के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवश्यक औचित्य प्रदान करके उनके द्वारा प्रस्तावित निम्नतर या उच्चतर सीमा को अनुमोदित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध कर सकते हैं।

(ii) निर्वाचक भाग को विभाजित करके सभी विद्यमान सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(iii) नए मतदान केन्द्र का प्रस्ताव किया जा सकेगा यदि किसी गांव में 300 से अधिक निर्वाचक हैं तथा मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है।

(iv) यदि कई निवास यूनिटों के साथ कोई नई कॉलोनी अस्तित्व में आई है तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकेगा।

(v) किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र सघन होना चाहिए।

(vi) अल्पसंख्यकों/समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले परिक्षेत्रों में नया/पृथक मतदान केन्द्र बनाया जा सकेगा चाहे निर्वाचकों की संख्या कितनी भी हो। (नोडल अधिकारी को ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई एक लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए)।

(vii) संपूर्ण कार्य सांविधिक उपबंधों तथा निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के आलोक में किसी भी भय या पक्ष के बिना पेशेवर रीति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना होगा।

(viii) इस रीति में मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के बाद, मतदान केन्द्रों के स्थान में अंतिम क्षण में परिवर्तन आवश्यक नहीं होने चाहिए।

(ix) माओवादी या आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव करते समय निर्वाचन संचालित करने के लिए भेजे गए मतदान दलों एवं पुलिस बल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र ऐसे स्थानों में बनाए जाने चाहिए जहां तक पहुंच आसान एवं सुरक्षित हो। उपलब्ध बल का अधिकतम एवं तालमेल युक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की समूह (क्लस्टर) में व्यवस्था करना लाभदायक होगा।

4.3.3 राजनैतिक दलों के साथ परामर्श

विद्यमान मतदान केन्द्रों के वास्तविक सत्यापन के बाद तैयार किए गए प्रस्तावों पर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस संबंध में, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के साथ परामर्श और मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने एवं प्रकाशन के संबंध में जारी सभी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों एवं सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जानी चाहिए और निस्तारण के बाद उन्हें समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए।

4.3.4 कन्ट्रोल टेबल अद्यतन

''भारत निर्वाचन आयोग कंट्रोल टेबल्स डाटाबेस'' में मतदान केन्द्र टेबलों को यौक्तिकीकरण किए गए मतदान केन्द्रों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजने से पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाना चाहिए। अद्यतित "ई सी आई कंट्रोल टेबल्स डाटाबेस" से मतदान केन्द्रों की सूची का प्रिंटआउट प्रस्ताव में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4.3.5 निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजना

मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के अनुमोदनार्थ निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना चाहिए:-

(i) मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रस्तावों तथा क्या प्रस्ताव स्वीकृत किए गए या नहीं, इसके ब्योरे का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि राजनैतिक दलों के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तो रिपोर्ट में उन्हें स्वीकृत नहीं किए जाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक, जिसमें मतदान केन्द्र के यौक्तिकीकरण के विषय पर चर्चा की गई थी, के कार्यवृत्त की प्रतियां होनी चाहिए। प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि राजनैतिक दलों के किन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है, साथ में कारण भी होने चाहिए।

(ii) रिपोर्ट में इस बारे में एक विशेष खंड होना चाहिए कि यह किस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों की धमकी या डराने-धमकाने के बिना मतदान केन्द्रों तक निर्बाध पहुंच हो।

(iii) प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी मतदान केन्द्र जर्जर भवन या धार्मिक स्थल या किसी राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर स्थित नहीं है।

(iv) प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभी आधारभूत सुविधाएं अर्थात् रैम्प, पेयजल, शौचालय, शेड एवं आश्रय आदि की व्यवस्था प्रस्तावित मतदान केन्द्रों में की गई है।

4.4 निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केन्द्र के स्थान में परिवर्तन

4.4.1 निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी मतदान केन्द्र को आबंटित मतदान क्षेत्र के भीतर मतदाताओं की संख्या में अंतर के फलस्वरूप हुए प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को सूचनार्थ दी जानी चाहिए।

4.4.2 कभी-कभी, अंतिम क्षणों में निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के पश्चात मतदान केंद्रों के स्थान को बदलकर नए भवनों या स्कूलों में ले जाना आवश्यक हो सकता है, जहां मतदान केंद्र के लिए मूल रूप से प्रस्तावित भवन या स्थल का मालिक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी बन गया हो या किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए काफी सहानुभूति रखता हो या भवन किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो गया हो। ऐसे सभी परिवर्तनों की सूचना अनुमोदन हेतु तत्काल आयोग को दी जानी चाहिए। सूचियों के अनुमोदन के बाद, मतदान केंद्रों को एक गांव से दूसरे गांव में या एक स्थल से दूसरे स्थल में स्थानांतरित करने के लिए राजनैतिक दलों एवं व्यक्ति विशेष के अनुरोधों पर केवल आपवादिक मामलों में ही विचार किया जाना चाहिए, जहाँ प्रस्तावित परिवर्तन के पीछे सार्वजनिक सुविधा की महत्ता सर्वोपरि हो। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाने पर उन्हें अन्य राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों से परामर्श करना चाहिए और तब ही इस मामले में अपनी सिफारिशें आयोग को देनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी को किसी भी स्थिति में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जा सकता है। जहां परिवर्तन अपरिहार्य हो जाते हैं और करने पड़ते हैं वहां ऐसे परिवर्तनों को पूर्व अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाना चाहिए। परिवर्तनों का पूरा प्रचार किया जाना चाहिए तथा निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों आदि को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

4.5 किसी मतदान केन्द्र के भवन के नाम में परिवर्तन

किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की सूची के अनुमोदन के बाद यदि भवन, जिसमें मतदान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, के नामकरण में कोई परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नयन इत्यादि, किंतु मतदान केंद्र के स्थान में अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तन के मामलों को आयोग के पूर्वानुमोदन के लिए आयोग को संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, आयोग को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए। ऐसे परिवर्तन के बारे में राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों आदि को भी लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

4.6 भावी साधारण/उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करना

जब कभी भविष्य में उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन आयोजित किया जाना हो, जिला निर्वाचन अधिकारी को यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या उस निर्वाचन के बाद निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के कारण पहले ही अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक है। यदि किसी ऐसे निर्वाचन में, अनुमोदित सूची में परिवर्तन या रूपांतरण आवश्यक नहीं समझा जाता है और इसे उस निर्वाचन के लिए संपूर्ण रूप में अपनाए जाने का प्रस्ताव है, तो उस सूची के संबंध में आयोग का आगे कोई और अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा ऐसी सूची को निर्वाचन से पहले आयोग से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे आयोग को भेजने की जरूरत नहीं होगी। तथापि, निर्वाचन आयोग को अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व इस तथ्य की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। तथापि, जहां, आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची को उक्त निर्वाचन के लिए रूपांतरणों के साथ अपनाए जाने का प्रस्ताव है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों तथा विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए और परामर्श के बाद एक नया समेकित प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजना चाहिए।

अध्याय-5
मतदान केंद्र का अभिविन्यास व अन्य व्यवस्थाएं

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **मतदान केन्द्र का अभिविन्यास (ले-आउट)**
- ✓ **मतदान कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था**
- ✓ **मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था**
- ✓ **ईवीएम और वीवीएटी**
- ✓ **मतदान कोष्ठ**

5.1 मतदान केन्द्र का अभिविन्यास

5.1.1 एकल निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र की स्थापनाः-

(i) नीचे दिए गए आदर्श मतदान केंद्र के डायग्राम के अनुसार एकल निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र, जिसके मतदान दल में 3 मतदान अधिकारी शामिल हों, स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) यदि मतदान केंद्र वाले कक्ष में केवल एक ही दरवाजा हो, तो दरवाजे के रास्ते के बीच में बांस और रस्सियों की सहायता से पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जा सकती है।

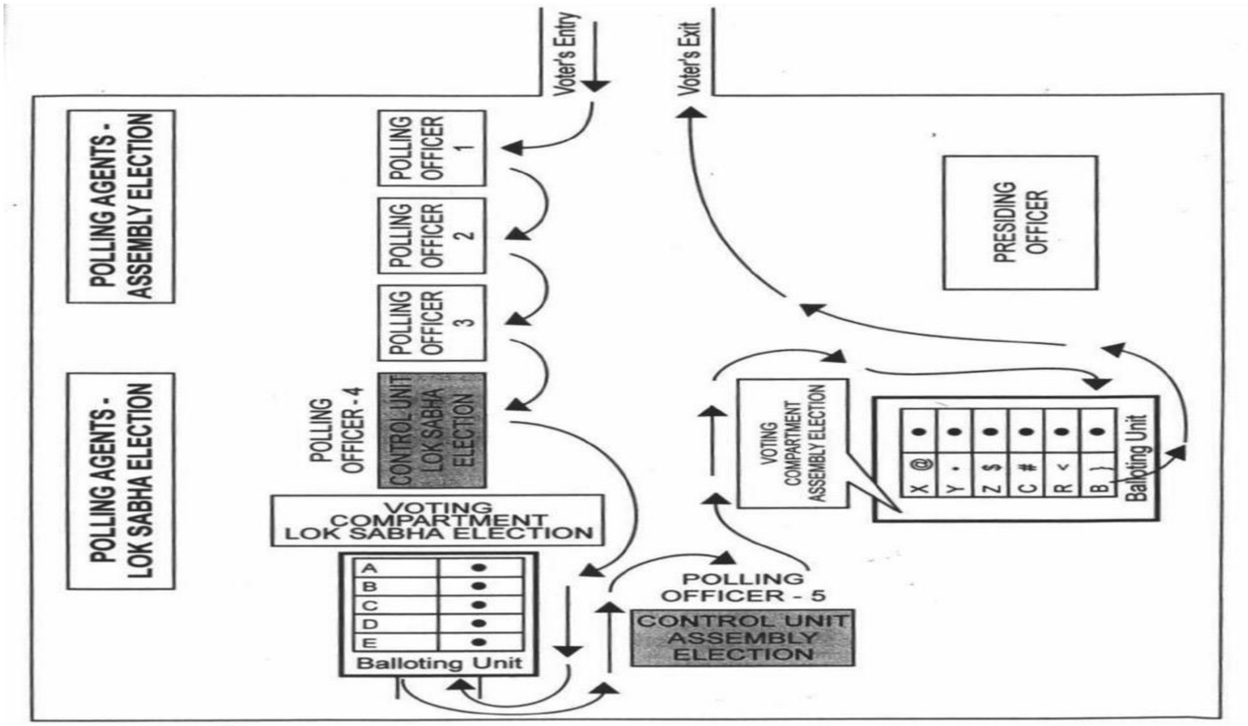

5.1.2 लोक सभा और विधान सभा के एक साथ निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र की स्थापना

(i) जहां लोक सभा और विधान सभा दोनों के साथ-साथ होने वाले मतदान के लिए ईवीएम के दो सेट्स का प्रयोग किया जाना होता है, वहां मतदान केंद्र की अभिविन्यास योजना (ले-आऊट प्लान) नीचे दी गई है:

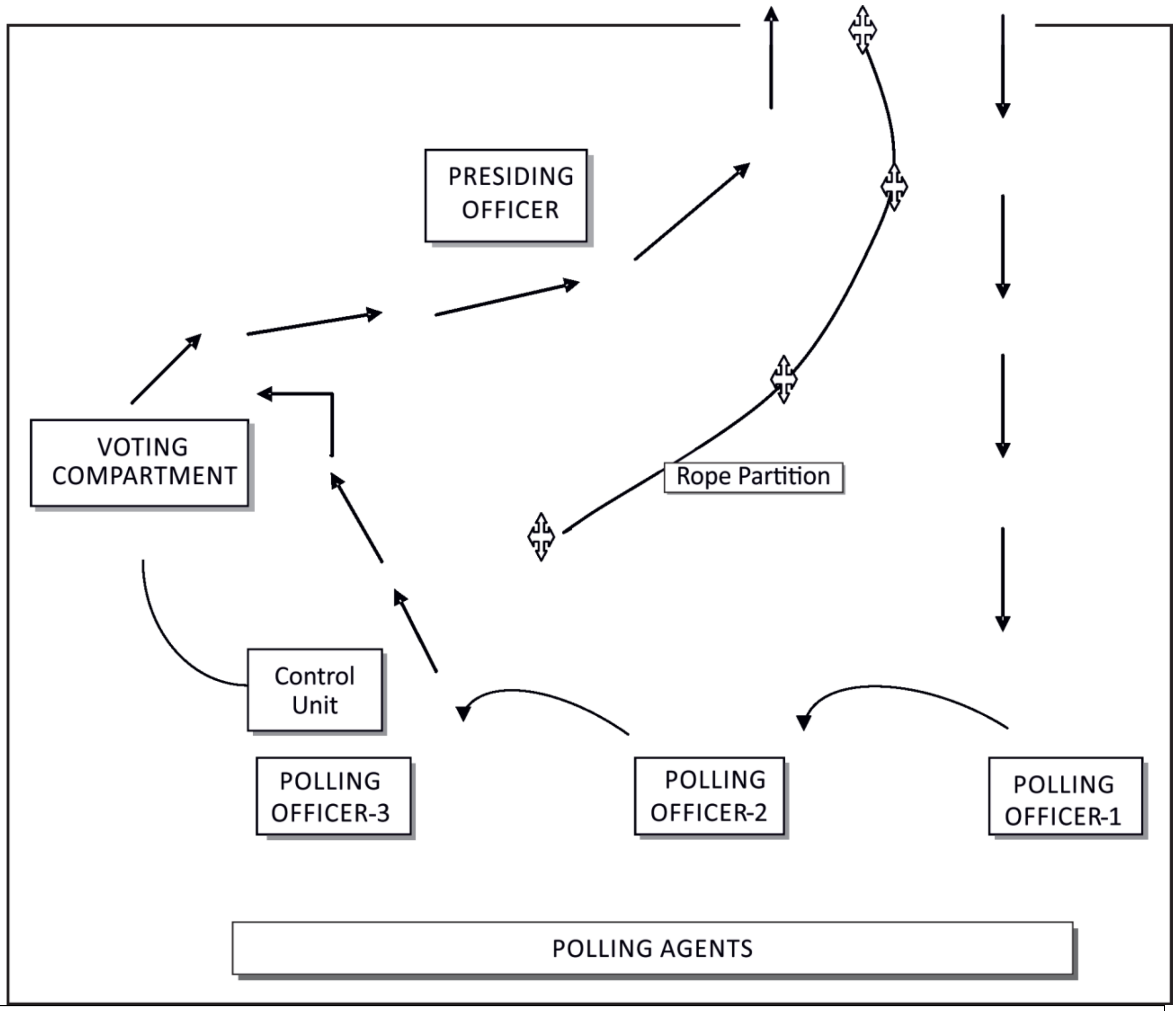

पीठासीन अधिकारी
मतदान कोष्ठ
कंट्रोल यूनिट
मतदान अधिकारी
मतदान अधिकारी
रस्सी से पार्टिशन
मतदान एजेंट

(ii) ऊपर आरेखण में, जो केवल संकेतात्मक है, केवल एक दरवाजे को दिखाया गया है। आदर्श रूप में, किसी मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार होने चाहिएं, चाहे मतदान केन्द्र की स्थापना केवल एक निर्वाचन के लिए की गई हो या लोक सभा एवं विधान सभा दोनों के लिए। यदि मतदान केन्द्र वाले कक्ष में एक ही दरवाजा हो, तो दरवाजे के रास्ते के बीच में बांस एवं रस्सियों की सहायता से पृथक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जा सकती है।

5.1.3 मतदान केंद्र की वास्तविक व्यवस्था में छोटे-मोटे परिवर्तन, यदि आवश्यक समझे जाएं, किए जा सकते हैं, तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि-

(i) मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा करने हेतु पर्याप्त स्थान हो।

(ii) यथा व्यवहार्य, पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षा स्थान हो।

(iii) किसी मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार होने चाहिए। यदि मतदान केन्द्र वाले कक्ष में एक ही दरवाजा हो, तो दरवाजे के रास्ते के बीच में बांस एवं रस्सियों की सहायता से पृथक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जा सकती है।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) के भीतर पर्याप्त रोशनी हो। यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) के लिए समुचित रोशनी की व्यवस्था की जाए। हालांकि, कोई उच्च वोल्टेज तापदीप्त बल्ब/ट्यूब लाइट को मतदान डिब्बे के ऊपर/सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि अत्यधिक तेज रोशनी से वीवीपैट त्रुटि मोड में जा सकती है।

(v) मतदाताओं के मतदान केंद्र में प्रवेश करने से लेकर वहां से प्रस्थान करने तक उनकी आवाजाही आसान हो और मतदान केन्द्र के भीतर आड़ी-तिरछी आवाजाही न हो।

5.2 मतदान कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था

मतदान कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था पहले दर्शाए गए आरेखणों (डायग्राफ) के अनुसार की जानी चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी बैठने की व्यवस्था ऐसी रीति में की जाए कि वे वास्तव में मतदाताओं को बैलट यूनिट के विशेष बटन को दबाकर उनके मत वास्तव में दर्ज करते समय देखने की स्थिति में न हों।

5.3 मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था

5.3.1 मतदान अभिकर्ता इस प्रकार बैठाएं जाए कि वे निर्वाचक के चेहरे को मतदान केन्द्र में प्रवेश करते समय तथा प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उसकी पहचान करते समय देख सके ताकि जरूरत पड़ने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। उन्हें पीठासीन अधिकारी की मेज/तृतीय मतदान अधिकारी की मेज, जहां कंट्रोल यूनिट रखी जाती है, पर संपूर्ण परिचालन को देखने तथा पीठासीन अधिकारी की मेज/तृतीय मतदान अधिकारी की मेज, जैसी भी स्थिति हो, से मतदान कम्पार्टमेंट तक निर्वाचक की आवाजाही को तथा अपना मत दर्ज करने के बाद मतदान केन्द्र से बाहर निकलते समय उसे देखने में सक्षम होना चाहिए। किन्तु, किसी भी स्थिति में उन्हे ऐसे स्थान पर नहीं बैठने देना चाहिए जहां से वे

बैलट यूनिट और मतदाता को बैलट यूनिट के विशिष्ट बटन को दबाकर उसके मतदान की वास्तविक रिकोर्डिंग करते हुए देख पाएं।

5.3.2 इस प्रयोजनार्थ, यह बेहतर होगा यदि मतदान अभिकर्ताओं की सीटें प्रथम मतदान अधिकारी (निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी) के ठीक पीछे दी जाए। जहां कहीं प्रवेश के लिए दरवाजे की स्थिति के कारण यह व्यवहार्य नहीं हो वहां उन्हें मतदान अधिकारियों के ठीक सामने सीट दी जाए। किसी ऐसे मतदान केन्द्र की दशा में, जिसमें बहुत ही छोटा एवं अपर्याप्त स्थान हो या जहां सबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की असामान्य रूप से अधिक संख्या हो, जिसके लिए बड़ी संख्या में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति आवश्यक हो, ऐसी दशाओं में जहां मतदान अभिकर्ताओं को बैठने के लिए जगह नहीं दी जा सकती हो, वहां उपयुक्त सलाह के लिए प्रेक्षक (कों) से परामर्श किया जाएगा और प्रेक्षक (कों) की सहमति प्राप्त की जाएगी।

5.3.3 आयोग के नवीनतम आदेशों के अनुसार, अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था संबंधी निर्णय निम्नलिखित श्रेणियों की प्राथमिकताओं के आधार पर लिया जाएगा, अर्थात:-

(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;
(ii) मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी;
(iii) दूसरे राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित प्रतीकों का प्रयोग करने की अनुमति है;
(iv) रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थी; तथा
(v) निर्दलीय अभ्यर्थी

5.4 ईवीएम और वीवीएटी

5.4.1 इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफायबल पेपर ओडिट ट्रेल (वीवीपैट) का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलूर नामक सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है।

चित्र

5.4.2 ईवीएम

(i) ईवीएम बेटरी पर काम करती है, और कही भी और किसी भी स्थिति में उपयोग की जा सकती है। यह टैम्परप्रूफ, त्रुटि मुक्त और संचालन में आसान है। ईवीएम की दो यूनिटों में नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट हैं। मशीन की दोनों यूनिटों को दो अलग-अलग पेटी में आपूर्ति की जाती है जो आसानी से सुवाह्य हो। मतदान की जानकारी एक बार मशीन में रिकार्ड हो जाने पर बैटरी हटाए जाने पर भी मशीन की मेमोरी में दर्ज हो जाती है।

(ii) **ईवीएम की मतदान यूनिटः** (बैलेटिंग यूनिट) ईवीएम की मतदान यूनिट में निर्वाचन का विवरण, क्रम संख्या और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और क्रमशः उनको आबंटित किए गए चिह्न वाला मतदान पत्र को प्रदर्शित करने का प्रावधान है। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने एक नीला बटन होता है। इस नीले बटन को दबाकर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान दे सकता है। इस बटन के साथ प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बत्ती भी होती है। मत दर्ज होने पर यह बत्ती लाल हो जाएगी। एक मतपत्र यूनिट में सोलह बटन होते हैं। यदि उसमें 15 उम्मीदवार है तो आखिरी पैनल नोटा के लिए होगा।

(iii)ईवीएम कंट्रोल यूनिट- एम3 ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों को पड़े मत रिकॉर्ड कर सकती है। कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपरी भाग में, मशीन में दर्ज की गई सूचना और डाटा, जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी को पड़े मत, इत्यादि को प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। इस भाग को, सहज संदर्भ के लिए, कंट्रोल यूनिट का 'डिस्पले सेक्शन' कहा जाता है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे, मशीन को चलाने वाली बैटरी को फिक्स करने के लिए एक कम्पार्टमेंट होता है। इस कम्पार्टमेंट के दायीं तरफ एक और कम्पार्टमेंट होता है जिसमें अमुक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिए मशीन की सेटिंग के लिए एक बटन होता है। इस बटन को 'कैंड सेट' बटन कहा जाता है और इन दोनों कम्पार्टमेंटों वाली कंट्रोल यूनिट के पूरे भाग को 'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' कहा जाता है। 'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' के नीचे कंट्रोल यूनिट का 'परिणाम भाग' होता है। इस भाग में (i) बायीं ओर 'क्लोज' बटन होता है, जिसका प्रयोग मतदान समाप्त करने के लिए किया जाता है, (ii) मध्य में दो बटन - 'परिणाम' एवं 'प्रिंट' होते हैं। परिणाम बटन परिणाम का पता लगाने के लिए होता है। (iii) दायीं ओर 'क्लियर' बटन मशीन में अभिलिखित डाटा को क्लियर करने के लिए होता है, जब डाटा की ओर अधिक आवश्यकता नहीं होती है। कंट्रोल यूनिट के निचले भाग में, दो बटन-एक 'बैलेट' और दूसरा 'कुल' के रूप में चिह्नित होते हैं। 'बैलेट' बटन को दबाने पर, बैलेटिंग यूनिट मत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है और 'कुल' का बटन दबाने पर, उस चरण तक अभिलिखित मतों की कुल संख्या (किन्तु अभ्यर्थी-वार ब्यौरे के बिना) का पता लगाया जा सकता है। इस सेक्शन (भाग) को कंट्रोल यूनिट के 'बैलेट सेक्शन' के रूप में जाना जाता है।

5.4.3 वीवीपैट

(i) निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में वर्ष 2013 के एक संशोधन द्वारा नियम 49क के बाद एक परंतुक जोड़ा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर को ऐसी विधानसभा अथवा विधानसभाओं अथवा किसी भाग, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे, में मतदान के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए ईवीएम से जोड़ा जा सकता है।

(ii) वीवीपैट एक पेपर स्लिप पर मतदाता के विकल्प को मुद्रित करता है जिसमें क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम और उससे संबंधित चिह्न शामिल होता है और यह 7 सेकेंड तक पारदर्शी विंडो के माध्यम से दिखती है और स्वतः ही कट जाती है, । उसके बाद एक बीप ध्वनि भी सुनाई देगी।

(iii) वीवीपैट बैटरी पर काम करता है और यह अब सभी निर्वाचनों के प्रत्येक मतदान केंद्र में

उपयोग में लाया जाता है। वीवीपैट में वीवीपैट पेपर स्लीप प्रिंट के लिए उपयोग में लाया गया थर्मल पेपर हैं जो लगभग 1500 पेपर स्लीप ही प्रिंट कर सकता है, जिसमें से लगभग 100 का प्रिंट वीवीपैट के चालू होने के दौरान और मतदान केन्द्र में मतदान दिवस पर छद्म मतदान के लिए होता है।

5.5 **मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट)**

5.5.1 मतदाताओं को गोपनीय रूप से मत डालना होता है और इस प्रयोजनार्थ, बैलट यूनिटों को मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) में रखा जाना अपेक्षित है। मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) के तीन किनारे होते हैं। बैलट यूनिट को एक मेज पर मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) के भीतर रखा जाना होता है। बैलट यूनिट को इस प्रकार रखा जाता है कि मतदाता को अपने मत दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो। मतदान कम्पार्टमेंट उस मेज से पर्याप्त दूरी पर अवस्थित होना चाहिए जहां कंट्रोल यूनिट को रखा एवं परिचालित किया जाएगा। वीवीपैट को प्रथम बैलेट यूनिट की दायीं ओर रखा जाना चाहिए। बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच आपस में जोड़ने वाले केबल की लंबाई लगभग पांच मीटर होती है और यह स्थायी रूप से बैलट यूनिट के साथ जुड़ी होती है। इसे इस प्रकार ले जाना जाया चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के भीतर मतदाताओं की आवाजाही को बाधित न करे तथा उन्हें इस पर चढ़ना या इसे पार न करना हो। केबल की पूरी लंबाई दृष्टिगोचर होनी चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में इसे कपड़े या मेज के नीचे छिपाया नहीं जाना चाहिए। ई वी एम को मतदान कोष्ठ में रखते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। इस प्रयोजनार्थ, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के पास न हो।

5.5.2 **मतदान कोष्ठ का माप-** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कोष्ठ केवल ऐसी कोरोगेटिड प्लास्टिक शीट/फ्लेक्स बोर्ड से बनाया गया हो, जो अपारदर्शी हो एवं यह दोबारा प्रयोग किए जाने योग्य हो। इसमें तीन मोड़ होंगे और केवल एक ही बैलेट यूनिट प्रयुक्त किए जाने पर प्रत्येक मोड़ का न्यूनतम आयाम "24"X"24"X30" (लंबाईXचौड़ाईXऊंचाई) होगा। यदि मतदान के लिए एक से अधिक बैलट यूनिट का प्रयोग किया जाता है तो मतदान कोष्ठ की चौड़ाई को प्रत्येक अतिरिक्त बैलेट यूनिट के लिए 12" तक बढ़ाया जा सकता है। यह मतदान कम्पार्टमेंट को खिड़की/दरवाजे से दूर रखा जाना चाहिए।

5.5.3 **लोक सभा और विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों में मतदान कोष्ठः-**

लोक सभा एवं विधान सभा के लिए साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए स्थापित मतदान केन्द्र संबंधी व्यवस्था में दो पृथक मतदान कम्पार्टमेंट होंगे-एक लोक सभा निर्वाचन की बैलट यूनिट को रखने के लिए और दूसरा विधान सभा की बैलट यूनिट को रखने के लिए। प्रत्येक मतदान कोष्ठ पर बड़े एवं साफ शब्दों में "मतदान कोष्ठ - लोक सभा निर्वाचन" और "मतदान कोष्ठ - विधान सभा निर्वाचन" का नोटिस चिपकाया जाएगा।

अध्याय 6
संवेदनशील मैपिंग और संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित करना

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **कमजोर वर्गों के क्षेत्रों की संवेदनशील मैपिंग**
- ✓ **निर्वाचनों के दौरान गंभीर मतदान केन्द्रों को चिह्नित किया जाना**

6.1 कमजोर वर्गों के क्षेत्रों की संवेदनशील मैपिंग

निर्वाचन आयोग को ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले किसी परिक्षेत्र में मतदान केन्द्र इस प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं कि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जाना होता है जहां उनको मतदान से रोका जा सकता है। निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसे निर्वाचकों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मैपिंग की संकल्पना शुरू की है। 'संवेदनशील मैपिंग' अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचक मंडल, जो किसी धमकी, अनुचित प्रभाव, डर या उनके निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील है, के गांवों/निवास क्षेत्रों/खंडों को चिह्नित करने का एक कार्य है। ऐसे कमजोर वर्गों के हितों के समर्थक कल्याण संघों या स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे परिक्षेत्रों को चिह्नित करने तथा मतदान केन्द्रों को अवस्थित करने के कार्य से जोड़ा गया है। समाज के कमजोर वर्गों की आबादी वाले परिक्षेत्रों/कॉलोनियों में मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे, चाहे मतदाताओं की संख्या 500 से कम भी हो।

6.1.1 निर्वाचनों के दौरान निर्वाचक मंडल के संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं को डराए जाने से रोकने के लिए दिशानिर्देश

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के दौरान निर्वाचक मंडल के संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं को डराने से रोकने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश अभिनिर्धारित किए हैं-

(i) जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी धमकी, डराए जाने या निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील निर्वाचकों के गांवों, छोटे गांवों/बस्तियों एवं भागों को चिह्नित करने की मतदान केन्द्र-वार कवायद करेगा। इस प्रयोजनार्थ, वह संबंधित मतदान केंद्रों के सेक्टर अधिकारियों से कहेगा कि वे मतदान केन्द्रों के आवाह (catchment) क्षेत्र का दौरा करके यह कार्य करे। स्थानीय थाना अधिकारी (एसएचओ) और सिविल प्राधिकारी अर्थात् खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ)/तहसीलदार से भी परामर्श किया जाएगा तथा सूची को अंतिम रूप देने से पहले उनकी सूचना को ध्यान में रखा जाएगा।

(ii) सेक्टर अधिकारियों को ऐसे खतरे/डराए जाने के स्रोत तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम का भी पता लगाना चाहिए जिनके द्वारा अनुचित प्रभाव के ऐसे अपराध किए जाने की संभावना हो। यह कार्य करते समय वे पूर्व घटनाओं तथा वर्तमान की आशंकाओं को भी ध्यान में रखेंगे।

(iii) सेक्टर अधिकारी ऐसे अनुचित प्रभाव से प्रभावित हो सकने वाली बस्तियों/समुदायों के भीतर कुछ संपर्क कड़ियों की पहचान करेंगे ताकि ऐसे घटनाक्रमों से संबंधित सूचना पर लगातार नजर रखी जा सके। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसी सभी सूचना को संकलित करना चाहिए और संपूर्ण मतदान केंद्र-वार निर्वाचन क्षेत्र के लिए संवेदनशीलता मानचित्रण को अंतिम रूप देना चाहिए।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक उपाय करेंगे कि ऐसे डराए जाने/बाधित किए जाने की घटना वास्तव में मतदान दिवस पर न हो। वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए इंतजाम के बारे में मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए विश्वास निर्माण संबंधी उपाय करेंगे। वे ऐसे अवस्थानों पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए किए गए इंतजाम के बारे में बताएंगे।

(v) निर्वाचन से पहले, जिला निर्वाचन अधिकारी नियमित फीडबैक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। जिला आसूचना/विभाग विषय पर नियमित फीडबैक पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(vi) प्रेक्षकों के आगमन पर जिला निर्वाचन अधिकारी संगत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र-वार संवेदनशीलता मानचित्रण का ब्योरा सौंपेगा। प्रेक्षक ऐसे स्थानों का दौरा भी करेंगे और मतदाताओं से बातचीत करेंगे और घटनाक्रमों का निरंतर अनुवीक्षण करेंगे।

(vii) जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस आयुक्त इस विषय की संयुक्त समीक्षा करेंगे और चिह्नित संभावित खतरों एवं डराए जाने संबंधी बिंदुओं से निपटने के लिए संकेन्द्रित कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे। इस कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, गड़बड़ियां फैलाने वाले पहचाने गए व्यक्तियों पर विधि की उपयुक्त धाराओं के माध्यम से अंकुश लगाना, अपेक्षित होने पर निवारक निरोध, उनके उत्तम व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित अंतरालों पर स्थानीय पुलिस थानों में उनके पेश होने को बाध्य करना, पुलिस पिकेट्स की स्थापना करना, नियमित विश्वास संवर्धन संबंधी दौरे आदि सम्मिलित हैं। यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि ऐसे सभी उपाय भय के बिना या किसी दल विशेष के प्रति पक्ष लिए बिना पूर्ण रूप से निष्पक्ष ढंग से किए गए हों।

(viii) मतदान दिवस पर घटनाओं का अनुवीक्षण करने के लिए जोनल/और सेक्टर इंतजामों में ऐसे पूर्व चिह्नित संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रखा जाएगा। यदि सामान्य सेक्टर मार्ग मैप में संवेदनशील स्थान कवर नहीं हैं तो इस प्रयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सेक्टर अधिकारी उन गांवों और छोटे गांवों का अग्रिम रूप से नियमित दौरा करेंगे, सूचना एकत्र करेंगे तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित रखेंगे।

(ix) जहां ऐसे संवेदनशील पॉकेट का क्लस्टर है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी समर्पित पुलिस दलों/टुकड़ियों के लिए इंतजाम करेंगे तथा उनको आसपास में सुविधाजनक स्थानों पर रखेंगे

ताकि मतदान दिवस पर बिना समय गंवाए उनको कार्रवाई के लिए लगाया जा सके। यह अनिवार्यतः जिला सुरक्षा योजना का अंग होना चाहिए।

6.1.2 मतदान दिवस को संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम

(i) मतदान के दिवस पर सेक्टर अधिकारी यह सत्यापित करने पर विशेष ध्यान देंगे कि क्या संवेदनशील पर्यावासों/समुदायों के मतदाता मतदान के लिए आ रहे हैं या नहीं। यदि वे पाते हैं (इसे निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, जहां मतदान कर चुके मतदाताओं पर चिह्न लगाया जाता है, से देखा जा सकता है) कि कुछ वर्ग के मतदाता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं तो उनको इसके बारे में शीघ्र ही रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी उस क्षेत्र/छोटे गांव का दौरा करके यह अभिनिश्चित करने कि उस वर्ग के मतदाताओं की आवाजाही में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाधा नहीं है, के लिए इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियमित समर्पित टुकड़ियां भेजेंगे। उनको घटनाक्रमों का गहनता से अनुवीक्षण करना चाहिए और प्रभावी उपाय करना चाहिए। मतदान दिवस पर समापन समय के बाद सेक्टर अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में मतदान केंद्र-वार विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि क्या अति संवेदनशील पर्यावासों के मतदाता मत डाल पाए या नहीं।

(ii) रवानगी केन्द्रों पर मतदान टुकड़ियों की रवानगी के समय रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित पीठासीन अधिकारी (रियों) को मतदान केंद्र के भीतर अति संवेदनशील स्थानों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देनी चाहिए। निर्वाचक नामावली में, भाग के संबंधित खंड को भी समुचित अनुवीक्षण के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें संवेदनशील स्थानों के विशेष संदर्भ में, किसी वर्ग/वर्गों के भीतर असामान्य रूप से मत डालने आए कम मतदाताओं का प्रतिशत, यदि कोई हो, दर्शाया जाएगा।

(iii) मतदान के दौरान, प्रेक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मतदान केंद्र का दौरा करते समय इस समस्या पर विशेष ध्यान देंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या कोई अनुचित प्रभाव डालने, डराए जाने/बाधा खड़ी करने का कोई कार्य किया जा रहा है।

(iv) पुलिस गश्त दल संवेदनशील स्थानों का पता रखेंगे और नियंत्रण कक्ष को अवगत करवाते रहेंगें। जहां कहीं आवश्यकता हो, सभी मतदाताओं के लिए बिना किसी भय के अपना मत डालने के लिए स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पुलिस पिकेट्स स्थापित किए जाएंगे।

(v) केन्द्रीय पुलिस बल के कमांडरों/सहायक कमांडरों को ऐसे संवेदनशील स्थानों की सूची दी जाएगी। जहां कहीं केन्द्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अग्रिम रूप से पहुंचते हैं, वहां ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कमांडर/सहायक कमांडर मतदान दिवस पर भरोसा जगाने संबंधी उपाय के रूप में ऐसे संवेदनशील पॉकेट्स का निश्चित रूप से दौरा करेंगे। यदि वे किसी बाधा को देखते हैं तो वे इस पर ध्यान देंगे तथा शीघ्र ही इसकी सूचना किन्हीं निर्वाचन अधिकारियों अर्थात् रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन

अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/प्रेक्षक/सेक्टर अधिकारी को देंगे तथा सूचना दिए जाने के समय को नोट करेंगे।

(vi) यदि किसी मतदाता/मतदाताओं को धमकी देने/बाधा पहुंचाने के बारे में किन्हीं स्रोतों से कोई शिकायत प्राप्त होती है या सूचना मिलती है तो बिना किसी देरी के इसकी जांच स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी।

(vii) रिटर्निंग ऑफिसर मतदान के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय व्यापक स्तर पर डराने/धमकी/बाधा की जानकारी को ध्यान में रखेंगे।

(viii) प्रेक्षक इस मुद्दे पर अपना पूरा ध्यान देंगे और प्रत्येक अवस्था में (मतदान से पहले/मतदान दिवस पर) इसका सत्यापन करेंगे तथा समय-समय पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनकी अंतिम रिपोर्ट में इसके बारे में विशेष उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा, उनको प्ररूप 17-क तथा मतदान के बाद आयोग द्वारा आदेश की गई, यदि कोई हो, प्ररूप 17-क की समीक्षा के समय मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त निर्वाचक नियमावली की चिह्नित प्रति को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

(ix) निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि संवेदनशील मानचित्रण तथा प्रत्येक अवस्था में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभिन्न पुलिस और सिविल अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रत्येक मतदान केन्द्र/निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट रूप से नियत की जाएगी। इस संबंध में किसी पुलिस/सिविल पदाधिकारियों की ओर से कर्तव्य में लापरवाही की दशा में गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6.2 निर्वाचनों के दौरान गंभीर मतदान केन्द्रों को चिह्नित किया जाना

निर्वाचनों के दौरान कानून एवं व्यवस्था के इंतजामों और तथा सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए समुचित योजना बनाने हेतु निर्वाचन आयोग सामान्य, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित करने के पारम्परिक तरीके का पालन करता रहा है। इस प्रणाली को अंगीकार करते समय विगत हिंसात्मक घटनाएं प्रमुख मानदंड के रूप में कार्य करती हैं। तथापि, हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग ने प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त किया है और अब गंभीर मतदान केन्द्रों और गंभीर क्लस्टरों को चिह्नित करने की नई और व्यापक प्रणाली स्थापित की गई है। इस नई प्रणाली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से संबद्ध कारकों को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

6.2.1 'संवेदनशील मतदान केन्द्र' क्या है- संवेदनशील मतदान केन्द्र वह मतदान केन्द्र है जिसको हिंसा की घटनाओं के विगत के इतिहास, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में किसी विशेष अभ्यर्थी आदि के पक्ष में असामान्य रूप से उच्च मतदान के आधार पर निर्वाचन के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्नित किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी मतदान केन्द्र, जहां विगत साधारण निर्वाचन के दौरान डाले गए मतों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक था और जहां 75 प्रतिशत से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए हैं, उन्हें क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। संवेदनशील मतदान केन्द्रों और गंभीर पर्यावासों (क्लस्टर) की पहचान करने के लिए अतिसंवेदनशील मैपिंग वैध परिणाम देती है।

संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान अतिरिक्त उपाय करने के लिए की जाती है जैसे मतदान दिवस को सुरक्षा बलों और अन्य कार्मिकों की तैनाती।

6.2.2 **संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित करने के लिए तटस्थ मानदंड-** निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों के परामर्श से संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप देने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर द्वारा निम्नलिखित तटस्थ मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए:-

(i) ई.पी.आई.सी. वाले एवं बिना ई.पी.आई.सी. वाले मतदाताओं (गैर-ई.पी.आई.सी. मतदाता) की मतदान केंद्र-वार संख्या का विश्लेषण किया जाएगा। मतदान केंद्रों की प्राथमिकता नियत करने के लिए गैर-ई.पी.आई.सी. मतदाताओं की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जाएगा।

(ii) आयोग ने दो श्रेणियों अर्थात परिवार से लिंक रखने वाले गुमशुदा मतदाताओं और परिवार से लिंक नहीं रखने वाले गुमशुदा मतदाताओं के अधीन गुमशुदा मतदाताओं के सर्वेक्षण का निदेश हाल ही में दिया है। इन दो श्रेणियों में, परिवार से लिंक नहीं रखने वाले गुमशुदा मतदाताओं की मौजूदगी दुरूपयोग एवं कदाचार की गुंजाइश प्रदान करती है। दूसरी श्रेणी के अधीन आने वाले मतदाताओं की संख्या का विश्लेषण मतदान केंद्र-वार किया जाएगा तथा ऐसे मतदाताओं की अधिक संख्या वाले मतदान केंद्र को चिह्नित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार से लिंक नहीं रखने वाले गुमशुदा मतदाताओं की कुल संख्या को मतदान केंद्रों की कुल संख्या से भाग देकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इनके औसत की गणना की जाएगी। औसत संख्या से अंतर का विश्लेषण करने पर ऐसे मतदाताओं की अधिक संख्या वाले मतदान केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

(iii) विगत साधारण निर्वाचनों के संदर्भ में मतदान केंद्र-वार निर्वाचन परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। ऐसे सभी मतदान केंद्रों, जहां दर्ज किए गए मतदान का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है और जहां 75 प्रतिशत से अधिक मतदान एक अभ्यर्थी के पक्ष में दर्ज किए गए हैं, को महत्वपूर्ण मतदान केंद्र के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(iv) ऐसे मतदान केंद्रो, जहां निर्वाचन संबंधी कदाचारों की सूचना के कारण निर्वाचन के दौरान पुनर्मतदान हुआ और ऐसे मतदान केंद्रों, जहां निर्वाचन संबंधी हिंसा हुई थी, को भी चिह्नित किया जाएगा।

6.2.3 संवेदनशील मतदान केन्द्रों के संबंध में किए जाने वाले विशेष उपाय

निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे-

(i) पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से संक्षिप्त में जानकारी दी जाएगी कि ई.पी.आई.सी./अनुमोदित पहचान संबंधी दस्तावेज, यदि कोई हो, का समुचित रूप से सत्यापन किया गया हो और इनको मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र प्ररूप 17क) के स्तंभ में दर्शाया गया हो।

(ii) मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iii) ऐसे मतदान केंद्रों की सूची केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के कमांडिंग/सहायक कमांडिंग अधिकारियों को दी जाएगी ताकि वे भी ऐसे मतदान केंद्रों पर नजर रख सकें।

(iv) संवेदनशील मतदान केंद्र के भीतर एक माइक्रो-प्रेक्षक को तैनात किया जा सकेगा। ऐसे मतदान केन्द्रों, जहां माइक्रो-प्रेक्षकों को तैनात किया जाना है, की सूची निर्वाचन आयोग के साधारण प्रेक्षक द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा तैनाती के अंतिम क्षण तक इसे सीलबंद लिफाफे में गोपनीय रखा जाएगा।

(v) संवेदनशील मतदान केंद्र में डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा लगाया जाएगा।

(vi) यथासंभव मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के लिए इंतजाम किए जाने चाहिएं।

अध्याय-7

विशेष श्रेणियों के मतदाताओं के लिए अलग से मतदान केन्द्रों की व्यवस्था

7.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक निर्वाचक को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष माहौल में अपना मत डालने का अवसर मिले, निर्वाचन आयोग ने विभिन्न कदम उठाए हैं यथा, संवेदनशील समूहों के निर्वाचकों को चिह्नित करना तथा उनके लिए मतदान के दिन मत डालने के लिए विशेष इंतजाम करना। कभी-कभी निर्वाचन आयोग इन विशेष श्रेणियों के मतदाताओं के लिए पृथक/विशिष्ट मतदान केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देता है।

7.2 संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र

7.2.1 निर्वाचन आयोग के समक्ष ऐसे कई मामले आए हैं जहां अल्पसंख्यक परिक्षेत्र में मतदान केन्द्र को इस तरीके से परिवर्तित किया गया कि अल्पसंख्यक/कमजोर वर्गों के लोग ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां उन्हें मतदान से रोका जा सके। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनावों का समय नजदीक आने पर इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयोग ने कमजोर वर्गों की बहुलता वाले स्थानों को चिह्नित करने तथा निर्वाचकों की संख्या को नजरअंदाज करते हुए इन स्थानों में मतदान केन्द्र बनाने का निदेश दिया है। ऐसे कमजोर वर्गों के हित के लिए काम करने वाले कल्याणकारी एसोसिएशनों या स्वैच्छिक संगठनों को भी ऐसे स्थानों को चिह्नित करने और मतदान केन्द्रों को बनाने के कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।

7.2.2 समाज के कमजोर वर्गों की आबादी वाले स्थानों/कॉलोनियों में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए चाहे मतदाताओं की संख्या 500 से कम ही क्यों न हो।

7.3 कुष्ठ रोग से ग्रसित मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र

यदि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कुष्ठ रोग आरोग्य-निवास है तो केवल वहां रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक पृथक मतदान केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। आरोग्य-निवास में कार्यरत अधिकारियों, चिकित्सा एवं अन्य कार्मिकों को उस मतदान केन्द्र का पीठासीन एवं मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

7.4 पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक मतदान केन्द्र

7.4.1 साधारणतया, पुरुष एवं महिला दोनों निर्वाचकों के लिए साझे मतदान केंद्र प्रदान किए जाते हैं तथापि, कतिपय क्षेत्रों में महिला निर्वाचक कुछ स्थानीय प्रथा या सामाजिक रिवाज के कारण पुरुष सदस्यों से मिलने-जुलने से हिचकती हैं और उस दशा में निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। पहले, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में महिला निर्वाचकों के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाए गए थे। कभी-कभी, बड़े गांवों में, यदि दो मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जानी होती है तो एक पुरूष निर्वाचकों के लिए और दूसरा महिला निर्वाचकों के लिए प्रदान किया जा सकेगा। विशिष्ट रूप से महिला निर्वाचकों के लिए

व्यवस्थित किए गए मतदान केंद्रों में मतदान कार्मिक भी सामान्यतया उसी लिंग के होते हैं। जब किसी विशेष मतदान क्षेत्र के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाती है, इन्हें यथासंभव एक ही भवन में स्थित होने चाहिए।

7.4.2 यदि मतदान केन्द्र पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिए है तो पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक कतारें होनी चाहिएं। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक एक पुरूष के बाद दो महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिलाओं और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को कतार में खड़े हुए बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7.5 सचल मतदान केन्द्र

प्राय: ऐसी मांगें की जाती हैं कि विरल रूप से बसे क्षेत्रों में, अधिक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि निर्वाचकों को अपने मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। चूंकि यह हमेशा संभव नहीं है, इसलिए कभी-कभी गांवों के एक समूह के लिए सचल मतदान केन्द्र की व्यवस्था करके, एक बीच का रास्ता अंगीकार किया जाता है। मतदान दल पूर्व अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार मतदान दिवस के दिन एक वाहन में गांव-गांव घूमता है और उसके बाद नियत अंतिम समय तक अंतिम गंतव्य स्थान पर रुकता है, जहां वे सभी व्यक्ति, जो सचल दल के दौरे के समय मत नहीं डाल सके थे, आ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। किंतु ऐसी व्यवस्था विरले ही की जाती है। राजस्थान विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन के दौरान, जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी छह सचल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में कतिपय अलग-थलग पड़े द्वीपों को कवर करने के लिए लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान भी कुछ सचल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई थी। इन क्षेत्रों में मतदान दलों के आवागमन के लिए मोटर नौकाओं का प्रयोग किया गया था।

7.6 अस्थायी मतदान केन्द्र

निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थायी संरचना में स्थापित किया जाएगा और उसे बार-बार परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तथापि, कभी-कभी कुछ आपात स्थितियों यथा प्राकृतिक आपदा या विधि एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण निर्वाचन आयोग अस्थायी इंतजाम के रूप में पहले अनुमोदित मतदान केन्द्र के स्थल से दूर, मतदान क्षेत्र में या उससे बाहर अस्थायी मतदान केन्द्र को अनुमोदित करता है।

7.6.1 अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थापित मतदान केन्द्र - पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसी प्रकार के अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों को अनुमोदन दिया है। ऐसी स्थितियों में निर्वाचनों के दौरान नामनिर्देशन प्रक्रिया के समापन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव से जुड़ी हिंसा के पिछले इतिहास के बारे में पुलिस अधीक्षक के परामर्श से क्षेत्रों में विधि एवं व्यवस्था की पुनरीक्षा करता है। यदि वह आवश्यक समझता है तो वह ऐसे क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को अन्यत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। अनुमोदनार्थ निर्वाचन आयोग को भेजे जाने से पहले प्रस्तावों

पर पुलिस प्राधिकारियों, निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों तथा मान्यताप्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ आगे और चर्चा की जाती है।

7.6.2 अस्थायी/वैकल्पिक मतदान केन्द्र - निर्वाचन आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा के लिए बनाए गए मतदान केन्द्रों को अन्यत्र ले जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आकस्मिक योजना के अधीन जम्मू एवं कश्मीर में पिछले साधारण निर्वाचन के दौरान वैकल्पिक मतदान केन्द्रों को अनुमोदित किया है। आकस्मिक योजना के अधीन संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित मतदान क्षेत्रों में अवस्थित मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त वैकल्पिक मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव करता है। यदि उक्त मतदान क्षेत्रों की जनसंख्या को सीमा पार से युद्ध विराम के उल्लंघनों के कारण बाहर निकाला गया है तो मतदान का इंतजाम इन वैकल्पिक मतदान केन्द्रों में किया जाता है। अन्यथा, सामान्य स्थितियों में, मतदान विद्यमान मतदान केन्द्रों में संचालित किया जाता है। सीमा-पार गोलीबारी के दौरान बाहर निकाले गए लोगों के लिए निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित आश्रयों/राहत शिविरों के निकट वैकल्पिक/मतदान केन्द्रों का सुझाव दिया जाता है।

अस्थायी मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए मानदंड

(i) अस्थायी मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित विद्यमान मतदान केन्द्रों के विकल्प के रूप में किया जाता है और ये पहाड़ी, भौगोलिक रूप से अगम्य आंतरिक क्षेत्रों तथा माओवादी/आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

(ii) ये मतदान केन्द्र प्रभावित क्षेत्रों में मतदान के लिए अंतिम क्षणों में इंतजाम के लिए होते हैं जिसके लिए पूर्व योजना बनाई जानी होती है तथा समुचित वैकल्पिक भवनों को चिह्नित किया जाना अपेक्षित होता है।

(iii) प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस रिपोर्टों तथा हिंसा के पिछले इतिहास के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव तैयार करते समय निर्वाचन संचालित करने के लिए तैनात मतदान दलों तथा पुलिस बल की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। यथा संभव, इन क्षेत्रों में, मतदान केन्द्र ऐसे स्थानों में बनाया जाना चाहिए जहां तक पहुंचना आसान एवं सुरक्षित हो। यदि उपलब्ध बल का अधिकतम उपयोग करने एवं उनके बीच तालमेल स्थापित करने के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों के समूह में की जाती है तो यह भी उपयोगी हो सकता है।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय प्रिंट/दृश्य मीडिया के माध्यम से मतदान केन्द्र को अन्यत्र स्थापित किए जाने के बारे में व्यापक प्रचार किया जाए तथा संबंधित निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय रहते लिखित में सूचित किया जाए।

7.7 'आदर्श मतदान केन्द्र' की संकल्पना

7.7.1 निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र प्रणाली को और अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाता के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए आदर्श मतदान केन्द्र की संकल्पना शुरू की है। ऐसे मूल्यवर्धन के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक तथ्य मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र में मतदाता को वास्तविक अनुभव होगा - मतदान के आसान एवं आरामदायक होने तथा संपूर्ण प्रक्रिया के साथ उसके जुड़ाव को मजबूती प्रदान करने, दोनों के संदर्भों में। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रायोगिक आधार पर दिल्ली विधान सभा के पिछले निर्वाचनों के दौरान दिल्ली में कतिपय आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किए गए।

(क) आदर्श मतदान केन्द्र में, तीन व्यापक मानदंडों में, मतदाता अनुभव संवर्धन की परिकल्पना की गई है:-

(क) भवन एवं सुविधाओं की वास्तविक संरचना-

(i) अच्छी स्थिति में भवन जिसकी दीवार पर नया पेंट किया गया हो

(ii) भवन में आसान पहुंच

(iv) मतदान कार्मिकों एवं मतदान अभिकर्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला फर्नीचर

(v) फाइबर ग्लास का मतदान कक्ष (कम्पार्टमेंट)

(vi) डिस्प्ले बोर्ड/साइनेज अर्थात् मतदान केन्द्र/ए सी का नाम, निर्वाचन आयोग का प्रतीक (लोगो), राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन वी डी) शपथ, 'निकास', 'प्रवेश', जैसे संकेतक (साइनेज), बुनियादी सुविधाएं आदि।

(vii) बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं अर्थात् बिजली (जेनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेट्रोमेक्स), पृथक शौचालय, पेयजल, शेड, रैम्प एवं विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर्स।

(viii) मतदाता सहायता बूथ, जहां बूथ लेवल अधिकारी तैनात हो जिसके पास वर्णक्रमानुसार निर्वाचक नामावली एवं अवितरित मतदाता पर्चियां हों।

(ix) अन्य सुविधाएं यथा मतदाताओं का जोरदार स्वागत और उन्हें दिए जाने के लिए पुष्प

(ख) बेहतर कतार प्रबंधन-

(i) कतार प्रबंधकों या रोप सेपरेटर्स का प्रयोग

(ii) स्वयंसेवियों की सहायता, टोकन का वितरण, कतार में मतदाताओं को पेयजल प्रदान करना

(iii) दृष्टिविहीन/अशक्त/वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान

(iv) कतार में मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था

(ग) मतदान स्टाफ/स्वयंसेवियों का व्यवहार

(i) मतदान स्टाफ के लिए एक समान पोशाक

(ii) मतदाताओं के लिए क्या करें एवं क्या न करें

(iii) चिकित्सा/प्राथमिक उपचार की व्यवस्था

(iv) मतदाताओं से प्रतिक्रिया लेने के लिए प्ररूप

अध्याय-8

मतदान केन्द्र में दिव्यांगों/महिलाओं/अशक्त/वृद्ध निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

8.1 दिव्यांग निर्वाचकों के लिए सुविधाएं:-

8.1.1 2004 की रिट याचिका (सिविल) सं. 187-डिस्एबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.10.2007 के आदेश में दिए गए उल्लिखित निदेशों के आलोक में निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि भिन्न रूप से सक्षम निर्वाचकों को मतदान केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:-

(i) मतदान कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भिन्न रूप से सक्षम निर्वाचकों को कतार में प्रतीक्षा किए बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश करने के लिए प्राथमिकता दी जाए और मतदान केन्द्र में उन्हें यथापेक्षित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

(ii) ऐसे निर्वाचकों के लिए उनकी व्हीलचेयर्स को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जहां मतदान केन्द्र सार्वजनिक भवनों में स्थित है, वहां विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के उपबंधों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए स्थायी रैम्प प्रदान किए जाने चाहिएं। ऐसे मतदान केन्द्रों, जहां स्थायी रैम्प प्रदान नहीं किए गए हैं, वहां इस प्रयोजनार्थ अस्थायी रैम्प प्रदान किए जाने चाहिए।

(iii) मतदान कार्मिकों को भिन्न रूप से सक्षम निर्वाचकों के प्रति शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा मतदान केन्द्र में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उनकी विशेष जरूरतों से अवगत कराया जाना चाहिए।

(iv) वाक् एवं श्रवण क्षीणता वाले निर्वाचकों का भी भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की ही तरह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

(v) इसके अतिरिक्त, भिन्न रूप से सक्षम एवं वृद्ध निर्वाचकों की सुविधा के लिए मतदान केन्द्र भवन के भूतल पर स्थापित किया जाना चाहिए।

8.1.2 दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा के लिए, आयोग ने आगे यह अनुदेश दिया है कि मतदान केंद्रों पर निम्नलिखित इंतजाम किए जाने चाहिए:-

(i) **संकेतक का प्रयोग:-** मतदान केन्द्रों, सहायता काउंटर, शौचालय आदि की पहचान के लिए स्पष्ट संकेतकों को रखा जाना चाहिए। संकेतक अंग्रेजी एवं राज्य की राजभाषा में नीले एवं सफेद रंग में अंतरराष्ट्रीय पहुंच प्रतीक में होने चाहिएं। अक्षर मानक आकार के होने चाहिएं तथा समुचित ऊंचाई पर होने चाहिएं ताकि विकलांग व्यक्ति दूर से ही आसानी से इन्हें देख सकें। संकेतक के लिए प्रयुक्त सामग्री गैर परावर्तक, चरक रहित एवं चमक रहित होनी चाहिए।

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य प्रवेश के निकट विशेष रूप से निर्दिष्ट पार्किंग स्थान की व्यवस्था।

(iii) व्हीलचेयर, बैसाखी आदि वाले निर्वाचकों के लिए आसानी से आने-जाने एवं गुजरने के लिए मतदान बूथ में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था।

(iv) विकलांग निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में आने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समय रहते पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

(v) निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को भी मतदान केन्द्रों में उपर्युक्त सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

8.1.3 दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त अनुदेश

दिव्यांग व्यक्तियों को समुचित और गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराया जाना और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सम्मानजनक एवं रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिनांक 07.09.2016 के पत्र सं. 464/अनुदेश/दिव्यांगजन/2016/ईपीएस के जरिए अतिरिक्त अनुदेश जारी किए हैं:-

(i) बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए एवं उसका अभिलेख डाटाबेस में रखा जाना चाहिए तथा श्रेणीवार पृथक सूची भी बनाए रखी जानी चाहिए।

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के नामों का मानचित्रण किया जाना चाहिए एवं उसकी सूची बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किन्तु निःशक्तजनों की निजता बनाए रखने हेतु निर्वाचक नामावली में उन्हें चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निःशक्तजनों पर विस्तृत अनुदेश तैयार किए जाने चाहिए एवं उसे मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित किया जाना चाहिए;

(iv) दृष्टिहीन निर्वाचकों की मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची एवं मतदाता पहचान पत्र (एपिक) को यथासंभव ब्रेल में तैयार किया जाना चाहिए;

(v) निःशक्त मतदाताओं हेतु पहियेदार कुर्सियों (व्हील चेयर) की अपेक्षा को पूरा करने हेतु सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए।

(vi) निःशक्त मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निष्पक्ष युवा स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

(vii) निःशक्त मतदाताओं हेतु, विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यथोचित मतदाता मार्गदर्शिका होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक मतदान केंद्र में निःशक्त मतदाताओं के लिए सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित की जानी चाहिए;

क. राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयुक्त ढाल वाले स्थायी रैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए;

ख. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) में ब्रेल सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए;

ग. मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए उपयुक्त योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए;

घ. मतदान केन्द्रों पर उचित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ix) दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने हेतु मतदान अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर तैयार किया जाना चाहिए;

(x) नीतिपरक मतदान हेतु उचित माहौल तैयार किया जाना चाहिए और स्वीप गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए;

(xi) उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्टेकहोल्डरों, राजनैतिक दलों, निर्वाचन तंत्र, मीडिया, निर्वाचकों को सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(xii) दिव्यांग व्यक्तियों हेतु, जहां वे बड़ी संख्या में निवास करते हैं, अनन्य मतदान बूथों, जहां तक यथा-साक्ष्य हो, की स्थापना यथासंभव की जानी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार, अन्य सुविधाएं, जैसे कि उचित शौचालय, मतदान केंद्रों के बाहर स्पर्शनीय संकेतक एवं दृष्टिबाधित मतदाताओं हेतु ब्रेल में मतदाता मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी जानी चाहिए;

(xiii) दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे मतदान केंद्रों के बारे में पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए जहां पहियेदार कुर्सियों हेतु ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है;

(xiv) जहां भी संभव हो, दृष्टिबाधित मतदाताओं हेतु ब्रेल में प्रतिरूपी (डमी) मतपत्र तैयार किए जाएं;

(xv) दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए पंजीकरण हेतु श्रव्य अनुप्रयोग जैसे कि वाक् एसएमएस (वेब या मोबाइल) तैयार किए जाने चाहिए;

निःशक्तता से ग्रस्त निर्वाचकों की सुविधा के लिए, आयोग ने आगे यह अनुदेश दिया है कि मतदान केंद्रों पर निम्नलिखित इंतजाम किए जाने चाहिएः-

8.2 **दृष्टिविहीन या अशक्त मतदाताओं के मतों को दर्ज करने की व्यवस्था-**

8.2.1 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ढ में दृष्टिविहीन या अशक्त निर्वाचकों के मतों को दर्ज करने के लिए विशेष व्यवस्था का उपबंध किया गया है। नियम में यह उपबंध किया गया है कि यदि पीठासीन अधिकारी इस बारे में संतुष्ट है कि दृष्टिविहीनता या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई निर्वाचक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलटिंग यूनिट पर प्रतीक को पहचानने या बिना सहायता के उस पर उपयुक्त बटन को दबाकर अपना मत दर्ज करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को उसकी ओर से एवं उसकी इच्छानुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कोष्ठ (कंपार्टमेंट) में कम से कम अठारह वर्ष के किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाने की अनुमति देगा।

8.2.2 इसके अतिरिक्त यह कि किसी व्यक्ति को एक ही दिवस को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचक के साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति के किसी दिवस को किसी निर्वाचक के साथ जाने की अनुमति दिए जाने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करवाई जानी अपेक्षित है कि वह निर्वाचक की

आरे से अपने द्वारा दर्ज मत को गुप्त रखेगा तथा यह कि वह उसी दिवस को किसी अन्य मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथ नहीं गया है।

8.2.3 ऐसे दृष्टिविहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ जाने वाले व्यक्ति से निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट V) में घोषणा प्राप्त की जाएगी।

8.2.4 पीठासीन अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 14क में ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड रखेगा। प्ररूप 14क में दृष्टिविहीन एवं अशक्त मतदाताओं का यह रिकॉर्ड एक पैकेट में रखा जाएगा जिसके ऊपर "गैर सांविधिक आवरण" लिखा जाएगा तथा इसे मतदान समाप्त होने के बाद संग्रहण केन्द्र में जमा किया जाएगा।

पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई स्टाफ दृष्टिविहीन/अशक्त निर्वाचक की ओर से मत रिकॉर्ड करने के लिए उसके साथ नहीं जाए।

8.3 सखी/गुलाबी मतदान केन्द्र (महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केंद्र)

8.3.1 भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिक रचनात्मक भागीदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में हाल के दिनों में हुए साधारण निर्वाचन के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केंद्र' को स्थापित करने का निदेश दिया है। इस तरह के/इन केंद्रों में तैनात समस्त मतदान कर्मचारी जिसमें पुलिस तथा सुरक्षा कार्मिक शामिल हैं, महिलाएं होंगी। इन महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केंद्रों का नाम 'सखी मतदान केंद्र' दिया गया है।

8.3.2 मतदान केंद्र में किसी विशेष राजनैतिक दल के रंग के असावधान/लापरवाह उपयोग से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने 'महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केंद्र' के लिए किसी विशिष्ट रंग का उपयोग नहीं किए जाने का निदेश दिया है। इन मतदान केंद्रों पर तैनात महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी रंग पहन सकती है। इसके अतिरिक्त, इन मतदान केंद्रों के निर्माण से जुड़ी सामग्री के लिए किसी एक रंग का उपयोग न किया गया हो।

8.4 मतदान केंद्रों में 'पर्दानशीन' महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था

यदि किसी मतदान केंद्र के लिए बड़ी संख्या में 'पर्दानशीन' (बुर्का पहनी हुई) महिला निर्वाचक निर्दिष्ट की जाती हैं तो पीठासीन अधिकारी को उनकी निजता, सम्मान एवं शिष्टता का सम्यक ध्यान रखते हुए पृथक एन्क्लोजर में किसी महिला मतदान अधिकारी द्वारा उनकी पहचान तथा उनकी बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने के लिए विशेष इंतजाम करना चाहिए। ऐसे विशेष एन्क्लोजर के लिए, पीठासीन अधिकारी को स्थानीय रूप से उपलब्ध किंतु सस्ती युक्तियों तथा स्थानीय कौशल का प्रयोग करना चाहिए, यथा चारपाई या कपड़े जैसे कि चादर का प्रयोग।

8.5 मतदान केंद्रों में वृद्ध/अशक्त व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम

8.5.1 निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे भवनों, जहां मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं, में समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वृद्ध/अशक्त निर्वाचकों के आवागमन को आसान बनाया जा सके।

8.5.2 भिन्न रूप से सक्षम एवं वृद्ध निर्वाचकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतदान केन्द्र, यथा संभव, भवन के भूतल में स्थापित किए जाने चाहिए।

8.5.3 वृद्ध, अशक्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को कतार में खड़े हुए बिना मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्याय 9

मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती

मतदान संचालित करने के लिए मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र में तैनात कार्मिकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाती है। मतदान कार्मिकों में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी शामिल हैं। उनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार यादृच्छिकीकरण साफ्टवेयर द्वारा की जाती है। मतदान दलों की सहायता तथा मतदान स्टाफ एवं रिटर्निंग ऑफिसर समन्वय के प्रयोजनार्थ बड़ी संख्या में क्षेत्र स्तरीय कार्मिक प्रदान किए जाते हैं।

9.1 लोक सभा/विधान सभा के एकल निर्वाचन में मतदान कार्मिक

लोकसभा/ विधान सभा के एकल निर्वाचन में, एक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी होते हैं।

(i) **प्रथम मतदान अधिकारी-** प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा तथा निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद, निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी की ओर अग्रसर होगा। वह मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं संतुष्ट होगा।

(ii) **द्वितीय मतदान अधिकारी-** द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा।
प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान किए जाने के बाद, द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी का यह देखने के लिए निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई निशान या अवशेष नहीं है तथा उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। अमिट स्याही नाखून के ऊपरी हिस्से से लेकर बायीं तर्जनी के पहले जोड़ के नीचे तक लाइन के रूप में मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क में) का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में उन निर्वाचकों, जिनकी पहचान प्रमाणित हो गई है और जो मतदान केन्द्र में मतदान कर चुके हैं, का समुचित ब्योरा रखने के लिए जिम्मेदार होगा। वह निर्वाचक को मत डालने की अनुमति देने से पहले उस रजिस्टर में प्रत्येक निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं को रजिस्टर में उसके (निर्वाचक के) ब्योरे की प्रविष्टि करने के बाद प्रत्येक निर्वाचक को मतदाता पर्ची भी जारी करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अमिट स्याही का निशान लगाए जाने के बाद पर्याप्त समय बीत जाए ताकि मतदान केन्द्र से प्रस्थान करने तक निशान सूख जाए। इस प्रयोजनार्थ, अमिट स्याही का निशान लगाए जाने के बाद ही मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता के मतदान केन्द्र से प्रस्थान करने से पूर्व अमिट स्याही का निशान सूख जाए।

(iii) **तृतीय मतदान अधिकारी-** तृतीय मतदान अधिकारी वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का
प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा जहां द्वितीय मतदान अधिकारी बैठता है। तृतीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही के निशान की जांच करेगा और निर्वाचक को द्वितीय मतदान अधिकारी

द्वारा जारी मतदाता पर्ची के आधार पर उस पर्ची में दर्शायी गई क्रम संख्या के अनुसार ही मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) की ओर अग्रसर होने की अनुमति देगा। वह कंट्रोल यूनिट पर 'बैलट' बटन को दबाकर मतदान कंपार्टमेंट में रखी गई बैलट यूनिट(टों) को सक्रिय करेगा। निर्वाचक को मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) की ओर अग्रसर होने की अनुमति देने से पहले, वह यह जांच करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट निशान हो। (यदि अमिट स्याही को मिटा दिया गया पाया जाता है तो तर्जनी पर दोबारा निशान लगाया जाना चाहिए)।

(iv) **कम निर्वाचकों वाले मतदान केन्द्र में मतदान दल-** जहां किसी मतदान केन्द्र के लिए निर्दिष्ट निर्वाचकों की संख्या कम होती है, वहां तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं ही निष्पादित किए जा सकते हैं, इस प्रकार मतदान दलों के गठन में आगे और मितव्ययिता बरती जाएगी। किसी विशेष जिले/निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्टाफ की कमी की स्थिति में, ऐसे स्थानों में, मतदान दल एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारियों, जो कि मानक रूप है, के बजाय दो मतदान अधिकारियों से मिलकर बन सकेगा। उस दशा में, प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य में मतदाता की पहचान के बाद मतदाता की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना भी सम्मिलित होगा। द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप 17क (मतदाता रजिस्टर) में प्रविष्टियां दर्ज करने और उसमें निर्वाचकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त, ऐसी दशाओं में 'कंट्रोल यूनिट' का भी अभिरक्षक होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी दशाओं में, जहां केवल दो मतदान अधिकारियों का उपयोग किया जाता है, वहां मतदाता पर्चियों की क्रम संख्या तैयार करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, द्वितीय मतदान अधिकारी 'कंट्रोल यूनिट' सक्रिय करेगा तथा उसके बाद मतदाताओं को ठीक उसी क्रम में, जिसमें वे मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में हस्ताक्षर करते हैं, मतदाता कंपार्टमेंट के भीतर भेजेगा। ऐसी दशाओं में, मतदाता केन्द्र में मतदाता पर्चियां तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी दशाओं में, जहां मतदान अधिकारियों की संख्या दो तक सीमित है, वहां निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को इसके बारे में पूर्व में ही लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। दो मतदाता अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में अभ्यर्थियों को बताया जाना चाहिए।

9.2 समकालिक निर्वाचनों में मतदान कार्मिक- लोक सभा और विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों में, मतदान दल एक पीठासीन अधिकारी तथा पांच मतदान अधिकारियों से मिलकर बनता है।

(i) **प्रथम मतदान अधिकारी** - वह निर्वाचकों की पहचान करेगा तथा निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा।

(ii) **द्वितीय मतदान अधिकारी** - वह अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

(iii) **तृतीय मतदान अधिकारी** - वह मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा।

(iv) **चतुर्थ मतदान अधिकारी** - वह लोक सभा के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

(v) **पांचवा मतदान अधिकारी** - वह राज्य विधान सभा के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

(vi) **चौथे एवं पांचवे मतदान अधिकारियों के महत्वपूर्ण कार्य-** यह प्रतीत होता है कि चौथे एवं पांचवे मतदान अधिकारियों को बहुत ही आसान कार्य सौंपा गया है। इसके विपरीत, लोक सभा एवं

विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की सफलता उनकी सतर्कता पर निर्भर करती है। उनका कार्य वोटिंग को सक्रिय करने के लिए 'बैलट' बटन को केवल दबाना नहीं है अपितु उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक निर्वाचक ठीक उसी क्रम में अपनी बारी आने पर मतदान करे जिस क्रम में उसे मतदाता पर्ची दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अनवरत निगरानी भी रखनी होती है कि जब वे किसी निर्वाचक को जाने एवं मत डालने के लिए निदेश देते हैं तब निर्वाचक सही मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) में जाता है और तदनुसार मत डालता है। अज्ञानता के कारण या अन्यथा, यदि कोई निर्वाचक इस बारे में निश्चित नहीं है कि मतदान के लिए अनुमति दिए जाने के बाद कहां जाना है और क्या करना है तो इन दो मतदान अधिकारियों का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचक सही प्रक्रिया का पालन करे। विशेष रूप से मतदान के पहले घंटे के दौरान, जब सामान्यतया काफी भीड़ होती है तब उन्हें अपने को शांत रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मतदान सुचारू ढंग से हो। जब कभी फुर्सत हो और किसी दशा में मतदान के प्रत्येक एक घंटे के बाद उन्हें मतदान रजिस्टर में दिखाई गई और दो कंट्रोल यूनिटों में यथा प्रदर्शित मतदाताओं की कुल संख्या और डाले गए कुल मतों का मिलान भी करना चाहिए।

9.3 पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का समग्र प्रभारी होता है। उसके कार्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं-

(i) बैलट यूनिटों और ड्राप बॉक्स सहित प्रिंटर को उनके संबंधित कंपार्टमेंट में रखना। किसी भी दशा में, बैलट यूनिट या कंट्रोल यूनिट या ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को सतह पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसे मेज पर रखा जाना चाहिए;

(ii) बैलट यूनिटों तथा ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को उनकी संबंधित कंट्रोल यूनिटों से जोड़ना;

(iii) पावर को बंद करना;

(iv) मतदान के वास्तविक रूप से प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पहले वहां उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को यह दिखाना कि वोटिंग मशीनें खाली हैं और उनमें कोई मत नहीं हैं।

(v) यह सुनिश्चित करने एवं मतदाता अभिकर्ताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए छद्म मतदान संचालित करना कि ईवीएम पूर्ण रूप में कार्य करने की स्थिति में है;

(vi) छद्म मतदान का परिणाम निकालना;

(vii) छद्म मतदान का प्रमाण पत्र तैयार करना;

(viii) उसे यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार, यदि किसी मतदान केन्द्र में कोई छद्म मतदान नहीं होता है तो उस मतदान केन्द्र पर कोई मतदान नहीं होगा।

(ix) यह सुनिश्चित करना कि 'लोक सभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट' में सीलबंद ग्रीन पेपर पर केवल लोक सभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उस समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित हैं, अपने हस्ताक्षर करेंगे और इसी प्रकार 'विधान सभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट' में सीलबंद ग्रीन पेपर पर विधान सभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करेंगे;

(x) यह देखना कि मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) को समुचित रूप से व्यवस्थित किया गया है, जिसमें उस निर्वाचन, जिससे संबंधित बैलट यूनिट एवं ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंट को अंदर रखा गया है, को

स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) के बाहर की ओर उपयुक्त पोस्टर चिपकाया गया है;

(xi) यह सुनिश्चित करना कि बैलट यूनिटों एवं ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को उनकी संबंधित कंट्रोल यूनिटों से जोड़ने के लिए केबल इस प्रकार रखे जाएं कि केबल दृष्टिगोचर हो और यह भी सुनिश्चित करना कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र के भीतर अपनी आवाजाही के दौरान केबल को पार न करना पड़े। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केबल मतदान कंपार्टमेंट के नीचे खुले में नहीं झूले;

(xii) यह सुनिश्चित करना कि मतदान दल के सभी सदस्य मतदान के प्रारंभ होने से पहले अपने स्थान पर हों तथा सभी सामग्री एवं रिकॉर्ड निर्धारित समय पर मतदान प्रारंभ करने के लिए तैयार रखे जाएं।

(xiii) मतदान दल के किसी भी सदस्य या किसी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के भीतर इधर-उधर घूमने से रोकना तथा उन्हें आबंटित सीटों पर बिठाकर रखना;

(xiv) मतदान प्रारंभ होने के लिए नियत समय पर वास्तविक मतदान को प्रारंभ करना;

(xv) मतदान की प्रगति के दौरान मतदाताओं की आवाजाही पर गहन निगरानी रखना तथा सचेत एवं सजग रहना ताकि कोई मतदाता बिना मतदान के वापस न जाए;

(xvi) यह सुनिश्चित करना कि मतदान के पहले घंटे के दौरान, जब मतदान साधारणतया काफी तेज होता है, मतदान दल का कोई सदस्य उसे आबंटित कार्यों में कोई लापरवाही न बरते;

(xvii) दोनों कंट्रोल यूनिटों पर डाले गए कुल मतों की आवधिक रूप से जांच करना और यह भी सुनिश्चित करना कि मतदाताओं ने मतदाता पर्ची पर दी गई क्रम संख्या के अनुसार मत डाला है;

(xviii) यह सुनिश्चित करना कि लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन के लिए प्ररूप 17ग की प्रतियां केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को दी जाएं और विधान सभा निर्वाचन के लिए प्ररूप 17ग की प्रतियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को प्रदान की जाएं।

(xix) नियमित अंतरालों पर यह सुनिश्चित करने के लिए बैलट यूनिट की जांच करना कि मतदाता ने किसी भी प्रकार से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर कतार में पहले से मौजूद मतदाता को मत डालने की अनुमति दी जाएगी।

(xx) एएसडी मतदाताओं की पहचान - पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहचान दस्तावेज (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति दिए गए वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक) का सत्यापन करेगा तथा मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में समुचित ब्योरा दर्ज करेगा। एएसडी मतदाताओं के अंगूठे का निशान (ऐसे निर्वाचक के मामले में भी जो साक्षर है और हस्ताक्षर कर सकता है) मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान' स्तंभ के सामने हस्ताक्षर के अतिरिक्त लिया जाएगा। मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी एक प्रमाण पत्र देगा (जांच के लिए मतदाता रजिस्टर के साथ रखे जाने वाले के लिए) कि कई एएसडी मतदाताओं को जांच के उपरांत मत डालने की अनुमति दी गई है। जहां कहीं संभव हो, एएसडी मतदाताओं का फोटो लिया जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

9.4 क्षेत्र अधिकारी

सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट

(i) भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन के लिए प्रत्येक 10-12 मतदान केन्द्रों के लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की है। कुछ राज्यों में सेक्टर अधिकारियों के अधीन जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ये राज्य सरकार के कार्मिक होते हैं जो मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण का अनुवीक्षण-

(क) सेक्टर अधिकारियों को यादृच्छिक रूप से यह जांच करनी चाहिए कि फोटो मतदाता पर्चियां निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार वितरित की जा रही हैं तथा यदि कोई अंतर पाया जाता है तो इसे शीघ्र सही किया जाना चाहिए। सेक्टर अधिकारियों को फोटो मतदाता पर्ची रजिस्टरों से यह भी सत्यापित करना चाहिए कि सभी पर्चिया रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार की गई समय-सारणी के अनुसार वितरित कर दी गई हैं और कि पावती के रूप में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान रजिस्टर पर ले लिए गए हैं।

(ख) फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण का कार्यक्रम राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा और इसकी पावती ली जाएगी। बूथ लेवल अभिकर्ता/निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के अभिकर्ता फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के साथ जा सकते हैं और वितरण प्रक्रिया को देखने के संकेत के रूप में रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

(ग) वे फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण का अनुवीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी फोटो मतदाता पर्चियों का पूरी तरह वितरण हो तथा उनका सम्यक रूप से लेखा-जोखा रखा गया हो।

(घ) बूथ लेवल अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के थोक वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने फोटो मतदाता पर्चियों के अनुचित वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेक्टर अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं। ऐसी सभी शिकायतों की त्वरित रूप से पड़ताल की जानी चाहिए और शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(च) फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण का कार्य मतदान की तारीख से कम से कम 5 पूर्ण दिवस पहले पूरा किया जाना चाहिए।

(छ) अवितरित फोटो पर्ची मतदान दिवस के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर फैसिलिटेशन/हेल्प डेस्क पर रखी जाएगी जहां बूथ लेवल अधिकारी तैनात होगा।

(ज) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फोटो मतदाता पर्चियों की कोई फोटो प्रतियां वितरण प्रयोजन के लिए नहीं की जाएंगी तथा सेक्टर अधिकारी यादृच्छिक जांच करेंगे तथा प्रभावी रीति से फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण सुनिश्चित करेंगे तथा बूथ लेवल अधिकारियों के निष्पक्ष आचरण तथा इन पर्चियों के निष्पक्ष वितरण के बारे में कहीं से भी प्राप्त शिकायतों, यदि कोई है, का निराकरण करेंगे।

i. फोटो मतदाता पर्चियों के किसी अनधिकृत वितरण/कब्जे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के सुसंगत उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और कारावास या जुर्माना या

दोनों से दडनीय होगा। इस संबंध में अनुदेशों को अन्य अनुदेशों यथा, मतदान केन्द्र के भीतर कोई कैमरा (स्टील/वीडियो/डिजिटल) या मोबाइल फोन न लाएं, के साथ फोटो मतदाता पर्चियों के पीछे मुद्रित किया जाएगा।

ii. पीठासीन अधिकारियों के साथ समन्वय - वे मतदान से जुड़े किसी संकट में पीठासीन अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे और निर्वाचन एवं अन्य विधि और व्यवस्था संबंधी स्थिति के बारे में रिटर्निंग आफिसर को त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

iii. उनका संपर्क नंबर मतदान सामग्री के वितरण के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ प्रदान किया जाएगा ताकि वे किसी आपात स्थिति में उनसे संपर्क कर सकें। ईवीएम के सही ढंग से कार्य नहीं करने की दशा में, सेक्टर अधिकारी यथाशीघ्र उनको बदलने का इंतजाम करते हैं।

iv. मतदान दिवस को, सेक्टर अधिकारी यह सत्यापित करने पर विशेष ध्यान देगा कि क्या वेदनशील निवास क्षेत्रों/समुदायों के मतदाता मतदान के लिए आ रहे हैं या नहीं। यदि, वे पाते हैं (यह निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, जहां उन मतदाताओं के सामने सही का चिह्न लगाया जाता है, जो मत डाल चुके हैं, से देखा जा सकता है) कि कुछ वर्गों के मतदाता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं तो उन्हें इसके बारे में तुरंत रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना चाहिए।

9.5 प्रेक्षक

(i) निर्वाचन आयोग अब निर्वाचनों में साधारणतया अपने प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रेक्षक नियुक्त करता है। जहां साधारण प्रेक्षक सामान्यत विधि एवं व्यवस्था की स्थिति, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रेक्षण करते हैं, वहीं व्यय प्रेक्षक को यह देखना होता है कि क्या अभ्यर्थियों द्वारा किया गया व्यय विहित सीमा के भीतर है या नहीं। कुछ क्षेत्रों में पुलिस प्रेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) प्रेक्षक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ख के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सांविधिक प्राधिकारी होते हैं।

(iii) प्रेक्षकों को यादृच्छिक जांच करने तथा फोटो मतदाता पर्चियों का प्रभावी रीति से वितरण सुनिश्चित करने और फोटो मतदाता पर्चियों के निष्पक्ष वितरण के बारे में बूथ लेवल अधिकारियों के आचरण के बारे में कहीं से भी प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हैं, का निराकरण करने के लिए माइक्रो प्रेक्षकों एवं सेक्टर अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

(iv) मतदान के दिन प्रेक्षक स्वयं निर्दिष्ट क्षेत्र में मतदान केन्द्रों का दौरा करते हैं। मतदान अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे उन्हें उचित सम्मान दें और उनके प्रति शिष्टता बरतें, जब वे मतदान केन्द्र में आते हैं तथा उन्हें ऐसी सूचना दें जो उन्हें निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो। पीठासीन अधिकारी को भी प्रेक्षक को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करानी चाहिए जो उसके पास नेमी (रूटीन) सूचना के अतिरिक्त हो। पीठासीन अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वह प्रेक्षक को मतदान केंद्र में अनुपस्थित, अन्यत्र चले गए एवं डुप्लीकेट मतदाता की सूची (एएसडी सूची) उपलब्ध कराए। प्रेक्षकों को बताया जाता है और निदेश दिया जाता है कि उन्हें केवल मतदान केन्द्र में हो रहे मतदान का प्रेक्षण करना है और वह मतदान अधिकारियों को

कोई निदेश नहीं देंगे। तथापि, यदि वह निर्वाचकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने या मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देते हैं तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे सुझाव पर उचित ध्यान देना चाहिए। साथ ही, यदि, पीठासीन अधिकारी को कोई विशेष समस्या हो रही है या अपने मतदान केन्द्र में कोई कठिनाई अनुभव हो रही है तो वह इसे प्रेक्षक के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि वह उस मामले को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग आफिसर या किन्हीं अन्य संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाकर उस समस्या का निराकरण करने या उस कठिनाई को दूर करने में पीठासीन अधिकारी के लिए मददगार हो सकते हैं। प्रेक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बैज को लगाए होंगे और उनके पास आयोग द्वारा जारी नियुक्ति पत्र एवं प्राधिकार पत्र भी होंगे। प्रेक्षकों से 'आगमन शीट' जो पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संलग्न करके दी जाती है, पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जमा करेगा।

9.6 संबद्ध अधिकारी

9.6.1 माइक्रो प्रेक्षक

(i) चूंकि कभी-कभी साधारण प्रेक्षक के लिए, उन्हें आबंटित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र का दौरा करना और पूरे समय किसी मतदान केन्द्र पर उपस्थित होना संभव नहीं होता है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षण की प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार माइक्रो प्रेक्षक नियुक्त करके माइक्रो प्रबंधन की मदद से मतदान केन्द्रों पर निर्वाचनों का प्रबंधन करने का सजग भाव से निर्णय हाल ही में लिया है। निर्वाचन आयोग ने माइक्रो प्रेक्षकों की प्रणाली और कुछ पूर्व-चयनित गंभीर मतदान केन्द्रों पर डिजिटल/वीडियो कैमरे के प्रयोग को शुरू किया है।

(ii) सूक्ष्म प्रेक्षक (एमओ) निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अधीन विशेष कार्य के लिए सृजित पद है। माइक्रो-प्रेक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारियां एवं कार्य, निर्दिष्ट मतदान केन्द्र लेकर निर्वाचन क्षेत्र के साधारण प्रेक्षक तक, मतदान प्रक्रिया में अंतर की रिपोर्टिंग के इर्द-गिर्द घूमते हैं। माइक्रो-प्रेक्षकों को जोखिम मानचित्रण में चिह्नित संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। ये माइक्रो-प्रेक्षक सीधे साधारण प्रेक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(iii) माइक्रो प्रेक्षक को साइलेंट मोड में मोबाइल फोन साथ में रखने की अनुमति होती है ताकि किसी जरूरत की दशा में वह नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय कर सकें।

(iv) माइक्रो प्रेक्षक से अपेक्षा होती है कि वे मतदान प्रारंभ होने से एक घंटे अर्थात् सुबह में 7 बजे से पूर्व मतदान केन्द्र पहुंचें और दिनभर मतदान केन्द्र पर तैनात रहें। उन्हें मतदान के दौरान मतदान के लिए तैयारी का आकलन करना होता है और वह पूर्व मुद्रित प्रपत्र पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियमित रूप से लिखेंगे किंतु किसी भी दशा में माइक्रो-प्रेक्षक पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे या उन्हें कोई निदेश नहीं देंगे। उनका कार्य यह देखना है कि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रीति से की जा रही है तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। बहु मतदान केन्द्र भवनों/स्थानों में, माइक्रो प्रेक्षक उस स्थान पर सभी

मतदान केन्द्रों के लिए जिम्मेदार होंगे। एक स्थान पर मतदान केन्द्र में अलग से माइक्रो-प्रेक्षक तैनात करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो प्रेक्षक मतदान केन्द्रों के बीच अपने समय को विभाजित करेंगे और लगातार अंतरालों पर एक ही परिसर के भीतर सभी मतदान केन्द्रों पर जाएंगे। वे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ताओं को इसके बारे में बताएंगे कि वे उपलब्ध हैं, यदि वे (अभिकर्ता) उनकी नोटिस में कुछ लाना चाहते हों। साधारण प्रेक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में माइक्रो प्रेक्षकों की उनकी अपेक्षाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के निकट संपर्क में रहेंगे। प्रत्येक माइक्रो-प्रेक्षक के पास मतदान केन्द्रों में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी फोटो पास एवं पहचान पत्र होगा।

(v) माइक्रो प्रेक्षकों की मुख्य जिम्मेवारियां:-

(क) मतदान के दिन निर्वाचन संचालन से संबंधित विधियों एवं नियमों से परिचित होना।

(ख) यह देखना कि क्या पहचान दस्तावेज विवरणों को मतदाता अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर (प्ररूप17क) में सावधानीपूर्वक भरा जा रहा है।

(ग) पूरे दिन निर्धारित मतदान बूथ में उपस्थित रहना/उसका दौरा करना तथा निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं का प्रेक्षण करना।

(घ) यह प्रेक्षण करना कि क्या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) की ओर जा रहा है या मतदाताओं को अनुचित अनुदेश दे रहा है।

(ङ) यह जांच करना कि क्या अनुपस्थित, अन्यत्र चले गए एवं डुप्लीकेट सूची (एएसडी सूची) में मतदाताओं की जांच निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक की जा रही है।

(च) प्रेक्षक को उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रत्येक मतदान बूथ के लिए मतदान दिवस के क्रियाकलापों के बारे में सूचित करना।

(छ) यह जांच करना कि क्या वोटिंग मशीन को निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सीलबंद किया गया।

(ज) मतदान अभिकर्ता/ओं, निर्वाचन अभिकर्ता/ओं या किसी राजनैतिक दल की शिकायतों का पता रखना और शिकायत की प्रकृति एवं गंभीरता को समझना।

(झ) मतदान के बाद, माइक्रो-प्रेक्षक को संग्रहण केंद्रों में साधारण प्रेक्षक को सूचित करना चाहिए तथा रिपोर्ट वाले लिफाफे सौंपना चाहिए।

(ञ) यह प्रेक्षण करना कि क्या पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल को पर्याप्त मतदान सामग्री प्रदान की गई है। साधारण प्रेक्षक के ध्यान में उपलब्ध संचार चैनल, फोन, बेतार या किन्हीं अन्य साधनों की मदद से कोई बात लाना, जब कभी उन्हें महसूस होता है कि मतदान को किसी कारण से दूषित किया जा रहा है।

(vi) माइक्रो प्रेक्षक के मुख्य कार्य:-

(क) सूक्ष्म प्रेक्षक के लिए प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए मतदान के दिन निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी यथा, मतदान दल की उपस्थिति, छद्म मतदान, मतदान बूथ पर सुविधाओं, सुरक्षा इंतजाम आदि का आकलन करना।

(ख) जिला निर्वाचन अधिकारी से अपना फोटो पास, पहचान पत्र एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करना।

(ग) साधारण प्रेक्षक द्वारा दिए गए अनुदेशों को समझना। साधारण प्रेक्षक के अनुदेशों पर यादृच्छिक जांच करना और प्रभावी रीति से फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण सुनिश्चित करना और फोटो मतदाता पर्चियों के निष्पक्ष वितरण में बूथ लेवल अधिकारियों के आचरण के बारे में कहीं से भी प्राप्त शिकायतों, यदि कोई है, का निराकरण करना।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी से संचार योजना लेना।

(ङ) मतदान केन्द्र पर मतदान से कम से कम एक घंटे पूर्व या यदि स्थिति के अनुसार अपेक्षित हो, तो एक दिन पूर्व पहुंचना।

(च) छद्म मतदानों के समय उपस्थित होना।

(छ) बैलट यूनिट के आंकड़े का ट्रैक रखना कि क्या छद्म मतदानों के बाद उन्हें समुचित ढंग से मिटाया गया।

(ज) छद्म मतदान के दौरान मतदान अभिकर्ता और राजनैतिक दलों की उपस्थिति पर नजर रखना।

(झ) यह जांच करना कि क्या एक ही राजनैतिक दल के एक से अधिक मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित हैं।

(ञ) छद्म मतदान के समय को लिखना।

(ट) यह देखना कि क्या अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पास प्रणाली का पालन किया जाता है या नहीं।

(ठ) यह देखना कि मत डालने की अनुमति देने से पूर्व क्या मतदाताओं की पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या अन्य विधिमान्य दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद की गई।

(ड) यह देखना कि क्या सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान बूथ का दौरा किया जा रहा है या नहीं।

(ढ) यह देखना कि क्या मतदान केन्द्र पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है।

(ण) यह देखना है कि क्या प्रति घंटे डाले गए कुल मत का मिलान ईवीएम और निर्वाचक नामावली (17क) से किया जाता है।

(त) मतदान केन्द्र में मतदान प्रारंभ होने एवं समाप्त होने के समय को देखना।

(थ) यह जांच करना कि क्या मतदान अभिकर्ताओं को बैलट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट और ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने की अनुमति दी गई।

(द) यह जांच करना कि क्या डाक मतपत्र के साथ जारी मतों की सूची पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं के पास उपलब्ध थी।

(ध) यह देखना कि क्या प्रवेश पास प्रणाली को मतदान बूथ/थों पर समुचित ढंग से लागू किया गया।

(न) यह देखना कि क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति किसी भी समय मतदान केन्द्र के भीतर था।

(ऩ) यह देखना कि क्या मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाने का कार्य समुचित ढंग से किया गया।

(प) यह नोट करना कि क्या प्ररूप 17ग में दर्ज मतों के लेखा-जोखा की प्रतियों मतदान अभिकर्ताओं को दी गई हैं।

(फ) यह देखना कि क्या मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) को समुचित ढंग से रखा गया।

(ब) यह देखना कि क्या घटनाएं होने पर उनको पीठासीन अधिकारी की डायरी में दर्ज किया गया।

(भ) साधारण प्रेक्षक के लगातार संपर्क में रहना और समय-समय पर उन्हें रिपोर्ट देना।

9.6.2 हेल्प डेस्क पर बूथ लेवल अधिकारी

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र में हेल्प डेस्क डयूटी के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी को मतदान केन्द्र के बाहर, तथापि, मतदान केन्द्र के स्थान के परिसरों में मतदाताओं के लिए सुविधाजनक स्थान पर पृथक रूप से बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम किया जाए ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। यह सिफारिश की जाती है कि साइनबोर्ड के साथ और यथा-संभव मतदान केन्द्र के स्थान के मुख्य प्रवेश के बहुत ही निकट उसके बैठने का इंतजाम किया जाए ताकि निर्वाचकों के मतदान केन्द्र के स्थान पर पहुंचने पर उनका ध्यान आकृष्ट हो। बूथ लेवल अधिकारी मतदान दिवस को मतदाता सूची के साथ वितरण हेतु हेल्प डेस्क पर वर्ण क्रमानुसार अवितरित फोटो पर्चियां रखेगा। वह सूची पर ही वितरण रिकॉर्ड (मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान) रखेगा तथा सूची एवं अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों, यदि कोई हैं, को मतदान समाप्त होने के बाद अंतिम रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपेगा।

9.6.3 मतदाता सहायता बूथ कार्मिक

प्रत्येक परिसर/भवन के स्थान जहां 3 या अधिक मतदान केन्द्र स्थित हैं, के लिए मतदाता सहायता बूथ कार्य करेगा। प्रत्येक मतदाता सहायता बूथ के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्मिकों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। ऐसा नियोजन केवल मतदान दिवस के लिए ही होगा। इसका उद्देश्य मतदाता को उसके मतदान केन्द्र संख्या एवं निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या का पता लगाने में सहायता करना है। इसके लिए भाग-वार निर्वाचक नामावली वर्णक्रमानुसार तैयार की जाती है। किसी भाग के भीतर नामों की वर्ण क्रमानुसार व्यवस्था को आगे सेक्शन-वार विभाजित नहीं किया जाता है। वर्णक्रमानुसार सूची अधिमानत: अंग्रेजी में मुद्रित की जानी चाहिए। एक/दो मतदान केन्द्र भवनों के लिए, कोई पृथक टीम या मतदाता सहायता बूथ अपेक्षित नहीं है। ऐसी दशाओं में वर्णक्रमानुसार नामावली लोकेटर, मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की आसानी से पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी को दी जाती है (चिह्नित प्रति के अतिरिक्त)। मतदाता सहायता बूथ कार्मिकों के बैठने के लिए आवश्यक इंतजाम किया जाना होता है। ''मतदाता सहायता बूथ'' को दर्शाते हुए संकेतक इस रीति से रखा जाता है कि यह मतदाताओं को उनके परिसर/ भवन में पहुंचते ही स्पष्ट दिखाई दे। मतदाता सहायता बूथ कार्मिक ऐसी सूचना चाहने वाले प्रत्येक निर्वाचक की बूथ संख्या एवं क्रम संख्या का पता लगाएंगे।

9.6.4 वीडियोग्राफर/डिजिटल फोटोग्राफर

(i) उच्चतम न्यायालय के सुझाव (सिविल अपील सं. 2003 का 9228-जनक बिंघम बनाम दास राय एवं अन्य) पर डिजिटल फोटोग्राफी शुरू की गई किंतु मतदान की गोपनीयता पर किसी समझौते

की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से निदेश दिया है कि डिजिटल कैमरे वाले व्यक्ति को निम्नलिखित का फोटो लेना है:

- बिना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र/निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र के मत डालने के लिए आने वाले सभी निर्वाचकों का फोटो उसी क्रम में लिया जाना है जिस क्रम में उनकी प्रविष्टि प्ररूप 17क में है, फोटो प्रवेश के शीघ्र बाद लिया जाना है।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम यथा:

- मतदान आरंभ से पहले छद्म मतदान और ईवीएम को सीलबंद करना
- मतदान कक्ष स्थापित करना (पृष्ठभूमि को भी कवर करते हुए कम से कम 3 फोटो।
- मतदान केन्द्र में तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल/राज्य पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति
- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति
- चुनौती दिए गए/निविदत्त मतों/एएसडी सूची में अनुपस्थित मतदाता के मामले में निर्वाचकों का फोटो
- मतदान के निर्धारित समय के समाप्त होने के बाद प्रतीक्षारत मतदाता और कतार में अंतिम मतदाता।
- सेक्टर अधिकारियों, प्रेक्षकों एवं अन्य निर्वाचन कार्मिकों के दौरे। मतदान के समाप्त होने पर वह एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि:- "मैंने ऐसे सभी निर्वाचकों का फोटो लिया है जिन्होंने तारीख--------------को मतदान केन्द्र संख्या------------------पर मत डाला है और कैमरे में फोटो की कुल संख्या-----------------है।

(ii) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की और अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर गंभीर (क्रिटिकल) घटनाक्रमों की यथासंभव वीडियोग्राफी करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के सुझाव का अनुपालन करते हुए, निर्वाचन आयोग ने अब अनुदेश दिया है कि मतदान कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी मतदान केन्द्र के भीतर तथा प्रेक्षक के परामर्श से की जा सकेगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा कि वीडियोग्राफी करते समय इससे मत की गोपनीयता का उल्लंघन न हो अर्थात् यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मत दर्ज करते हुए मतदाता की विडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए। तथापि, मतदान की साधारण व्यवस्था एवं गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के भीतर मीडियाकर्मियों या किन्हीं अन्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार, शांति एवं व्यवस्था के अध्यधीन किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की भीड़ का फोटो लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में मतदान केन्द्र के भीतर किसी व्यक्ति के मत देने की वास्तविक प्रक्रिया/मतदान कक्ष (कंपार्टमेंट) का फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, किसी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में निर्वाचक द्वारा वोटिंग मशीन की बैलट यूनिट पर अपना मत दर्ज किए जाने की प्रक्रिया का फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.6.5 ग्राम अधिकारी

ग्राम अधिकारी या अन्य अधिकारी या महिला परिचर, पीठासीन अधिकारी द्वारा जिसकी नियुक्ति निर्वाचकों की पहचान में उसे मदद करने या मतदान की प्रक्रिया में अन्यथा सहायता देने के लिए की जाती है, को सामान्यता मतदान केन्द्र के प्रवेश के बाहर बिठाया जाना चाहिए। उसे मतदान केन्द्र में केवल तब ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए जब किसी विशेष निर्वाचक की पहचान के लिए या मतदान की प्रक्रिया से संबंधित किसी विशेष प्रयोग के लिए मदद हेतु उसकी सहायता अपेक्षित है। मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को शब्दों द्वारा या इशारों द्वारा किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मत डालने के लिए निर्वाचकों को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

9.7 मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा कार्मिक

निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए मतदान केन्द्रों पर राज्य पुलिस कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को तैनात करता है। स्थानीय राज्य पुलिस (इसके सभी रूपों सहित) और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और वे सभी प्रयोजनों के लिए उसके अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन आते हैं। निर्वाचन आयोग इन सभी बलों की सहायता से निर्वाचन संचालित करता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 11.01.2005 के आदेश सं. 2003 का 9228 (जनक सिंह बनाम राम दास राय एवं अन्य) में दिए गए निदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कवरेज वाले मतदान केन्द्रों पर, मतदान केन्द्र पर तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का एक जवान मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा होगा ताकि वह मतदान केन्द्र के अंदर चल रही कार्यवाहियों पर नजर रख सके ताकि विशेषकर यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अनधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश न कर सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कार्मिक मतदान के भीतर तैनात न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के जवानों को केवल उन मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया जाएगा जहां केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की तैनाती है। आगे यह और स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का जवान मतदान केन्द्र में अपने मत डालने आने वाले निर्वाचकों की पहचान सत्यापित नहीं करेगा क्योंकि ऐसा सत्यापन करना मतदान कार्मिकों की डयूटी है।

9.8 पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कार्मिकों के बीच समन्वय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 में यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र में अनुचित रीति से व्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी उसे वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा सकता है और उसका अभियोजन करवा सकता है। चूंकि, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की तैनाती मतदान केन्द्र पर सुरक्षा प्रयोजन के लिए पुलिस की हैसियत में की जाती है, इसलिए, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कार्मिकों को राज्य पुलिस के साथ सामान्य रूप में पुलिस माना जाना

चाहिए और मतदान केन्द्र में किसी गैर कानूनी क्रियाकलाप के लिए पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र में किसी दुराचरण (णों) को रोकने के लिए मतदान केन्द्र में तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की सेवाओं का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। यदि मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वारा पर तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल जवान उपर्युक्तानुसार निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन देखता है या मतदान केन्द्र के भीतर चल रही किसी असामान्य घटना को देखता है तो वह मतदान प्रक्रिया में दखल नहीं देगा अपितु इसकी सूचना मतदान केन्द्र में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के प्रभारी या साधारण प्रेक्षक को देगा। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का प्रभारी उसके बाद शीघ्र इसे रिटर्निंग आफिसर और साधारण प्रेक्षक के ध्यान में लिखित रूप में लाएगा ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रिटर्निंग आफिसर/प्रेक्षक आगे आयोग के अनुदेशों के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के दलों से प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्टों की सूचना उसे देंगे। ऐसे भवनों में, जहां एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं एवं जहां केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का केवल आधा सेक्शन तैनात है, वहां मतदान के प्रवेश द्वार पर डयूटी के लिए चयनित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल जवान से कहा जाना चाहिए कि वह मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान पर जाते-आते रहे। निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि पीठासीन अधिकारी और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के बीच बेहतर समन्वय के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जहां उसे मतदान प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाली किसी अप्रिय घटना की दशा में सभी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाए।

9.9 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल (सीपीएमएफ) और राज्य पुलिस की भूमिकाएं एवं उत्त्तरदायित्व

निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को मतदान केन्द्र के भीतर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने मतदानों के संचालन में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और राज्य पुलिस की भूमिका के संदर्भ में अपने निदेशों की निम्नानुसार आगे और विस्तृत व्यवस्था की है:

(i) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की भूमिका-

क) जहां कहीं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए समय रहते पहुंचता है, वहां वह फ्लैग मार्च, स्थल गश्त एवं विश्वास पैदा करने संबंधी अन्य क्रियाकलाप करेगा।

ख) मतदान से पूर्व दिवस को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल अपने-अपने मतदान केन्द्रों में मोर्चा ले लेंगे और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेंगे।

ग) मतदान दिवस को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने तथा मतदान केन्द्रों के भीतर प्रवेश को विनियमित करने के लिए जिम्मेवार होगा। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का एक जवान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर चल रही कार्यवाहियों को देखने के लिए मतदान केन्द्र के दरवाजे पर तैनात रहेगा (स्थिर रूप में या एक मतदान केन्द्र से दूसरे केन्द्र जाते-आते रहकर)। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के कंपनी कमांडर भी मतदान केन्द्रों के सम्बद्ध क्षेत्र में क्षेत्र नियंत्रण बल एवं विश्वास पैदा करने संबंधी उपाय के रूप में अपने-अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में घूमेंगे।

घ) यदि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल किसी कारण से केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल द्वारा कवर किए गए मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंच पाता है तो मतदान आरंभ नहीं होगा।

ङ) मतदान पूरा होने के बाद मत डाले गए ईवीएम और पीठासीन अधिकारियों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के समूह द्वारा रिसेप्शन सेंटर तक हिफाजत से पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में ब्योरे जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा समय रहते प्रेक्षक के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

च) केन्दीय अर्ध सैनिक बल स्ट्रांग रूम, जहां मत डाले गई ईवीएम का भंडारण किया जाता है और गणना के दिन तक रखा जाता है, की पहरेदारी के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(ii) स्थानीय राज्य पुलिस की भूमिका-

(क) राज्य पुलिस मतदान केन्द्रों के जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्र तथा मतदान परिसरों (मतदान केन्द्रों से यथा भिन्न) के भीतर एवं बाहर सामान्य विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार रहेगी।

(ख) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल द्वारा कवर किए गए मतदान केन्द्रों में, जहां कहीं स्थानीय राज्य पुलिस मतदान परिसरों के भीतर तैनात रहती है, वहां वे स्वयं मतदान केन्द्र तथा निर्वाचकों की कतार से यथाचित दूरी पर रहेंगी।

(ग) यह सलाह दी जाती है कि एक या दो बिना हथियार वाले स्थानीय राज्य पुलिस कार्मिक/होम गार्ड प्रत्येक मतदान परिसर पर तैनात रहेंगे ताकि यदि अपेक्षा हो तो और अधिक कार्मिकों को बुलाया जा सके।

(घ) किसी भी स्थिति में, स्थानीय राज्य पुलिस मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का स्थान नहीं लेगी और स्थानीय राज्य पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी टुकड़ी सहित अथवा टुकड़ी के बिना भी स्वयं को मतदान केन्द्र पर तैनात नहीं करेगा तथा न ही वहां केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल का अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा।

(ङ) तथापि, स्थानीय राज्य पुलिस को आपवादिक परिस्थितियों में मतदान केन्द्रों पर केवल तब तैनात किया जा सकेगा जब केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हों और वह भी अपने प्रेक्षक के माध्यम से निर्वाचन आयोग के विशिष्ट अनुदेशों के अधीन।

(च) विधि एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह स्थानीय राज्य पुलिस की होगी। निर्वाचन आयोग ने अनुदेश दिया है कि मतदान केन्द्र क्षेत्र के भीतर छोटे गांव/निवास क्षेत्रों, जो डराने-धमकाने, अभित्रास एवं अनुचित प्रभाव के जोखिम से परिपूर्ण है, को चिह्नित किया जाएगा और सभी आवश्यक विश्वास पैदा करने वाले और निवारक उपाय समय रहते किए जाएंगे। स्थानीय राज्य पुलिस इस कार्य को अत्यधिक महत्व देगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पॉकेट के मतदाताओं को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न हो।

अध्याय-10
मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन इंतजाम

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी/मतदान पदाधिकारियों के लिए साधारण अनुदेश**
- ✓ **मतदान केन्द्र के भीतर इंतजाम**
- ✓ **मतदान केन्द्रों के भीतर 'निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर लोक सेवकों' के प्रवेश को शासित करने संबंधी दिशानिर्देश**
- ✓ **मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द इंतजाम**
- ✓ **मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित दिशानिर्देश**
- ✓ **मतदान केन्द्र पर सुरक्षा इंतजाम**
- ✓ **मतदान केन्द्र पर अन्य इंतजाम**

मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र में संचालित की जा रही मतदान प्रक्रिया का समग्र प्रभारी होता है। वह मतदान केन्द्र में और मतदान केन्द्र से बाहर व्यवस्था बनाए रखने और आयोग के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होता है।

10.1 मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी/मतदान पदाधिकारियों के लिए साधारण अनुदेश

10.1.1 मतदान कार्मिकों की निष्पक्षता आवश्यक है - पीठासीन अधिकारी को सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को समान मानना चाहिए और प्रत्येक विवादित बिंदु का निष्पक्ष रूप से एवं न्यायोचित रूप से निराकरण चाहिए। उसका कौशल, दृढ़ता एवं निष्पक्षता किसी भी शांति-भंग के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रक्षोपाय हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो पीठासीन अधिकारी, न ही मतदान केन्द्र पर किसी अन्य अधिकारी को कोई ऐसा कृत्य करना चाहिए जो निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की प्रत्याशाओं को बढ़ाने के रूप में हो। इसके अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान केन्द्र में अन्य अधिकारियों को वैसी ही मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जैसा कि डयूटी पर किसी अधिकारी से अपेक्षित है। न तो पीठासीन अधिकारी और न ही मतदान केन्द्र में कोई अन्य अधिकारी ऐसे किन्हीं भी अनुचित क्रियाकलापों में लिप्त होगा, जो डयूटी पर किसी अधिकारी के लिए अनुचित हो, यथा, सेलेब्रिटी या अति विशिष्ट व्यक्ति के अपने मत डालने के लिए मतदान केन्द्र में आने के समय उनसे हाथ मिलाना या उनके साथ फोटो खिंचवाना, हालांकि प्रत्येक निर्वाचक के प्रति सामान्य शिष्टता दिखाना डयूटी का भाग है।

10.1.2 मतदान केन्द्र में या उसके निकट अनुचित आचरण न करना- पीठासीन अधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करना होगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र में या उससे बाहर अनुचित तरीके से व्यवहार

करता है तो पीठासीन अधिकारी उसे पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल गिरफ्तार करवा सकता है और अभियोजित करवा सकता है। पुलिस को ऐसे कदम उठाने तथा ऐसे बल का प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो। तथापि, इन शक्तियों का प्रयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब समझाने-बुझाने और चेतावनी दिए जाने से कोई प्रभाव न पड़े।

10.1.3 समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों को हटाना - किसी ऐसे व्यक्ति, जो दुर्व्यवहार करता है या मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के विधिसम्मत निदेशों का पालन नहीं करता है, को उसके आदेशों पर किसी पुलिस अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा हटवाया जा सकेगा।

10.1.4 मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन को हटाना एक अपराध माना जाना - कोई भी व्यक्ति, जो निर्वाचन में धोखाधड़ी से या अनधिकृत रूप से वोटिंग मशीन को मतदान केन्द्र से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या किसी ऐसे कृत्य को करने में जानबूझकर सहायता करता है, तो वह एक ऐसा संज्ञेय अपराध करता है जो एक वर्ष तक के कारावास या पांच सौ रु. तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

10.1.5 मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास हथियार के साथ जाने पर निषेध - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ख के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति (रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर डयूटी पर हो, के अलावा अन्य कोई व्यक्ति) मतदान दिवस को आयुध अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी प्रकार के हथियारों से लैस होकर मतदान केन्द्र के आस-पास नहीं जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे ऐसी अवधि के कारावास, जिसे दो वर्ष बढ़ाया जा सकेगा, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध है।

10.1.6 नोटिस प्रदर्शित करना- पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा-

(i) मतदान केंद्र द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा नोटिस जिसमें मतदान क्षेत्र और निर्वाचकों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(ii) प्ररूप 7-क में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की प्रति और जहां कहीं व्यवहार्य हो, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक की अनुकृति। नोटिस की भाषा वही होगी जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची के लिए है तथा नामों का क्रम भी वही होगा जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची में है।

(iii) एक ही मतदान केन्द्र वाली लोकेशन में कई मतदान केन्द्रों की दशा में इंतजाम - यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में अवस्थित हैं तो पीठासीन अधिकारी को स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि मतदाताओं को अलग करने और बिना किसी भ्रम के प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने स्थान के विभिन्न भागों में उन्हें प्रतीक्षा करवाने के लिए आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं।

10.1.7 निजी भवनों में मतदान केन्द्र की दशा में इंतजाम- यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन/निजी संस्थान में स्थित हो तो इस भवन तथा इसके ईर्द-गिर्द एक सौ मीटर की परिधि तक के क्षेत्र को पीठासीन अधिकारी के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। इसके मालिक से संबंधित किसी भी व्यक्ति (चौकीदार/गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति) चाहे सशस्त्र हो या निरस्त्र, को मतदान केन्द्र में या इसके ईर्द-गिर्द दो सौ मीटर की परिधि के भीतर रहने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केन्द्र में तथा उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण पीठासीन अधिकारी के नियंत्रणाधीन पुलिस की होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे निजी भवन का मालिक निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी या निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी का ज्ञात सहानुभूति रखने वाला शुभचिंतक या कार्यकर्ता न हो।

10.1.8 निर्वाचनों पर प्रभाव डालने वाले **किन्हीं भी नेताओं का कोई फोटो या किसी राजनैतिक दल के प्रतीकों या नारों** को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और यदि वहां पहले से लगे हैं तो पीठासीन अधिकारी को उन्हें हटाने तथा मतदान समाप्त होने तक दूर रखने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

10.1.9 मतदान केन्द्र के भीतर धूम्रपान निषेध- मतदान केन्द्र के भीतर धूम्रपान की अनुमति नहीं होती है। तथापि, पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान केन्द्र के भीतर कोई धूम्रपान न करे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहता है तो उसे मतदान में कोई रूकावट पैदा किए बिना मतदान केन्द्र से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है।

10.1.10 मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर **खाना पकाने या इस प्रयोजनार्थ अग्नि जलाने की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

10.1.11 बैज आदि पहनना, किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर टोपियां, दुपट्टा (शॉल), बैज, प्रतीक, जिस पर राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों या राजनैतिक नेताओं के नाम और/या उनके नारे/प्रतीक या उसका चित्रित प्रदर्शन हो, को पहनने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि यह निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के लिए प्रचार करने समान है। तथापि, बिना किसी प्रतीक/नारे के सादी टोपी निषिद्ध नहीं है। मतदान अभिकर्ता अपने ऊपर ऐसे बैज लगा सकते हैं जिसमें उनकी तत्काल पहचान के प्रयोजनार्थ उस अभ्यर्थी, जिसके वे अभिकर्ता हैं, का नाम हो।

10.1.12 मतदान केन्द्र में कैमरा/सेल्यूलर (मोबाइल)/कॉर्डलेस/वायरलेस फोन सेट्स आदि का प्रयोग निषेध- निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर और मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि, जिसे "मतदान केन्द्र का पड़ोस" के रूप में वर्णित किया जाता है, के भीतर किसी भी दशा में सेल्यूलर (मोबाइल/कार्डलेस/वायरलेस फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, मतदान केन्द्र के भीतर कोई कैमरा (स्टिल/वीडियो/डिजिटल) लाना भी निषिद्ध है। निर्वाचन आयोग ने निदेश जारी किए हैं कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को वितरित की जानी वाली फोटो मतदाता पर्चियों के पीछे अन्य अनुदेशों के साथ-साथ इस संबंध में भी अनुदेश मुद्रित

किए जाएं कि मतदान केन्द्र के भीतर कोई कैमरा (स्टिल/वीडियो/डिजिटल) नहीं लाया जाए।

10.1.13 रिटर्निंग आफिसरों/सहायक रिटर्निंग आफिसरों/मुख्य पुलिस अधिकारियों/सेक्टर अधिकारियों/नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर को मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि यदि मतदान अभिकर्ताओं की कोई शिकायत है तो वे इसे दर्ज करने हेतु तत्काल हस्तक्षेप के लिए संपर्क कर सकें।

10.2 मतदान केन्द्र के भीतर इंतजाम

10.2.1 मतदान केन्द्र में प्रवेश को विनियमित करना:-

निम्नलिखित व्यक्तियों को मतदान केन्द्र में आने की अनुमति होगी:-

(i) निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक।

(ii) मतदान अधिकारी

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता एवं एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्यक रूप से नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता;

(iv) आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी,; (रिटर्निंग आफिसर को कहा गया है कि वे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को उनके फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करें। यदि आवश्यक हो तो पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियों से उनके मतदान केन्द्र में आने के समय इसे दिखाने के लिए कह सकेगा। इसी प्रकार, अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी उनके नियुक्ति पत्र, जो रिटर्निंग आफिसर, द्वारा अधिप्रमाणित होता है और जिस पर निर्वाचन अभिकर्ता का फोटो होता है, की डुप्लीकेट प्रति दिखाने के लिए कहा जा सकता है।)

(v) निर्वाचन से संबंधित डयूटी पर सरकारी सेवक;

(vi) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक;

(vii) माइक्रो प्रेक्षक, गंभीर (क्रिटिकल)/संवेदनशील मतदान केन्द्र की दशा में वेबकास्टिंग के लिए विडियोग्राफर/फोटोग्राफर/स्टाफ;

(viii) निर्वाचक के साथ गोद में आया बच्चा;

(ix) दृष्टिविहीन या अशक्त मतदाता, जो बिना सहायता के चल नहीं सकता, के साथ आया कोई व्यक्ति; और

(x) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें आप मतदाताओं की पहचान करने या मतदान करवाने में अपनी अन्यथा सहायता करने के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी सहायता हेतु निर्वाचकों की पहचान करने अन्यथा मतदान के संचालन में सहायता के लिए किसी स्थानीय अधिकारी/महिला परिचारक को नियुक्त किया जाता है, आमतौर पर उसे मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल के बाहर बिठाया जाए। उसे मतदान केंद्र के भीतर तब ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए जब किसी विशिष्ट निर्वाचक की पहचान करनी हो अथवा मतदान के दौरान जब पीठासीन अधिकारी की सहायता हेतु उसकी आवश्यकता हो।

10.2.2 व्यक्तियों का प्रवेश उपर्युक्तानुसार सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए, अन्यथा, मतदाता का सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन दूषित हो सकता है। पीठासीन अधिकारी को एक समय में मतदान केन्द्र के भीतर केवल तीन या चार निर्वाचकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि उसे मतदान बूथ में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में पर्याप्त संदेह है, जिसकी पहचान के बारे में पर्याप्त आशंका है तो वह, यदि आवश्यक हो, उसकी तलाशी करवा सकता है, चाहे संबंधित व्यक्ति के पास मतदान बूथ में प्रवेश करने के लिए विधिमान्य प्राधिकार पत्र भी हो। अपनी डयूटियों के निर्वहन में, पीठासीन अधिकारी केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के प्रति बाध्यकारी होता है। उसे अपने सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों या मंत्रियों सहित नेताओं से कोई आदेश नहीं लेने हैं या उनका कोई पक्ष नहीं लेना है। इनसे मतदान बूथ में प्रवेश के लिए अनुरोध के मामले में भी, पीठासीन अधिकारी को उन्हें केवल तब अनुमति देनी चाहिए जब उनके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधिमान्य अधिकार पत्र हो।

10.3 मतदान केन्द्रों के भीतर 'निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर लोक सेवक' के प्रवेश को शासित करने संबंधी दिशानिर्देश

10.3.1 पीठासीन अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि ''निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर लोक सेवक'' शब्दों में सामान्यतः पुलिस अधिकारी सम्मिलित नहीं होते हैं। ऐसे अधिकारियों, चाहे वर्दी में हों या सादी पोशाक में, को साधारण नियम के रूप में मतदान बूथ के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, पीठासीन अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या कुछ ऐसे ही प्रयोजनों के लिए उन्हें कभी-कभी बुला सकेगा। किसी बाध्यकारी कारण के बिना मतदान बूथ में उनकी उपस्थिति के बारे में कई बार कुछ अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा शिकायतें की गई हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनके अभिकर्ता अनावश्यक बल प्रदर्शन से भयभीत हो गए थे। इसी प्रकार, किसी निर्वाचक या अभ्यर्थी के साथ आने वाले सुरक्षा कार्मिक, यदि कोई है, या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के सुरक्षा कार्मिक को प्रवेश की अनुमति होगी, वह भी सादे कपड़े में केवल एक सुरक्षा कार्मिक को, जिसका शस्त्र छिपा होगा।

10.3.2 पीठासीन अधिकारी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त अभिव्यक्ति, ''निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर लोक सेवक'' में केन्द्र एवं राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री सम्मिलित नहीं हैं। केन्द्र एवं राज्यों के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों, जिन्हें राज्य के खर्च पर सुरक्षा कवर दिया गया है, को मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है क्योंकि न तो उनको उनके सुरक्षा कार्मिक के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है और न ही बिना सुरक्षा कवर के उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति देकर उनकी जिंदगियों को जोखिम में डाला जा सकता है। स्थायी अनुदेशों के अनुसार, मंत्रियों या राजनैतिक कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थियों की हैसियत से मतदान केन्द्र में प्रवेश करते हैं, के साथ आने वाले

सुरक्षा कार्मिकों को मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वे मतदान केन्द्र के दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकते हैं, किंतु किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो मतदान के संचालन में हस्तक्षेप समान हो।

10.3.3 **प्रेक्षकों/सेक्टर अधिकारियों/जोनल मजिस्ट्रेट आदि के दौरे:-** पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में आने वाले निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों, जोनल मजिस्ट्रेटों या मतदान ड्यूटी पर तैनात किन्हीं अन्य अधिकारियों से दौरा शीट में हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध करेगा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वह इसे पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेगा।

10.4 मतदान केन्द्र के ईद-गिर्द इंतजाम

10.4.1 **प्रचार पर पाबंदी -** मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार निर्वाचन विधि के अधीन एक अपराध है। ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।

10.4.2 **अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ -** निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों के नाम ढूंढने में मदद करने के लिए मतदान केन्द्र के निकट, किंतु मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी से बाहर, निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर गैर सरकारी पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए उनके अभिकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियां और अधिकतम 10x10 फीट के छोटे टेंट प्रदान करने की अनुमति है। ऐसी मेजों के आस-पास भीड़ एकत्र होने की अनुमति नहीं है। यदि निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का कोई उल्लंघन पीठासीन अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है तो उसे इस मामले को सेक्टर मजिस्ट्रेट या मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों को उनके द्वारा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए।

10.4.3 **मेगाफोन या लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध-** यदि मेगाफोन या लाउडस्पीकर के प्रयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित होता है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे प्रयोग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए दूरी की कोई सीमा विहित नहीं की गई है और यह उसके ऊपर छोड़ा जाता है कि वह निर्णय ले कि क्या यह इतना निकट है और इसकी आवाज इतनी तेज है कि इससे मतदान केन्द्र की कार्यवाहियां बाधित होगी।

10.4.4 **मतदाताओं को लाने, ले-जाने के लिए वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने पर प्रतिबंध-** यदि पीठासीन अधिकारी को निर्वाचकों को अवैध ढंग से मतदान केन्द्र पर लानें तथा वापस उनके घर ले जाने के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो उसे शिकायतकर्ता को बताना चाहिए कि वह अपराधी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के अधीन अभियोजित करने के लिए कार्रवाई करे या इस तथ्य का उपयोग उचित

समय पर अपराध करने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका दाखिल करने के आधार के रूप में करे। पीठासीन अधिकारी अपने समक्ष दाखिल किसी शिकायत को ऐसी अभ्युक्ति, जो वह अपने प्रेक्षण एवं व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकता है, के साथ उप मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट, जिसका ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र हो, को अग्रेषित करेगा। वह इसे जोनल/सेक्टर/मजिस्ट्रेट, जब वह बूथ पर आता है, के ध्यान में भी ला सकता है। पीठासीन अधिकारी मतदान दिवस को वाहनों के परिचालन को विनियमित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनुदेशों/निदेशों का भी पालन करेगा।

10.5 मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित दिशानिर्देश

10.5.1 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

(i) मतदान अभिकर्ता, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, साधारणतया उसी मतदान बूथ क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचक होंगे या उसी निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले निकट के मतदान केन्द्र के वैकल्पिक बूथ क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचक होंगे। ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पहचान संबंधी डिवाइस होनी चाहिए, जिसमें उसकी पहचान हो।

(ii) यदि निर्वाचक, जिसको निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर संबंधित निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिखित अनुरोध पर ऐसे निर्वाचक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक इंतजाम करेगा।

(iii) पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मतदान अभिकर्ता आसान एवं तुरंत पहचान के लिए मतदान दिवस वाले दिन अपने शरीर पर स्पष्ट रूप से अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करें।

(iv) प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है, को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी यह जांच करेगा कि यह नियुक्ति उसके मतदान केन्द्र के लिए है। यह पुष्टि होने के बाद कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उसके मतदान केन्द्र के लिए की गई है, मतदान अभिकर्ता को दस्तावेज को पूरा करना चाहिए और उसकी उपस्थिति में उसकी घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसके बाद इसे मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दिए जाने से पूर्व उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

(v) पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखेगा तथा मतदान समाप्त होने पर उन्हें एक कवर में अन्य दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग आफिसर को भेज देगा।

(vi) पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किसी मतदान अभिकर्ता के उक्त प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह की दशा में, उसे अभ्यर्थी/उसके

निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर का मिलान रिटर्निंग आफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके नमूना हस्ताक्षरों से करना चाहिए।

10.5.2 मतदान अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति

(i) अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं से कहा जाना चाहिए कि वे मतदान आरंभ होने से कम से कम एक घंटे पहले मतदान केन्द्र पहुंचें ताकि वे उस समय उपस्थित रहें जब वह प्रारंभिक कार्रवाई कर रहा हो। यदि इन प्रारंभिक कार्रवाइयों का कोई भाग पहले ही हो चुका हो और देरी से आने वाले व्यक्ति इससे छूट गए हों तो देरी से आने वाले व्यक्ति के लिए कार्यवाहियों को नए सिरे से (आरंभ से ही) प्रारंभ किए जाने की जरूरत नहीं है। विधि में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है और यदि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर देरी से आता है तो उसे मतदान केन्द्र में आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) मतदान अभिकर्ता को शौच/मूत्र त्याग आदि के लिए अपराहन 3 बजे के बाद भी मतदान केन्द्रों से बाहर जाने और मतदान केन्द्र के भीतर वापस आने की अनुमति दी जा सकेगी। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक समय में किसी अभ्यर्थी का केवल एक मतदान अभिकर्ता या उसका स्थानापन्न ही मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित हो।

10.5.3 मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास

प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक मतदान अभिकर्ता और दो स्थानापन्न मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि, एक समय में अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के भीतर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में आए प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को परमिट या प्रवेश पास देगा जिसके प्राधिकार के आधार पर वह आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र में आ सकता है और बाहर जा सकता है।

10.5.4 मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता की संचलन शीट

निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता संचलन शीट' प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा, और इसमें मतदान केन्द्र में आने/मतदान केन्द्र से जाने के समय को दर्शाया जाएगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में आने वाले प्रेक्षक/सेक्टर अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त शीट का रख-रखाव समुचित रूप से किया जा रहा है।

10.5.5 **मतदान अभिकर्ताओं के लिए क्या करें और क्या न करें**

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान अभिकर्ता निर्वाचक नामावली की प्रति को मतदान केन्द्र से बाहर न ले जाए। इसके अतिरिक्त, मतदान के अंतिम एक घंटे के दौरान, किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र से बाहर जाने या प्रस्थान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार, मतदान अभिकर्ताओं को किसी भी दशा में सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट्स आदि को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अभिकर्ता को मतदान कर चुके या नहीं कर

चुके मतदाताओं की क्रम संख्या को दर्शाते हुए कोई पर्ची बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

10.5.6 मतदान अभिकर्ताओं की शिकायतों का निपटान

किसी भी स्तर पर मतदान केन्द्रों से प्राप्त किसी शिकायत की शीघ्र जांच की जाएगी। रिटर्निंग आफिसर/प्रेक्षक भी ऐसे मतदान केन्द्रों से संबंधित दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक छानबीन करेंगे और उनके विचारों को विशिष्ट रूप से रिकॉर्ड करेंगे।

10.5.6 मतदान केन्द्र में सुरक्षा इंतजाम

(कृपया पैरा 9.7 से 9.9, अध्याय 9 देखें)

10.6 मतदान केन्द्र पर अन्य इंतजाम

10.7.1 मतदान केन्द्रों में हेल्प डेस्क

(कृपया पैरा 9.6.2, अध्याय 9 देखें)

10.7.2 मतदाता सहायता बूथ

(कृपया पैरा 9.6.3, अध्याय 9 देखें)

10.7.3 वीडियोग्राफी/डिजिटल फोटोग्राफी

(कृपया पैरा 9.6.4, अध्याय 9 देखें)

*****

अध्याय-11

मतदान केन्द्र स्तर पर संचार योजना का प्रचालन

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **संचार योजना**
- ✓ **वेबकास्टिंग**
- ✓ **मतदान दिवस को मतदान केन्द्र का अनुवीक्षण**

11.1 संचार योजना

(i) निर्वाचन आयोग मतदान दिवस को मतदान केन्द्र स्तर से निर्वाचन आयोग तक एक सक्षम प्रबंधन एवं फीडबैक प्रणाली स्थापित करने के लिए संचार योजना तैयार करता है। यथा विकसित संचार योजना को अब निर्वाचन आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय संकल्पना में विधिमान्यता प्रदान कर दी गई है जिसका उद्देश्य मतदान दिवस को सूचना का तेजी से ट्रैक रखना और निर्वाचन के प्रबंधन को सूचना केन्द्रित बनाना है। एक सुविकसित संचार योजना से सुरक्षा बलों की सीमित उपलब्धता की स्थिति में और अधिक उपयोगी होने की अपेक्षा है।

(ii) संचार योजना को मतदान दिवस के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाना होगा, जो प्रातः 8.30 बजे तक छद्म मतदान प्रमाण पत्र के साथ शुरू होगी और निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिनभर विभिन्न रिपोर्टें प्रदान की जानी होंगी। इसके अतिरिक्त, संचार योजना आकस्मिक स्थितियों/तत्काल अपेक्षाओं, कानून एवं व्यवस्था नियंत्रण आदि में भी उपयोगी होगी। निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों के पहुंचते ही उन्हें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संचार योजना प्रदान की जाएगी।

(iii) राज्यों से प्राप्त फीडबैक और आंकड़ा संग्रहण तथा संचार योजना के सृजन के लिए प्रविष्टि से संबंधित आदेश के आलोक में, आयोग ने संचार योजना तैयार करने के लिए पुनरीक्षित प्रक्रियाओं को परिचालित किया है।

(iv) प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य संचार योजना के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी और प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला संचार योजना के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगें। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने जिला नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय रखेंगे और समय पर प्रगति सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग की संचार योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय नोडल अधिकारी को फीडबैक देंगे।

(v) संचार योजना के लिए मतदान केन्द्र स्तर पर संचार के साधनों के ब्योरे, यथा मोबाइल फोन, इंटरनेट, बेतार, लैंडलाइन टेलीफोन या नजदीकी पुलिस थाने/डाकघर के टेलीफोन ब्योरे आद संग्रह किए जाते हैं। प्रेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों/जोनल मजिस्ट्रेटों/पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल नंबर/संपर्क नंबर भी संग्रह किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मतदान के संबंध में उपयुक्त, भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम, उनके दूरभाष/मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं। संपर्क के किन्हीं अन्य साधनों के नहीं होने पर, मतदान केन्द्र और निकटतम दूरभाष/बेतार संस्थापना के बीच संदेश का आदान-प्रदान करने के लिए दो रनर्स दर्शाए जाते हैं।

11.2 वेबकास्टिंग

(i) निर्वाचन आयोग ने भी लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए निदेश दिया है। वेबकास्टिंग साधारणतया अप्रिय गतिविधियों यथा बूथ पर कब्जा, छद्मरूपता आदि पर नियंत्रण रखने और मतदान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने में मदद करने के लिए हिंसा संभावित मतदान केन्द्रों में की जाती है। इसका प्रयोग प्रयोक्ताओं के लिए जागरूकता के लिए भी किया जा सकता है। वेबकास्टिंग के लिए मतदान केन्द्र में विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी अपेक्षित है।

(ii) मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के दौरान कैमरे को ऐसी रीति में लगाया जाना चाहिए कि यह निम्नलिखित की स्पष्ट दृश्यता ग्रहण कर सके:

(क) कतार में मतदाता।
(ख) मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान प्रक्रिया।
(ग) अंगुली पर अमिट स्याही लगाना।

(घ) मतदाता की संतोषजनक पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को चालू किया जाना।
(ङ) मत डालने के लिए बैलट यूनिट के पास मतदाता का जाना, जिसमें कैमरे में बैलट यूनिट के ऊपर वाले भाग को कवर नहीं करना चाहिए ताकि सभी स्थितियों में मतदाता की गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सके।

(iii) यह भी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि मतदान केन्द्र में "वेब कैमरा" प्रयोग में है।

(iv) इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेबकास्टिंग के लिए प्रयुक्त उपर्युक्त ढांचे में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित न किया जाए।

11.3 मतदान के दिन मतदान केन्द्र का अनुवीक्षण

(i) मतदान दिवस को निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर से निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त करता है:-
(क) मतदान केन्द्र में मतदान दल का आगमन
(ख) छद्म मतदान का संचालन पूरा किया जाना
(ग) मतदान का आरंभ
(घ) प्रत्येक दो घंटे में मतदाता टर्नआउट के बारे में 5 रिपोर्टें
(ङ) मतदान समाप्त होने पर अंतिम रिपोर्ट

(ii) एस एम एस आधारित मतदान अनुवीक्षण के बारे में आई टी एप्लीकेशन द्वारा इन रिपोर्टों को मोबाइल वेब इंटरफेस तकनीकों के माध्यम से मोबाइल फोनों का प्रयोग करके तेजी से प्रस्तुत/पुनरीक्षा करने के लिए सेक्टर अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों के लिए

आवश्यकतानुसार अनुकूलित (कस्टमाइज) बनाया जाता है। पी सी पर इंटरनेट पेनिट्रेशन की तुलना में अधिक मोबाइल पेनिट्रेशन से समय-सारणी प्रबंधन में लाभ पहुंचता है और निर्णयकर्ताओं को शीघ्र एवं समय पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए उनको ऑनलाइन संकलित करने में सहायता करता है। यह निर्वाचनों को स्मार्ट शासन तंत्र प्रदान करते हुए लिए गए निर्णयों को क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में संबंधित कार्मिकों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पोर्टल में सभी पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों के मोबाइल नंबर सहित ब्योरे संग्रह करता है। पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से अधिकारी निर्धारित समय पर पहले ही चिह्नित महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के बारे में आवधिक रिपोर्टें एस एम एस के माध्यम से पोर्टल पर भेजते हैं। मतदान से पूर्व दिवसों एवं मतदान दिवस के लिए ब्योरे के तेजी से संकलन हेतु एक स्मार्ट रिपोर्ट इंजन तैयार किया जाता है। यदि अद्यतन सूचना विशिष्ट समयावधि के भीतर नहीं पहुंचती है तो उच्चतर प्राधिकारियों को अलर्ट भेजे जाते हैं जिसमें समय पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत के लिए विलंबित रिपोर्टिंग के तथ्य को उजागर किया जाता है। यह प्रणाली कमोबेश स्वचालित होती है और बड़ी मात्रा में एस एम एस के प्रबंधन के लिए सुसज्जित होती है। रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूर्ण डाटासेट और आवश्यकतानुसार अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) रिपोर्टों को उनके लिए संकलन एवं आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।

*****

अध्याय 12

राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **मतदान का स्थान /मतदान केंद्र**
- ✓ **मतदान केंद्र का ले आउट**
- ✓ **मतदान अधिकारियों की तैनाती**
- ✓ **मतदान एजेंट**
- ✓ **मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अनुमत्य व्यक्ति**
- ✓ **मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं के प्रवेश के विनियम**
- ✓ **प्रेस के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफर्स के लिए सुविधाएं**
- ✓ **निर्वाचकों को सूचना**
- ✓ **मतदान केंद्र के बाहर नोटिस लगाना**
- ✓ **मतदान केंद्रों में कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी**

12.1 परिचय

राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 80(1)(ख) के अनुसार सदन में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 238 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जहां तक संभव होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, यथाशीघ्र, एक तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन संचालित किए जाते हैं। राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते हैं। राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि, राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 80(5) और धारा 27क(ए) से ञ(जे) में विहित रीति के अनुसार चुने जाते हैं।

12.2 मतदान का स्थान/मतदान केंद्र

12.2.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(1) के अधीन, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन में मतदान उस स्थान पर होगा जैसा निवार्ज़चन आयोग के पूर्व अनुमोदन से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत किया जाए। रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विधि में नियत स्थान (इसके पश्चात इसे 'मतदान केंद्र' कहा गया है) को अधिसूचित करना होता है। निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि इस स्थान को विधान सभा के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाकर अधिसूचित किया जाए।

12.2.2 सामान्यत: विधान सभा के भवन परिसर के किसी उपयुक्त हॉल अथवा कमरे को ऐसे मतदान के स्थान के रूप में निर्धारित किया जाता है। आयोग निर्वाचन के कार्यक्रम पर विचार करते समय मतदान के स्थान की सूचना (मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से) प्राप्त करता है और निर्वाचन कार्यक्रम के अनुमोदन सहित इस मामले में अपनी स्वीकृति भेजता है। मतदान के स्थान संबंधी ऐसा अनुमोदन भेजते समय, आयोग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला तद्विषयक ड्राफ्ट नोटिस

भी भेजता है। तद्नुसार रिटर्निंग अधिकारी को उस फार्मेट में नोटिस जारी करना चाहिए और निर्वाचनों की घोषणा की अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग के निदेशों के अनुसार इसे विधान सभा के नोटिस बोर्ड पर यथाशीघ्र प्रदर्शित करना चाहिए।

12.2.3 निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम पर विचार करते समय मतदान केंद्र की सूचना (मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से) प्राप्त करता है और निर्वाचन कार्यक्रम के अनुमोदन सहित इस मामले में अपनी स्वीकृति भेजता है। मतदान के स्थान संबंधी ऐसा अनुमोदन भेजते समय, आयोग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला तद्विषयक ड्राफ्ट नोटिस भी भेजता है। तद्नुसार रिटर्निंग अधिकारी को उस फार्मेट में नोटिस जारी करना चाहिए और निर्वाचनों की घोषणा की अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग के निदेशों के अनुसार इसे विधान सभा के नोटिस बोर्ड पर यथाशीघ्र प्रदर्शित करना चाहिए।

12.2.4 1961 के नियमों के नियम 70 द्वारा यथा लागू, नियम 31 (1)(ख), के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति मतदान केंद्र के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी अपेक्षित होती है।

12.2.5 राज्य सभा के निर्वाचनों में अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचकों को समुचित रूप से सूचित करने के लिए और मतपत्रों की अस्वीकृति को कम से कम करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने चाहिएं। इस प्रयोजन हेतु, मतदाता प्रक्रिया को समझाते हुए निर्वाचकों को पत्र/नोट अनिवार्य रूप में जारी किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण अनुदेशों से युक्त नोटिस मतदान केंद्र के बाहर स्पष्ट रूप से लगाया जाना चाहिए। ऐसे नमूना नोटिस का प्रपत्र **अनुबंध 8क (अनुबंध-VI)** पर दिया गया है।

12.2.6 अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचक (निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक सहित जो कि डाक मतपत्र द्वारा मत देने का पात्र है) को मतदान की तारीख, समय और नियत स्थान की सूचना [1961 नियम के नियम 69 के द्वारा] देते हुए यथाशीघ्र नोटिस भेजेगा। (**अनुबंध-VII**)

12.3 मतदान केंद्र का ले-आउट

निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 15.12.2017 के पत्र के द्वारा मतदान केंद्रों की व्यवस्था के लिए ले-आउट डिज़ाइन (नीचे दिए गए डायाग्राम के अनुसार) अनुमोदित किया गया था।

इसके पश्चात, दिनांक 04.03.2020 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के अधिकृत एजेंटो की सीटों के बीच के पार्टिशन की ऊंचाई छह (06) फीट तक करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान

फोटो

12.3.1 पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था - ऐसे रिटर्निंग अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य भी करते हैं, को मतदान केंद्र के भीतर ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां से वे मतदान केंद्र के भीतर की सभी कार्रवाईयों को देख सकें। मतदान अधिकारियों को इस प्रकार से बैठना चाहिए कि मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करने के बाद निर्वाचक सीधा प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाए और फिर वहां से व्यवस्थित तरीके से अन्य मतदान अधिकारियों की मेजों पर जाए। निर्वाचकों को आड़ा-तिरछा चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

12.3.2 मतदान एजेंटों बैठने की व्यवस्था - जब मतदान एजेंट मतदान में भाग लेने के लिए उपस्थित हों, तो उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, । उनकी सीट प्रथम मतदान अधिकारी के पीछे लगाई जानी चाहिए जिससे कि उनके पास निर्वाचकों को मतपत्र देने से पहले उनकी पहचान को चुनैति देने के पर्याप्त अवसर हों। जहां कहीं भी, किसी कारण से ऐसा करना व्यावहारिक न हों तो उनकी सीटें इस मतदान अधिकारी के बिल्कुल सामने लगाई जाएं। बैठने की किसी भी व्यवस्था में उन्हें इस प्रकार से बैठाया जाना चाहिए कि मतदाताओं की पहचान की संतुष्टि करने के लिए वे निर्वाचकों के चेहरे देख सकें। राजनैतिक दलों के अधिकृत एजेंटों के बैठने की व्यवस्था भी इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वे किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा मतपत्र को देखे बिना अपने दल के निर्वाचकों के चिह्नित मतपत्रों को देख सकें, जैसा कि नियम 39कक में अपेक्षित है। इस संबंध में शिकायतों से बचने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि अधिकृत एजेंटों के लिए व्यवस्थित सीटों के बीच 6 फीट ऊंचा पार्टिशन लगाया जाना चाहिए। इससे निर्वाचक मतपत्रों को, अन्य एजेंटों को दिखाई बिना, अधिकृत एजेंटों को दिखा पाएंगे।

12.3.3 मतदान कोष्ठ - कमरे/हॉल, निर्वाचकों की संख्या और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर एक अथवा एक से अधिक मतदान कोष्ठों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां कम से कम दो ऐसे मतदान कोष्ठों की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जहां निर्वाचकों की संख्या अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अधिक संख्या हो जिससे कि निर्वाचकों को अपने मत पर निशान लगाने के लिए मतदान कोष्ठ में जाने के लिए लम्बा इंतजार न करना पड़े।

12.4 मतदान अधिकारियों की तैनाती

अधिनियम 1951 की धारा 29(2) में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रावधान किया गया है।

12.4.1 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना - रिटर्निंग अधिकारी राज्य सभा के निर्वाचन के मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।

12.4.2 मतदान अधिकारी - रिटर्निंग अधिकारी मतदान के संचालन में अपनी सहायता के लिए मतदान अधिकारियों के रूप में उतनी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जितनी वे आवश्यकता समझे इस कार्य हेतु आम तौर पर तीन मतदान अधिकारी पर्याप्त होंगे। यदि वह महसूस करता है कि निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक है तो वे अतिरिक्त मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। इन मतदान अधिकारियों को सामान्यत: विधान मंडल सचिवालय से लिया जाना चाहिए। उन्हें धारा 29(2) के उपबंधों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से मतदान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

12.4.3 मतदान अधिकारियों के दायित्व - मतदान के संचालन में आपकी सहायता करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कम से कम तीन मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदान अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) प्रथम मतदान अधिकारी - वह निर्वाचक नामावली (निर्वाचकों की सूची) की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा। निर्वाचक जैसे ही कमरे में आता है, इसकी पहचान करने पर, प्रथम मतदान अधिकारी उसका नाम और निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पुकारेगा। वह निर्वाचक नामावली में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों को भी रेखांकित करेगा। महिला निर्वाचक होने की स्थिति में, प्रथम मतदान अधिकारी महिला निर्वाचक के नाम के बाई ओर सही (✔) का निशान भी लगाएगा।

(ii) इसके बाद मतदाता दूसरे मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो मतपत्रों का प्रभारी होगा। जब प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और क्रम संख्या पुकारेगा तो दूसरा मतदान अधिकारी मतदाता की क्रम संख्या मतपत्र के काउंटर-फॉयल पर मतदाता के हस्ताक्षर कराएगा। राज्य सभा के निर्वाचन के मामले में मतपत्र की क्रम संख्या को निर्वाचक नामावली में मतदाता के नाम के आगे भी प्रविष्ट करना आवश्यक है। तदनुसार, प्रथम मतदान अधिकारी दूसरे मतदान अधिकारी से निर्वाचक को जारी किए जाने वाले मतपत्र की क्रम संख्या पूछेगा और निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम के सामने प्रविष्ट कर देगा।
(कृपया ध्यान दें कि विधान परिषद के निर्वाचन में मतपत्र की क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं की जाएगी)।

(iii) काउंटर-फॉयल पर मतदाता के हस्ताक्षर लेने के बाद, दूसरा मतदान अधिकारी काउंटर फॉयल को सावधानीपूर्वक अलग (स्टील का फुट्टा प्रयोग करके) करेगा और निर्धारित पद्धति, अर्थात पहले लम्बाई में और फिर आड़े में इस प्रकार से मतपत्र फोल्ड करने के बाद इसे मतदाता को दे देगा कि विशिष्ट निशान मोड़े गए मतपत्र की दिखाई देने वाली साइड पर नजर आए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता भी इसे मतपत्र बॉक्स में डालने से पहले इसी प्रकार से फोल्ड करे जिससे कि रिटर्निंग अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को निशान दिखाई दे। यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदाता बाक्स में वास्तविक मतपत्र ही डाल रहा है न कि जाली मतपत्र।

(iv) इसके बाद मतदाता तीसरे मतदान अधिकारी की तरफ जाएगा, जिसके पास मतपत्र को चिह्नित करने के लिए विशेष इंटेग्रेटिड पैन होगा। तीसरा मतदान अधिकारी इस पैन को मतदाता को देगा और उससे अनुरोध करेगा कि वह पैन को जमा करा दें, यदि उसके पास कोई है। तीसरा मतदान अधिकारी यह भी जांच और सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र को यथा निर्धारित फोल्ड किया गया है, यदि नहीं, तो वह मतदाता से मतपत्र ले लेगा और निर्धारित पद्धति में फोल्ड करेगा और फिर इसे खोल देगा तथा मतदाता को वापिस सौंप देगा। पहले से गए हुए मतदाता के मतदान कोष्ठ से बाहर आने पर ही तीसरा मतदान अधिकारी अगले मतदाता को मतदान करने के लिए मतदान कोष्ठ में जाने की अनुमति देगा।

जब मतदाता अपना मत डालने के बाद मतदान कोष्ठ से बाहर आता है तो मतदान अधिकारी मतदाता से पैन वापिस ले लेगा। यदि मतदाता ने अपना पैन तीसरे मतदान अधिकारी को दिया था, वह पैन मतदाता को वापिस दे दिया जाएगा।

मतदान अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने दायित्वों से भली भांति परिचित हो सकें।

12.5 मतदान एजेंट

12.5.1 अभ्यर्थियों के मतदान एजेंटों को मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 15 मिनट पहले मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा जाना चाहिए जिससे वे मतदान केंद्र पर उस समय उपस्थित रहें जब रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी प्रारंभिक तैयारियां कर रहे हों। यदि इन प्रारंभिक तैयारियां में से कोई तैयारी पहले की जा चुकी है तो विलंब से आने वाले किसी भी एजेंट के लिए नए सिरे से कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। विधि द्वारा मतदान एजेंटों की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है और यदि कोई मतदान एजेंट मतदान केंद्र पर देरी से आता है तो भी उसे मतदान केंद्र में आगे की कार्रवाई में उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

12.5.2 राज्य सभा के निर्वाचनों की स्थिति में निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं.318/सीएस/2008-पीएलएन-।।।, दिनांक 25 मार्च, 2008 के द्वारा निदेश दिया है कि राज्य सभा के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम (संशोधन), 1961 के नियम 39कक के अधीन अधिकृत एजेंटों की नियुक्ति की शक्ति उन राजनैतिक दलों को दी गई है, जिनके विधान सभा में निर्वाचित सदस्य है, न कि अभ्यर्थियों को, चाहे ऐसे राजनैतिक दलों ने निर्वाचन में अपने अभ्यर्थी खड़े किए हों अथवा नहीं। राजनैतिक दलों से संबद्ध विधायकों को मतों पर निशान लगाने के पश्चात मतपत्र को संबंधित राजनैतिक दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना अपेक्षित होता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक दल का अधिकृत एजेंट नहीं हो सकता है। दलों के समूह के लिए कॉमन अधिकृत एजेंट की कोई धारणा नहीं है।

12.5.3 मतदान एजेंटों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना - प्रत्येक मतदान एजेंट को फार्म 10 में उस नियुक्ति पत्र को रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके द्वारा उसके अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन एजेंट ने उसे नियुक्त किया है। इसके बाद,

मतदान एजेंट को दस्तावेज पूरे करने होंगे तथा पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और इसे मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करने से पहले पीठासीन अधिकारी को सौंप देना चाहिए। पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी नियुक्ति पत्रों को परिरक्षित करेगा और मतदान की समाप्ति पर अन्य दस्तावेजों के साथ इन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए एक कवर में रखेगा।

12.5.4 मतदान एजेंटों के लिए पास: प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मतदान एजेंट और दो सहायक मतदान एजेंट नियुक्त कर सकता है। तथापि, किसी भी समय एक बार में मतदान केंद्र के भीतर अभ्यर्थी के केवल एक मतदान एजेंट को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान एजेंट को प्राधिकार संबंधी परमिट/पास देगा जिसके आधार पर वह यथावश्यक मतदान केंद्र के भीतर और बाहर, आ/जा सकेगा।

12.6 मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अनुमत्य व्यक्ति

12.6.1 निर्वाचकों के अतिरिक्त, रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करने दिया जाएगा:-

(i) मतदान अधिकारी;

(ii) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन एजेंटेस और एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान एजेंट;

(iii) नियम 39कक के निबंधनों में नियुक्त राजनैतिक दलों (फार्म-22क) के अधिकृत एजेंट;

(iv) निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति;

(v) विशेष रूप से अधिकृत ड्यूटी पर लोक सेवक;

(vi) निर्वाचक के साथ उसकी गोद में आने वाला काई बालक;

(vii) निरक्षर मतदाता, जो किसी की सहायता के बिना मतदान नहीं कर सकता, अथवा, नेत्रहीन या अशक्त मतदाता जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता, के साथ आने वाले व्यक्ति; और

(viii) ऐसे अन्य व्यक्तियों को विशिष्ट रूप से प्रवेश करने दिया जाए जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने अथवा अन्यथा आपको मतदान के संचालन में सहायता करने के लिए उपयुक्त समझें।

12.6.2 रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र जारी करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो वे इसे दिखाने को कहेंगे। इसी प्रकार से अभ्यर्थियों के निर्वाचन एजेंटों से उनके नियुक्ति पत्र की अनुप्रमाणित अनुकृति (डुप्लिकेट) प्रति दिखाने को कहा जा सकता है। अनुप्रमाणन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाता है।

12.6.3 रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी को यह नोट करना चाहिए कि 'ड्यूटी पर लोक सेवक' अभिव्यक्ति में केंद्र अथवा किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं होते और इसमें आमतौर पर पुलिस अधिकारी भी शामिल नहीं होते हैं। ऐसे अधिकारियों, चाहे वे वर्दी में हो अथवा सादे कपड़ों में, को सामान्य रूप में मतदान केंद्र के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन

कानून और व्यवस्था को बनाए रखने अथवा इसी प्रकार के किसी प्रयोजन जैसी अपरिहार्य परिस्थितियां उत्पन्न होने की स्थिति में वह उन्हें बुलाने का निर्णय ले सकता है।
(नोट करें: किसी भी निर्वाचक अथवा किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन एजेंट अथवा किन्हीं भी मतदान एजेंटों के सुरक्षा गार्ड को भी किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

12.7 मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं के प्रवेश के विनियम

12.7.1 निर्वाचन आयोग के किसी विशेष निर्देश के अध्यधीन, मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं के प्रवेश को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए कि किसी भी एक समय पर मतदान स्थल के भीतर चार निर्वाचकों से अधिक न हों। अगले मतदाता को मतदान स्थल के भीतर आने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब भीतर वाला मतदाता अपना मत डालने के बाद बाहर चला जाए।

12.7.2 मतदान स्थल के पास एक अलग कमरे अथवा स्थान की व्यवस्था की जाएगी और एक प्रतीक्षालय के रूप में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे कि मतदाता मतदान करने के लिए अपनी बारी के लिए आराम से प्रतीक्षा कर सकें।

12.7.3 किसी भी स्थिति में सुरक्षा गार्ड वाले किसी भी मतदाता को अपना सुरक्षा गार्ड मतदान स्थल के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.8 प्रेस के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं

शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अध्यधीन किसी भी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केंद्र के बाहर पंक्ति में खड़े मतदाताओं की भीड़ की फोटो लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, राज्य सरकार के प्रचार अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के विशिष्ट प्राधिकार पत्र के बिना मतदान के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त, किसी अन्य एजेंसी अथवा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्राधिकार ऐसी प्रविष्टि के लिए मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति को मतदाता के मतपत्र को चिह्नित करते हुए उसकी फोटो लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

12.9 निर्वाचकों को सूचना

(i) विधायकों द्वारा निर्वाचन, जिसमें मतदान कराना आवश्यक हो जाता है, में रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद यथाशीघ्र प्रत्येक निर्वाचक को मतदान की तारीख, समय और नियत स्थान की सूचना दी जाए (नियम 69 के तहत)। इस नोटिस के साथ मतदान की प्रक्रिया संबंधी नोट भी भेजा जाए। **अनुबंध-8क (अनुबंध-VI)**

(ii) निवारक निरोध (नजरबंदी) के अधीन निर्वाचक, यदि कोई है, सहित प्रत्येक निर्वाचक को ऐसा नोटिस भेजा जाना चाहिए। जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक डाक मतपत्र द्वारा मत डालने का पात्र है।

12.10 मतदान केंद्र के बाहर नोटिस लगाना

(i) नियम 70 द्वारा यथाप्रयोज्य, नियम 31(I) (ख) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति मतदान केंद्र के बाहर लगानी आवश्यक होती है।

(ii) राज्य सभा के निर्वाचनों में अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचकों को समुचित रूप से सूचित करने के लिए और मतपत्रों की अस्वीकृति को कम से कम करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने चाहिएं। इस प्रयोजन हेतु, मतदाता प्रक्रिया को समझाते हुए निर्वाचकों को पत्र/नोट अनिवार्य रूप में जारी किए जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण अनुदेशों से युक्त एक नोटिस, मतदान केंद्र के बाहर स्पष्ट रूप से लगाया जाना चाहिए। ऐसे नमूना नोटिस का प्रपत्र **अनुबंध 8क** पर दिया गया है।

12.11 मतदान केंद्रों में कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी

मतदान केंद्र के भीतर की पूरी कार्रवाइयों की आयोग के अनुदेशों के अनुसार वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी एक जिम्मेवार अधिकारी के निरीक्षण में लगातार और अबाधित रूप से की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वीडियोग्राफी से किसी भी प्रकार से मत की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। इसका तात्पर्य यह है कि मतदान कंपार्टमेंट के भीतर की वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब मतदाता, दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाए तो मतपत्र का अग्र भाग (अर्थात वह साइड जिस पर अभ्यर्थियों का नाम लिखा होता है और मत देने का निशान लगाया जाता है) किसी भी रूप में वीडियो में न आने पाए।

अध्याय – 13
राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय
✓ विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान/मतदान केंद्र ✓ परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र ✓ स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की सूची

13.1 परिचय

13.1.1 राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्यों की यह कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यथासम्भव प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथा शीघ्र दो तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं और उक्त रिक्तियों को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचनों का संचालन किया जाता है।

13.1.2 राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित आबंटन के अनुसार किया जाता हैः-

(i) विधान सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा सदस्यों का उन व्यक्तियों में से, जो विधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं।

(ii) इसके एक तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं।

(iii) प्रत्येक 1/12वां भाग, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से; और

(iv) शेष रिक्तियाँ राज्यपाल द्वारा मनोनयन द्वारा भरी जाती हैं।

13.1.3 इस प्रकार, राज्य निधान परिषदों के निर्वाचनों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, नामतः,-

i. विधायकों द्वारा निर्वाचन; और
ii. परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है।

13.2 विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान/मतदान केंद्र

राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में मतदान उसी विधि से संचालित किया जाता हैं जैसे राज्य परिषदों के निर्वाचन में मतदान संचालित किए जाते हैं, सिवाय राज्यों की परिषदों के निर्वाचन के मामले जिनमें खुली मत प्रणाली (ओपन बैलेट सिस्टम)

अपनाई जाती है। उल्लेखनीय अंतर यह हैं कि (i) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के दौरान मतपत्र की गोपनीयता का कड़ाई से पालन किया जाएगा अर्थात विधायकों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामलें में खुली मत प्रणाली लागू नहीं है और (ii) राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य, यदि कोई है, भी राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में मत डालते हैं, जबकि राज्य परिषद निर्वाचनों में केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं।

<u>राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान स्थल</u>

फोटो

आयोग न अपने पत्र सं. 318/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्य/एलसी/2017, दिनांक, 15.12.2017 के द्वारा राज्य विधान परिषद (विधायकों द्वारा) के निर्वाचन के लिए ले-आउट डिजाइन अनुमोदित किया था।
(कृपया राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में विधायकों द्वारा मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों मतदान अधिकारियों और अन्य संबद्ध मामलों के उपबंधों के लिए अध्याय – 12 का संदर्भ लें)

13.3 परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र

13.3.1 वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 25 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से परिषद के निर्वाचन क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र अथवा अधिकतम भाग यदि वह उसके क्षेत्राधिकार में आता है, के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्र की व्यवस्था करे। यदि निर्वाचन क्षेत्र दो जिलों में फैला हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में निर्णय लेगा कि किस जिले में निर्वाचन क्षेत्र का अधिक भाग शामिल है और उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी, अन्य जिले में आने वाले क्षेत्रों सहित संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की व्यस्था करेगा। तथापि, यदि ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र है, जो दो से अधिक जिलों में फैला हुआ है जिसका न तो पूरा भाग नही अधिक भाग किसी एक जिला निर्वाचन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था करेंगे।

13.3.2 जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, मतदान केंद्रों की व्यवस्था निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही की जानी होती है। निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची में कार्योपरांत अनुमोदन हेतु और किसी परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अतः ऐसा परिवर्तन करना धारा 25 के उपबंधों का अनुपालन न करने के समान होगा, जिससे निर्वाचन दूषित हो सकता है। मतदान केंद्रों की मसौदा सूची अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले मुख्य निर्वाचन अधिकरी के माध्यम से संवीक्षा एवं अनुमोदन हेतु निर्वाचन आयोग को अनिर्वाय रूप में अग्रेषित की जानी चाहिए।

13.3.3 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने हेतु मानदंड

(i) **निर्दिष्ट निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या** – मतदान केंद्र के रूप में प्रयोग करने के लिए पात्र क्षेत्र होने के लिए कम से कम 30 निर्वाचक (शिक्षक और स्नातक दोनों मिला कर) होने चाहिएं।

किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम संख्या में निर्वाचक होने की स्थिति में भी मतदान केंद्र स्थापित करना आवश्यक होगा यदि, इन निर्वाचकों को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए अन्यथा, लम्बी दूरी तय करनी पड़े।

(ii) **मतदान केंद्रों तक पहंचने के लिए अधिकतम दूरी –** मतदान केंद्र प्रत्येक निर्वाचक की यथासंभव सुगम पहुंच के भीतर स्थापित किए जाने चाहिएं। आमतौर पर, मतदाता को उसके मतदान केंद्र तक पहंचने के लिए 16 कि.मी. से अधिक की दूरी तय नहीं करनी चाहिए।

(iii) स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए अलग मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे ये दोनों निर्वाचन एक ही समय में आयोजित किए जा हो रहे हों। तथापि, आपवादिक मामलों में एक कामन मतदान केंद्र की तब व्यवस्था की जानी चाहिए यदि निर्वाचकों की संख्या कम है अथवा इसे संबंधित निर्वाचकों के लिए सुविधाजनक पाया जाए क्योंकि दोनों निर्वाचनों के लिए बहुत से निर्वाचक कॉमन हो सकते हैं।

(iv) मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचक, व्यावहारिकता एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए समूहवार अथवा अलग-अलग रूप में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चत किया जाना चहिए कि प्रत्येक निर्वाचक को उसके निवास स्थान का समीपस्थ मतदान केंद्र आबंटित किया जाए और कोई भी निर्वाचक ऐसा न रह जाए जिसे कोई मतदान केंद्र आबंटित न किया गया हो।

(v) **यदि सरकारी भवनों में संभव न हो तो निजी भवनों में-** जहां तक संभव हो, मतदान केंद्र सरकारी भवनों अथवा कार्यालयों अथवा विद्यालयों में स्थित होने चाहिएं। जब यह संभव न हो, तो ये निजी भवनों में बनाए जा सकते हैं।

(vi) **निजी भवनों की मांग-सूची बनाना-** ऐसे निजी भवनों की मांग समुचित रूप में की जानी चाहिए और/अथवा भवन के मालिक से लिखित में सहमति ली जानी चाहिए। इस प्रकार से लिए गए निजी भवन मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पहले और आगे उस अवधि तक, जैसा आवश्यक समझा जाए, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में आ जाने चाहिए। भवन और इसके आसपास का दो सौ मीटर का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए। भवन के मालिक से संबंधित किसी भी चौकीदार अथवा अन्य कार्मिकों, चाहे सशस्त्र अथवा बिना शस्त्र के, मतदान केंद्र के भीतर अथवा मतदान केंद्र के आसपास के दो सौ मीटर के दायरे में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान केंद्र और उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में केंद्रीय अथवा राज्य सुरक्षा बलों की होगी। नामनिर्देशन दायर करने के बाद, यह सुनिशिचत/पता लगाया जायेगा कि भवन का मालिक, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है अथवा निर्वाचनों में खड़े अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी का परिचित शुभचिंतक अथवा कार्यकर्ता तो नहीं है।

(vii) **धार्मिक स्थानों पर नही –** कोई भी मतदान केंद्र मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद. गुरूद्वारा इत्यादि जैसे पूजा स्थलों अथवा धार्मिक महत्व के स्थानों, अथवा ऐसे भवनों में स्थित नहीं होना चाहिए जो किसी राजनैतिक दल, किसी दल के प्रतिष्ठित सदस्य, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा उनके परिचित शुभचिंतकों के हों।

(viii) **अस्थायी ढांचा –** यदि उपयुक्त भवन विद्यमान न हों तो मतदान केंद्र इस प्रयोजन हेतु निर्मित अस्थायी ढांचों में स्थापित किए जा सकते हैं। किन्तु, जहां तक संभव हो, ऐसा करने से बचना

चाहिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक सरकारी खर्चा होता है और साथ ही तेज वर्षा, आग इत्यादि जैसे कई अन्य जोखिमों का भी खतरा रहता हैं।

(ix) **एक से अधिक मतदान केंद्र** – शहरी क्षेत्रों के एक ही भवन में चार से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में दो से अधिक मतदान केंद्र स्थित नहीं होने चाहिएं। यह अधिक भीड़ से बचने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि एक ही भवन अथवा परिसर में दो मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हों, और यदि एक ही समय पर ये निर्वाचन संचालित किए जा रहे हों तो इसके लिए यह बेहतर होगा कि एक मतदान केंद्र स्नातक श्रेणी और दूसरा शिक्षक श्रेणी के लिए तैयार किया जाए, ।

(x) **न्यूनतम क्षेत्र** – मतदान केंद्र में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए आमतौर पर इसका न्यूनतम क्षेत्र 20 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(xi) **अलग अलग दरवाजे** – सुचारू और व्यवस्थित मतदान के संचालन हेतु चयनित कमरे/हॉल में रोशनी और कम से कम दो दरवाजे होने चाहिएं जिससे कि एक को 'प्रवेश' के लिए दूसरे को 'निकास' के लिए प्रयोग किया जाए।

13.3.4 मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची तैयार करना:-

i. मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची **अनुबंध – VIII** में दिए गए फार्मेट में तैयार की जानी चाहिए।

ii. मतदान केंद्र के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित/सीमांकित किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र में सम्मिलित प्रत्येक नगर, वार्ड, गली, ब्लॉक, गांव अथवा अन्य राजस्व यूनिट का नाम और उस केंद्र के मतदाताओं की संख्या प्रत्येक मतदान केंद्र के सामने संबंधित कॉलम में मतदान क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख करके दर्शाई जानी चाहिए जिससे एक साधारण मतदाता के लिए भी यह पता लगाना संभव हो पाए कि उसे अपना मत डालने के लिए किस मतदान केंद्र पर जाना चाहिए।

iii. मसौदा सूची में विभिन्न कॉलम भरने की समान पद्धति सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(ए) प्रत्येक सूची के अंत में, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, प्रस्तावित मतदान केंद्रों की कुल संख्या और प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या अनिवार्य रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

(बी) इस सूची के साथ निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए एक मानचित्र होना चाहिएः-

(क) मानचित्र पर ही प्रत्येक गांव अथवा स्थान में मतदाताओं की संख्या सहित सभी गांव और वार्ड अथवा नगरों के स्थानों का विवरण देना और जहां ऐसा करना सुविधाजनक अथवा व्यवहारिक न हो वहां मानचित्र के साथ विवरण दिया जाए,

(ख) मतदान केंद्र स्थल के लिए चयनित स्थान;

(ग) प्रत्येक मतदान केंद्र का कवर्ड क्षेत्र; और

(घ) व्यवस्थित रूप से इंगित मतदान केंद्रों की संख्या, अधिमानत: निर्वाचन क्षेत्र के उतर-पूर्वी कार्नर से, फिर जिग-जैग पद्धति और अंत में दक्षिण-पूर्वी कार्नर पर समाप्त किया जाए।

(सी) सूची में संक्षिप्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए।

(डी) सूची में यदि भवनों का विवरण देने के लिए किसी स्थानीय शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

13.3.5 मतदान केंद्रों की मसौदा सूची का प्रकाशन

i. मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य सूचना हेतु निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाषा अथवा भाषओं में मसौदा प्रकाशित करेगा तथा एक विनिर्दिष्ट तारीख तक आपतियाँ और सुझाव आमंत्रित करेगा और इस प्रयोजन हेतु कम से कम सात दिन की अवधि प्रदान करेगा। ऐसी मसौदा सूची के प्रकाशन और स्थान जहां इनकी जांच की जा सकती है, की सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में दी जाएगी और विनिर्दिष्ट तारीख तक आपतियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगा, इस प्रयोजन हेतु कम से कम सात दिन की अवधि प्रदान की जाएगी।

ii. सूचियों की प्रतियां सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों, शिक्षकों/स्नातकों के प्रतिनिधि संघों अथवा निकायों को और संसद और राज्य विधान मंडलों के आसीन सदस्यों को दी जानी चाहिए। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को दलों के प्रतिनिधियों, स्नातकों/शिक्षक संघों अथवा उनके निकायों और विधायकों को एक बैठक में बुलाना चाहिए और मसौदा सूची पर चर्चा करनी चाहिए। किसी वास्तविक व्यक्ति, जो इस बैठक की चर्चा में भाग लेना चाहता है, को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राप्त आपतियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी को, जहां कहीं आवश्यक हो, मसौदा सूची में संशोधन करना चाहिए और इसे तत्काल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज देना चाहिए।

iii. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से भरे हुए संवीक्षा पत्रक सहित मसौदा सूची और विनिर्दिष्ट फार्मेट में एक प्रमाणपत्र भेजा जाना चाहिए।

13.3.6 संवीक्षा और अनुमोदन

(i) संवीक्षा करने के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अपनी टिप्पणियों सहित मसौदा सूची और संलग्नकों को निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगा ताकि यह अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाए।

(ii) यदि यह सूची अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली सूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ होनी चाहिए। तथापि, मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची को तब तक प्रिंट अथवा साइक्लोस्टाइल करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि कार्यालय प्रयोग अथवा पब्लिक के लिए अंग्रेजी प्रतियों की आवश्यकता न हो।

(iii) निर्वाचन आयोग आवश्यक माने जाने वाले परिवर्तनों और ऐसी अतिरिक्त सूचना मंगाने के बाद मतदान केंद्रों की प्रस्तावित सूची पर विचार करेगा और इन्हें अनुमोदन देगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की गई इस सूची को अंतिम सूची के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

नोटः- (क) निर्वाचन आयोग के अनुमोदन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सीधे ही संसूचित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का अनुमोदन मिलने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूची की एक बार फिर जांच की जानी चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित उन परिवर्तनों, यदि कोई हों, को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

13.3.7 मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन

जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करेगा। वह इसकी प्रति अनुबंध ॥-ड **(अनुबंध-XI)** में दिए गए फार्म में नोटिस द्वारा अपने कार्यालय में अनुबंध-॥-ठ **(अनुबंध-X)** में निर्वाचन आयोग के आदेश में पुन: प्रस्तुत की गई विनिर्दिष्ट पद्धति में प्रदर्शित करेगा। कॉलम 4,5,8,9 और 10 की प्रविष्टियों और मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान केंद्रों की कुल संख्या और प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या संबंधित सूची की सबसे नीचे की प्रविष्टियों को सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले सूची से विलोपित कर देना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रकाशन के बाद केवल प्रिंटिंग अथवा लिपिकीय त्रुटियों को ही सही कर सकता है।

13.3.8 मतदान केंद्रों की सूची में संशोधन

i. निर्वाचक नामावलियों में संशोधन करने के परिणामस्वरूप मतदान केंद्र को आबंटित मतदान क्षेत्र के भीतर मतदाताओं की संख्या में भिन्नता होने के फलस्वरूप, यदि कोई संशोधन, आवश्यक समझा जाए, तो इसे निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन हेतु भेजा जाना चाहिए।

ii. ऐसी स्थिति में मतदान केंद्रों की अवस्थिति को नए भवनों अथवा नए स्थानों में तब परिवर्तित करना आवश्यक हो सकता है जब मतदानन केंद्र के लिए मूल प्रस्तावित भवन अथवा स्थान का मलिक निर्वाचन में खड़ा हो जाए अथवा किसी अभ्यर्थी अथवा दल के लिए उसकी गहन सहानुभूति हो अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसे भवन (परिसर) ध्वस्त अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके हों। ऐसे परिवर्तनों को अनुमोदन हेतु तुरंत निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए।

iii. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से ही अनुमोदित मतदान केंद्रों के स्थानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि किसी भी प्रकार का परिवर्तन निर्वाचन को दूषित कर सकता है। जहां परिवर्तन अपरिहार्य हो जाए और परिवर्तन करना ही हो, ऐसे परिवर्तनों को निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि ये परिवर्तन निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए जाते हैं, तो इनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों इत्यादि को लिखित में जानकारी दी जानी चाहिए।

13.3.9 किसी मतदान केंद्र के भवन के नाम में परिवर्तन

निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों की सूची के अनुमोदन के बाद, उस मतदान केंद्र के भवन के नाम, जिसमें मतदान केंद्र संस्थापित किया जाना प्रस्तावित था, में कोई परिवर्तन होता है, उदाहरणार्थ, प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड करके माध्यमिक विद्यालय करना इत्यादि, किन्तु अन्यथा मतदान केंद्र की लोकेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के मामलों को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्वाचन आयोग को इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए। राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इत्यादि को भी ऐसे परिवर्तनों की सूचना लिखित में दी जानी चाहिए।

13.3.10 सूची की प्रतियों की आपूर्ति

(i) निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तारीख के शीघ्र बाद उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की सूची की तीन प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी को अपेक्षित संख्या में प्रतियां, यथास्थिति, पुलिस महानिदेशक, अथवा पुलिस अधीक्षक, को दी जानी चाहिए। ये प्रतियां रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी (अधिकारियों) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जानी चाहिए।

(iii) पर्याप्त संख्या में इस सूची की प्रतियां बिक्री हेतु भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

13.3.11 उप-निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की सूची

(i) निर्वाचन क्षेत्र में जब कभी उप-निर्वाचन का संचालन किया जाना हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पहले से अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची में क्या कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है।

(ii) यदि ऐसे उप-निर्वाचन के दौरान अनुमोदित सूची में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाए और उस उप-निर्वाचन के लिए उसे पूरी तरह से वैसे ही अपनाना प्रस्तावित हो, उसे अनुमोदन हेतु निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए।

(iii) तथापि, यदि, उक्त उप-निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची संशोधनों सहित अपनानी प्रस्तावित हों, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के स्थानीय एककों के प्रतिनिधियों, विधान मंडलों और संघों के प्रतिनिधियों अथवा स्नातक/शिक्षकों के निकायों, यदि कोई हो, की बैठक बुलानी चाहिए और उनसे परामर्श करने के बाद, संशोधनों के कारणों सहित संशोधित सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए। इसके बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूची की एक प्रति और अपनी टिप्पणियों सहित अन्य अनुलग्नक निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा। संशोधनों के सुझाव देते समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है कि उसने राजनैतिक दलों, प्रतिनिधियों, स्नातक/शिक्षकों के संघों, यदि कोई हो, विधान मंडलों से संपर्क कर लिया है। जहां किसी राजनैतिक दल अथवा विधान मंडलों अथवा अभ्यर्थी को कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है, किन्तु, जिला निर्वाचन अधिकारी के विचार में ऐसा संशोधन करना आवश्यक है तो उस परिवर्तन हेतु संपूर्ण औचित्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने चाहिए। निर्वाचन आयोग से सूची का अनुमोदन होने के बाद, इसे पैरा 13.3.7 में उल्लिखित रीति के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में आम सूचना हेतु प्रकाशित किया जाना चाहिए।

13.3.12 मतदान केंद्रों का अभिविन्यास (ले-आउट)

(i) पीठासीन अधिकारी द्वारा उस स्थान, जहां मतदान केंद्र संस्थापित किया जाना है, पर पहुंचने पर सर्वप्रथम प्रस्तावित भवन का निरीक्षण किया जाएगा और यदि यह पहले ही संस्थापित किया जा चुका हो तो मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया जाएगा। आदर्श मतदान केंद्र के डायग्राम नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। स्थान की आकृति/आकार (टोपोग्राफी) और स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के वास्तविक सेट-अप में छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकता है, किन्तु, उसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि-

(क) मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो;

(ख) पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए यथाव्यवहार्य अलग-अलग प्रतीक्षालय हों;

(ग) मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग हों (यदि केवल एक ही दरवाजा है तो उसी दरवाजे में अलग प्रवेश और निकासी की व्यवस्था एक रस्सी बांधकर अथवा बांस के डंडे लगाकर अथवा अन्य पार्टिशन करके की गई हो;

(घ) मतदाता के मतदान केंद्र में प्रवेश करने से लेकर बाहर आते समय तक सुचारू आवागमन हो और मतदान केंद्र के भीतर आड़ी-तिरछी आवाजाही न हो;

(ङ) मतदान एजेंट इस प्रकार से बैठे हों कि निर्वाचक जब मतदान केंद्र में प्रवेश करें तो वे उनका चेहरा देख सकें और प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उसकी पहचान कर ली जाए जिससे कि यदि आवश्यकता हो, तो मतदान एजेंट निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सके;

(च) मतदान अधिकारियों और मतदान एजेंटों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे यह न देख पाएं कि मतदान कोष्ठ के भीतर मतदाता अपने मतपत्र पर कैसे और किस पर निशान लगा रहा है;

(छ) मतदान कोष्ठ के भीतर पर्याप्त रोशनी हो। यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त अतिरिक्त लैम्प/रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

फोटो

मतदान एजेंट मतदाता पुस्तिका मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी	मतदान एजेंट मतदाता पुस्तिका मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी

एकल निर्वाचन के लिए अभिविन्यास (ले-आउट)

(ii) यदि मतदान केंद्र स्थल पर एक से अधिक मतदान केंद्र हों, तो बिना किसी भ्रांति के मतदाताओं को स्पष्टतः अलग करने हेतु संबंधित मतदान केंद्र के सामने अलग-अलग पंक्तियों में प्रतीक्षा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

फोटो

(पी.ओ - पीठासीन अधिकारी 1,2,3,4 और 5 मतदान अधिकारी) (पीएएस – मतदान एजेंट) (बी-मतपत्र पेटी) (वीसी – मतदान कोष्ठ)

एक साथ में होने वाले निर्वाचन का अभिविन्यास (ले-आउट)

(iii) यदि मतदान केंद्र किसी निजी भवन में स्थित है तो भवन और इसके आस-पास का 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए। किसी वाच एवं वार्ड या

मालिक से संबंधित अन्य किसी कर्मी, सशस्त्र या शस्त्र रहित, को मतदान केंद्र पर या उसके चारों ओर दो सौ मीटर की परिधि के भीतर रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर तथा उपर्युक्त क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर सुरक्षा इंतजाम की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के नियंत्रणाधीन पुलिस की होगी।

(iv) मतदान केंद्र के अंदर राजनैतिक दलों के नेताओं का कोई चित्र या निर्वाचन के अभिप्राय वाला कोई स्लोगन प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के चित्र या स्लोगन पहले से ही वहां मौजूद हों, तो उनको मतदान समाप्त होने तक हटा दिया जाना चाहिए।

(v) किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस को मतदान केंद्र के भीतर किसी भी प्रयोजन से कूकिंग या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(vi) मतदान कोष्ठ (कंपार्टमेंट)

(क) मतदान कंपार्टमेंट के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे बड़े और भारी पर्दों, जो कंपार्टमेंट को अंधकारयुक्त और डरावना बनाते हों, का सामान्यतया केवल इसलिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक में उपलब्ध हैं। किसी छोटी मेज या टी-पाय की चारो टांगों को बांधने के लिए चार पोल और चारो पोलों को तीन तरफ से घेरने के लिए एक परदे की व्यवस्था करना एक साधारण और कम खर्चीली व्यवस्था है। मेज को इंटों की सहायता से जमीन से 5 फीट उपर उठाकर और दीवार से 2 फीट से कम दूरी पर स्थापित करके एक उत्कृष्ट मतदान कंपार्टमेंट उपलब्ध करवाया जा सकता है।

(ख) ठीक इसी प्रकार का कार्य थोड़ा खर्च करके निम्नानुसार किया जा सकता है:
24"x 18" का एक पतला लकड़ी का बोर्ड, जिसके चारो कोनों पर छेद हों, इन चारो छेदों में फिट करने के लिए 18" लंबी लकड़ी की छड़ें और इन छड़ों के तीनों किनारों पर लगा कपड़े का टुकड़ा एक मतदान कंपार्टमेंट के लिए पर्याप्त पोर्टेबल उपकरण होगा। इसे ईटों की सहायता से जमीन के तीन फिट ऊपर उठाए गए एक छोटे मेज पर स्थापित किया जा सकता है। जहां व्यवहार्य हो प्रत्येक मतदान दल के लिए ऐसे दो सेट उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। यदि सस्ती सामग्री का उपयोग किया जाए तो यह प्रति यूनिट 3.00 रु से अधिक नही होगी और इसे तहसील मुख्यालय स्तर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

(ग) इसके साथ-साथ मतदान कंपार्टमेंट को साइड बाई साइड स्थापित करने का तीसरा बैकल्पिक तरीका किसी दीवार से लगभग 2 फीट की दूरी पर दीवार के समांतर एक परदा लटकाकर व्यवस्था करना है, जिसमें पहले परदे के समकोण पर दूसरा परदा लटकाया जाता है जैसा कि लाइन प्लान में दर्शाया गया है। इन परदों को सीधे जमीन तक स्पर्श नहीं

करना चाहिए। इससे इनके भीतर कम से कम 3 से 4 फीट की चौड़ाई मिलेगी। ऐसे स्थानों पर जहां 'टालीज' आसानी से उपलब्ध हैं वहां कमरे के कोने में दो 'टालीज' को समकोण पर एक दूसरे के साथ जोड़कर मतदान कंपार्टमेंट बनाया जा सकता है।

13.3.13 मतदान अधिकारियों की तैनाती:

(i) वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 26 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और उतनी संख्या में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना अपेक्षित होता है, जितना उसे उचित लगे। यदि परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक जिलों तक है तो जिस जिले में निर्वाचन क्षेत्र आता है उस जिले का संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की सूची तैयार करेगा। उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी जिला निर्वाचन अधिकारी इन सूचियों को पूर्णतया अपनाएगा और नियुक्तियां करेगा।

(ii) स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर सामान्यतया एक पीठासीन अधिकारी, मतदाताओं की पहचान और अमिट स्याही लगाने के लिए एक मतदान अधिकारी, बैलेट पेपर जारी करने के लिए एक मतदान अधिकारी और मार्किंग यंत्र जारी करने के लिए एक और मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यदि किसी मतदान केंद्र पर आवंटित निर्वाचकों की संख्या बहुत कम यानि 100 या इसी प्रकार हो, तो केवल दो मतदान अधिकारी पर्याप्त होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए आरक्षित मतदान अधिकारी या चपरासी की आवश्यकता नहीं होती है। हांलाकि पूरे जिले के लिए मतदान कर्मियों की एक सामान्य आरक्षित सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रहनी चाहिए ताकि वह किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मतदान के दिन अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन अधिकारियों या मतदान अधिकारियों के स्थानापन्न को भेजने में सक्षम हो।

(iii) यद्यपि धारा 26 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में दो या अधिक मतदान केंद्रों के लिए समान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अनुमत्य है, लेकिन एक साथ आयोजित होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किसी पीठासीन अधिकारी को एक से अधिक मतदान केंद्र का प्रभार तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि कॉमन मतदान केंद्रों की व्यवस्था एक ही हॉल/कक्ष में न की गई हो।

(iv) चूंकि प्रत्येक जिले में स्थापित मतदान केंद्रों की संख्या आमतौर पर कम होती है क्योंकि किसी भी समय पर पूरे राज्य में निर्वाचन एक साथ आयोजित नहीं किए जाते हैं,

इसलिए मतदान कर्मियों की नियुक्ति का चयन केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तक सीमित होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी का स्तर आमतौर पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार का होना चाहिए। मतदान अधिकारी आमतौर पर लेखाकार या सहायक के स्तर के होने चाहिएं। जहां तक संभव हो, किसी जिले में मतदान ड्यूटी के लिए चयनित व्यक्ति को उसी जिले में स्थापित किसी मतदान केंद्र में ड्यूटी के तैनात किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने काउंसिल या संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पिछले निर्वाचन में पहले ड्यूटी की हुई है, को मतदान ड्यूटी के लिए चयनित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपेक्षित अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होगा।

13.4 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की सूची:

13.4.1 निर्वाचनों की गहन निगरानी और प्रबंधन के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मतदान केंद्र उप-मंडल स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मौजूदा मतदान केंद्रों की तत्काल समीक्षा की जाएगी और सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करने के उपरांत नए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किए जाएंगे।

13.4.2 किसी निर्वाचक को उसके नाम से कोई विशेष मतदान केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा और किसी निर्वाचक को उस मतदान केंद्र से अलग मतदान केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा जहां वह उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार मतदान करने का हकदार है।

13.4.3 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की सूची **अनुबंध IX** के प्ररूप में तैयार की जाएगी।

13.4.4 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रारूप सूचियां तैयार करने, सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए ऐसी प्रारूप सूचियों का प्रकाशन, राजनैतिक दलों आदि के साथ परामर्श, ऐसी सूचियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करना और अंतिम रूप से तैयार सूची का प्रकाशन करने से संबंधित पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अन्य सभी अनुदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सूचियों को तैयार करने और अंतिम रूप देने के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

13.4.5 मतदान अधिकारियों की तैनाती

(i) यह सुविधजनक होगा यदि पंचायत के कार्यकारी अधिकारी या पंचायत संघ या नगरपालिका के आयुक्त को उसके क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। यदि निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक हो तो उसकी सहायता के लिए पंचायत कार्यालय/नगरपालिका कार्यालय/राजस्व विभाग से दो या अधिक कर्मचारियों को मतदान अधिकारी के रूप कार्य करने के लिए लिया जा सकता है। यदि पंचायत के कार्यकारी अधिकारी या पंचायत संघ या नगरपालिका के आयुक्त को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना संभव नहीं है तो राजस्व विभाग के तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी, जो पहले परिषदीय निर्वाचनों या विधान सभा निर्वाचनों में मतदान ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए थे, को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना जा सकता है। मतदान अधिकारियों का स्तर मुख्य लेखाकार या सहायक का होना चाहिए।

(ii) पूरे जिले के लिए मतदान कर्मियों की सामान्य आरक्षित सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखी जानी चाहिए ताकि वह किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मतदान के दिन अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन अधिकारियों या मतदान अधिकारियों के स्थानापन्न को भेज सके।

(स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में दिए गए अन्य अनुदेश, स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के संदर्भ में मतदान कर्मियों के लिए यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।)

*****

अध्याय-14

कोविड-19 के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन इंतजाम

इस अध्याय में उल्लिखित मुख्य विषय

- ✓ **मतदान केंद्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या**
- ✓ **मतदान के दिन इंतजाम**
- ✓ **मतदान अधिकारियों के लिए किट**

14.1 परिचय

14.1.1 भारत में कोविड-19 महामारी के आगमन के उपरांत गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवमं परिवार कल्याण मंत्रालय समय समय पर दिशानिर्देश जारी करते रहे हैं। 29 जुलाई 2020 के उनके नवीनतम परिपत्र में गृह मंत्रालय ने पूरे देश में अनुपालनार्थ व्यापक दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी विसंक्रमण, सेनिटाइजेशन और कोविड-19 को रोकने के लिए निवारक उपायों के लिए एसओपी जारी किया है।

14.1.2 निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त विचारों/सुझावों पर विचार करने के उपरांत कोविड-19 अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आगामी साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रचार अभियान और सार्वजनिक बैठकों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

14.2 मतदान केंद्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या

निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि संबंधित राज्य/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां निकट भविष्य में साधारण/उप-निर्वाचन होने हैं, में किसी मतदान केंद्र को आवंटित निर्वाचकों की संख्या को 1000 तक सीमित रखा जाएगा ताकि मतदान केंद्रों पर भीड़ से बचते हुए सामाजिक दूरी के मानकों का पालन किया जा सके। तदनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ (जहां निकट भविष्य में उप-निर्वाचन होने हैं) से 1000 से अधिक निर्वाचकों वाले मुख्य मतदान केंद्रों को विभाजित/त्रिभाजित करके सहायक मतदान केंद्र निर्मित करने का समेकित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

14.3 मतदान दिवस के दिन इंतजाम:

निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। कृपया अध्याय 2 - मतदान केंद्र स्थापित करने के मानक के पैरा 2.8 का अवलोकन करें। कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर अब निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं/व्यवस्थाएं की जानी चाहिए:

(i) अधिमानतः, मतदान से एक दिन पहले मतदान केंद्र को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना।

(ii) प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनर।

(iii) मतदान केंद्र स्थान/मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल पर मतदाताओं की थर्मल जाँच, या तो मतदान कर्मचारी द्वारा या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ता द्वारा की जानी चाहिए।

(iv) यदि पहली रीडिंग पर तापमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है, तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी और यदि वह यथावत बना रहता है, तो निर्वाचक को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान हेतु आने के लिए कहा जाएगा। मतदान के अंतिम घंटे में, ऐसे निर्वाचकों से, कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के बाद, मतदान करवाया जाएगा।

(v) पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मतदाताओं को टोकन वितरण के लिए हेल्प डेस्क, ताकि उन्हें कतार में इंतजार न करना पड़े।

(vi) कतार के लिए सामाजिक दूरी प्रदर्शित करने के लिए मार्कर।

(vii) स्थान की उपलब्धता के आधार पर कतार में खड़े मतदाताओं के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी पर 15-20 व्यक्तियों के लिए वृत्त चिह्नित करना। पुरुष, महिला और दिव्यांगजन/वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से प्रत्येक के लिए तीन कतारें होंगी।

(viii) सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से अनुवीक्षण एवं विनियमन करने के लिए बीएलओ, स्वयंसेवकों आदि को परिनियोजित किया जा सकता है।

(ix) मतदान केंद्र परिसर के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए कुर्सियों, दरी आदि के साथ अलग-अलग एक छांवदार प्रतीक्षा-क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदाता सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता के बिना मतदान में भाग ले सकें।

(x) जहां भी संभव हो, मतदान केंद्र पर बूथ एप का इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश/निकास द्वार पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(xii) प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश/निकास द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(xiii) उन निर्वाचकों के लिए रिजर्व में फेस मॉस्क रखे जाएंगे जो मॉस्क पहनकर नहीं आएंगे।

(xiv) कोविड-19 के संबंध में विजिबल लोकेशन पर जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

(xv) मतदान केंद्र में मतदान कर्मियों और मतदान एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(xvi) यदि मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट का तापमान विहित सीमा से अधिक है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर को अनुमति दी जाएगी, जो तदनुसार रिकॉर्ड रखेंगे।

(xvii) मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान, मतदाताओं के लिए अपेक्षित होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वह पहचान के लिए फेसमास्क को नीचे करे।

(xviii) किसी भी समय, प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल 1 (एक) मतदाता को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए खड़े होने की अनुमति दी जाएगी।

(xix) मतदाता को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताने (हैंड ग्लव्स) उपलब्ध कराए जाएंगे।

(xx) बूथ के अंदर मतदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने हेतु सुस्पष्ट निदेश के साथ उपयुक्त स्थानों पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे।

(xxi) कोविड-19 मरीजों को, जिन्हें संगरोध किया गया है, कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों का सख्ती से पालन करते हुए स्वास्थ्य प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान के अंतिम घंटे में अपना मत डालने की अनुमति दी जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे।

14.4 मतदान अधिकारियों के लिए किट

प्रत्येक मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी को अन्य विहित वस्तुओं के अलावा निम्नलिखित वस्तुएं (उनके अलावा जहां पीपीई आवश्यक हैं) उपलब्ध करवाई जाएंगी:

1) मास्क
2) सेनिटाइजर
3) फेस शील्ड
4) ग्लव्स

******

अनुलग्नक

अनुलग्नक I
(अध्याय-3, पैरा 3.2)
मतदान केन्द्रों की सूची

--------------------------संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (के भीतर समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) -----------------के लिए

मतदान केन्द्र की क्र. सं.	परिक्षेत्र	भवन जिसमें यह अवस्थित होगा	मतदान केन्द्र का क्षेत्र	क्या पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार हैं, यदि नहीं हों तो कारण	मतदान क्षेत्र*	सभी मतदाताओं के लिए या केवल पुरुषों या केवल महिलाओं के लिए	निर्दिष्ट मतदाताओं की कुल सं.	अधिकतम दूरी जो मतदाता को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए तय करनी होगी	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1) मतदाताओं की कुल संख्या
2) प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
3) प्रति मतदान केन्द्र मतदाताओं की औसत संख्या

तारीख----------------------जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी

* यहां निर्दिष्ट गांवों, वार्डों, गलियों, परिक्षेत्रों के नाम एवं मकान नंबर तथा निर्वाचन नामावली की भाग संख्या दें। यदि भाग दो मतदान केन्द्रों में विभाजित है तो निर्दिष्ट मतदाताओं की क्रम संख्या (मकान नंबर नहीं) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

* संघ शासित क्षेत्रों (1) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (2) चंडीगढ़, (3) दादरा एवं नागर हवेली, (4) लक्षद्वीप और (5) दमन एवं दीव के मामलों में लागू नहीं होगा।

<u>फॉर्मेट के स्तम्भों को भरने के लिए अनुदेश</u>

1.(i) स्तम्भ 1- मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी कोने से आरंभ होनी चाहिए और टेढ़ी-मेढ़ी रीति से निर्वाचन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी कोने की ओर अग्रसर होनी चाहिए। मतदान केन्द्र की क्रम संख्या तथा उस मतदान केन्द्र को सौंपे गए मतदान क्षेत्र को शामिल करते हुए निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एक-समान रहनी चाहिए।

(ii) स्तम्भ 2- 'परिक्षेत्र' उस क्षेत्र का नाम है जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है। अस्थायी संरचनाओं के मामले में, अस्थायी संरचना के स्थान के लिए चुने गए बिल्कुल ठीक स्थल का वर्णन स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(iii) स्तम्भ 3- भवन का पूरा नाम स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। संक्षिप्त रूप के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में स्थित हैं (मतदान केन्द्र अवस्थित), वहां इन्हें ''नॉर्थ विंग'', ''साउथ विंग'' आदि का उल्लेख करके स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(iv) स्तम्भ 4- मतदान केन्द्र के क्षेत्र को वर्ग मीटर में दर्शाया जाना चाहिए। यदि मतदान केन्द्र के पास 20 वर्ग मीटर से कम का क्षेत्र है, तो इसके कारण को प्रपत्र के 'अभ्युक्तियां' स्तम्भ में उपयुक्त प्रविष्टि के सामने बताया जाना चाहिए।

(v) स्तम्भ 5- यदि प्रवेश और निकास पृथक-पृथक हैं तो इस स्तंभ में 'हां' लिखा जाना चाहिए, अन्यथा पृथक प्रवेश और पृथक निकास वाले कक्ष/हॉल में मतदान केन्द्र नहीं बना पाने के कारण दिए जाने चाहिए।

(vi) स्तम्भ 6- गांवों, प्रखण्डों, वार्डों, गलियों, परिक्षेत्रों, मकान संख्या तथा निर्वाचक नियमावली की भाग संख्या दी जानी चाहिए।

(vii) स्तम्भ 7- यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्या मतदान केन्द्र सभी मतदाताओं के लिए है या केवल महिलाओं या केवल पुरुषों के लिए है।

(viii) स्तम्भ 8- इस स्तम्भ में निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम निर्वाचक नियमावली के अनुसार मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदाताओं की कुल संख्या की सूचना होनी चाहिए।

(ix) स्तम्भ 9- इस स्तम्भ में यात्रा की जाने वाली दूरी को दर्शाया जाना चाहिए, यदि यह 2 (दो) किलोमीटर की अधिकतम सीमा हो।

(x) स्तम्भ 10- जहां मतदान केन्द्र के स्थान या क्षेत्र के संबंध में आयोग के निदेशों का अनुपालन करना व्यवहार्य नहीं है वहां किन्हीं अन्य अभ्युक्तियों, जो जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी देना चाहते हों, के अतिरिक्त, इस स्तम्भ में विस्तृत कारण आयोग के विचारार्थ दिए जाने चाहिए।

2. निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की औसत संख्या प्रत्येक सूची के अंत में निश्चित रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

3. निम्नलिखित के माप को दर्शाने के लिए इस मसौदा सूची के साथ एक मानचित्र होना चाहिए:-

(i) सभी गांव, या शहर में वार्ड/परिक्षेत्र, जिनमें मानचित्र पर ही ऐसे प्रत्येक गांव या स्थान में मतदाताओं की संख्या दी गई हो तथा जहां यह सुविधाजनक या व्यवहार्य नहीं हो, वहां मानचित्र के साथ संलग्न विवरण में;

(ii) मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए चुना गया स्थान;

(iii) व्यवस्थित रीति से क्रम संख्या द्वारा दर्शाए गए प्रत्येक मतदान केन्द्र का संबंधित क्षेत्र, जो अधिमानत: निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम कोने से आरंभ हो टेढ़ी-मेढ़ी रीति से अग्रसर होते हुए दक्षिण-पूर्वी कोने में समाप्त हो। (यह क्रम संख्या वही होगी, जो निर्वाचन नियमावली की उस भाग संख्या की होगी, जिसमें उक्त मतदान केन्द्रों को सौंपे गए संबंधित मतदान क्षेत्रों को शामिल किया गया है।)

4. सूची में संक्षिप्तियों के प्रयोग से यथासंभव बचा जाना चाहिए और जहां इनका प्रयोग किया जाता है, वहां इनको स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि सूची में भवन आदि का वर्णन करने के लिए किन्हीं स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इनको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

****

अनुलग्नक ।।

(अध्याय 3, पैरा 3.5)

मतदान केन्द्रों की सूची के लिए संवीक्षा पत्र

--------------राज्य/संघ शासित क्षेत्र का------------------विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

1. मतदान की तारीख
2. निर्वाचन क्षेत्र-----------में मतदाताओं की कुल संख्या
   (क) पुरुष--------------------------
   (ख) महिलाएं-----------------------------
   (ग) सेवा मतदाता---------------------
   कुल---
3. प्रति मतदान केन्द्र 1000 मतदाताओं के औसत के आधार पर अपेक्षित मतदान केन्द्रों की संख्या।
4. वास्तव में उपलब्ध कराए गए मतदान केंद्रों की कुल संख्या।
5. प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या।
6. किसी मतदान केंद्र को निर्दिष्ट सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या को दर्शाते हुए, ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या जिनमें से प्रत्येक के लिए 1500 से अधिक मतदाता निर्दिष्ट किए गए हैं।
7. किसी मतदान केंद्र को निर्दिष्ट मतदाताओं की न्यूनतम संख्या।
8. क्या प्रत्येक घटक, गांव या मतदान क्षेत्र की अन्य यूनिट के संबंध में मतदाताओं की संख्या सूची/मानचित्र में दर्शायी गई है?
9. ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या जिसके लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी 2 किमी से अधिक है।
10. क्या सभी मतदान क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन किया गया हैः
11. क्या मतदान केंद्रों की क्रम संख्या सुव्यवस्थित रीति से दी गई हैः
12. (क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की बहुलता वाले कोई क्षेत्र हैं?
    (ख) यदि हां, तो उनके लिए पृथक रूप से स्थापित मतदान केंद्रों की संख्या तथा उनमें से प्रत्येक को निर्दिष्ट निर्वाचकों की संख्या

13. क्या किसी मतदान केंद्र को निम्नलिखित में से किसी में बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है:-

(क) निजी भवन

(ख) अस्थायी संरचना, और यदि हां, तो क्या मतदान केन्द्र की अवस्थिति के लिए बिल्कुल ठीक स्थल चुना गया

14. केंद्रों को सूची में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
15. ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या जिनका क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर से कम है।
16. क्या यह प्रमाणित किया गया है कि निजी भवन किसी अभ्यर्थी, उसके सक्रिय कार्यकर्ताओं या ज्ञात शुभचिंतकों के नहीं हैं?
17. ऐसे मतदान केंद्रों का ब्यौरा, जहां शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक मतदान केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में बनाए गए हैं।
18. क्या यह प्रमाणित किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी मतदान क्षेत्रों को प्रस्तावित मतदान केन्द्रों द्वारा कवर किया गया है?
19. (क) महिला मतदाताओं के लिए प्रदान किए गए पृथक मतदान केंद्रों की क्रम संख्याएं
    (ख) उपर्युक्त (क) के मामले में, क्या किसी विशेष क्षेत्र के पुरुष एवं महिला मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र एक ही भवन में बनाए गए हैं?
20. ऐसे मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या, जिनको सर्वाधिक मतदाताओं वाले गांवों में नहीं बनाया गया है।
21. ऐसे मतदान केंद्रों की क्रम संख्या जिनको इनसे संबद्ध किसी गांव में नहीं बनाया गया है।
22. क्या सूची को अनौपचारिक रूप से प्रकाशित किया गया है और इस पर राजनैतिक दलों आदि के साथ चर्चा की गई है?
23. निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली विगत में गहन रूप से कब संशोधित की गई थी और क्या वर्ष के दौरान फिर से ऐसे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है?
24. कोई अन्य अभ्युक्तियां

जिला निर्वाचन अधिकारी

टिप्पणी: कृपया मद 6, 7, 12(ख), 13, 14, 16, 18, 19 एवं 20 के सामने मतदान केंद्रों की कुल संख्या के साथ-साथ क्रम संख्याएं विनिर्दिष्ट करें।

अनुलग्नक ।।।
(अध्याय 3, पैरा 3.5)

मतदान केंद्रों की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(i) यह कि प्रारूप सूची को सम्यक रूप से प्रकाशित किया गया, आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए और आयोग के निदेशों के अनुरूप दल के प्रतिनिधियों एवं विधायकों के साथ चर्चा की गई;

(ii) यह कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी मतदान क्षेत्रों को सूची में शामिल किया गया है;

(iii) यह कि किसी भवन, सार्वजनिक या निजी, जो मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा है या जिसका कोई धार्मिक महत्व है या जिसके संबंध में जनता के किसी वर्ग को प्रवेश करने पर विधिसम्यक आपत्ति है, का प्रस्ताव मतदान केंद्र के रूप में नहीं किया गया है;

(iv) यह कि किसी पुलिस थाना, अस्पताल या औषधालय का प्रस्ताव मतदान केन्द्र के रूप में नहीं किया गया है;

(v) यह कि ऐसे क्षेत्रों में पृथक मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है जिनके निर्वाचक मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्ग के हैं और यह कि ऐसे किसी क्षेत्र को न तो छोड़ा गया है और न ही किन्हीं ऐसे क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया है जहां निर्वाचक मुख्य रूप से अगड़े समुदाय के हैं।

(vi) जहां प्रति मतदान केंद्र 1500 मतदाताओं की सामान्य सीमा या दो किमी की सीमा, जिससे अधिक किसी मतदाता को सामान्यतया चलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, का पालन नहीं किया गया है, वहां कोई बेहतर इंतजाम व्यवहार्य नहीं है;

(vii) यह कि मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज कोई निजी भवन किसी राजनैतिक दल का नहीं है या किसी राजनैतिक दल के प्रमुख या सक्रिय सदस्य का होना ज्ञात नहीं है; तथा

(viii) ऐसे मामलों में, जहां निजी भवनों का चयन मतदान केंद्रों के रूप में किया गया है, वहां इस प्रयोजनार्थ इससे मालिक की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग
अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान---------------------

तारीख---------------------

****

अनुलग्नक IV
[अध्याय 3, पैरा 3.6 (ii)]

मतदान केंद्रों की सूची के प्रकाशनों का नोटिस

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं------------------ राज्य/संघ शासित क्षेत्र----------------के-------------------जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, एतदद्वारा निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्रों के लिए संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट मतदान केंद्रों या प्रत्येक के सामने उल्लिखित मतदाताओं के समूहों के लिए उपबंध करता हूं।

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी

तारीख---------------

------------संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के [भीतर समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र]--------------के लिए मतदान केंद्रों की सूची

क्रम सं.	मतदान केन्द्र का परिक्षेत्र	भवन, जिसमें यह स्थित होगा	मतदान क्षेत्र	क्या सभी मतदाताओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए
1	2	3	4	5

जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी

तारीख--------------------

स्थान-----------------------

नोटः- संघ शासित क्षेत्रों (1) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (2) चंडीगढ़, (3) दादरा एवं नागर हवेली, (4) लक्षद्वीप और (5) दमन एवं दीव के मामले में लागू नहीं होगा।

****

अनुलग्नक V

[अध्याय 8, पैरा 8.2.3]

दृष्टिबाधित और अशक्त निर्वाचक के सहयोगी द्वारा उद्घोषणा

-------------------- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (------------------- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट)

मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम---

मैं------------------------, सुपुत्र ----------------------- आयु -----------, निवासी* --, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं किः

(क) मैंने आज दिनांक----------------------- को किसी भी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं ---------------------------- की ओर से स्वयं द्वारा दर्ज मत को गोपनीय रखूंगा/रखूंगी।

सहयोगी के हस्ताक्षर

---

*पूरा पता दिया जाए।

****

अनुलग्नक-VI

[अध्याय-12, पैरा 12.2.5]

अनुलग्नक-8क

राज्य सभा और विधान सभा परिषदों के लिए निर्वाचनों पर मतों की रिकॉर्डिंग के लिए अनुदेश

क. मतदान करने की विधि

1. मतदान के उद्देश्य के लिए, मतदान केंद्र में केवल मतदान अधिकारी द्वारा वितरित पेन का ही उपयोग करें, जो डाक पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद इसे आपको सौंप दिया जाएगा। किसी अन्य पेन, पेंसिल, बॉल पांइट पेन या किसी अन्य मार्किंग साधन का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इससे आपका डाक पत्र अमान्य हो जाएगा।
2. उस अभ्यर्थी, जिसे आपने अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है, के नाम के सामने के स्तम्भ में संख्या "1" को रखते हुए 'अधिमान्यता के क्रम' को चिह्नित करते हुए मतदान करें।
3. यदि निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, तो संख्या "1" को केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने रखा जाएगा।
4. निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर ध्यान दिए बगैर आपके पास उतनी अधिमान्यताएं/पसंद हैं जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। उदाहरण के लिए, यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी पांच हैं और केवल दो ही निर्वाचित होने हैं, तो भी आप अपनी अधिमान्यता/पसंद के क्रम में अपनी पसंद के अभ्यर्थियों के सामने 1 से 5 तक अधिमान्यताएं/पसंद चिह्नित कर सकते हैं।
5. अधिमान्यता "1" चिह्नित करने के बाद, यदि आप चाहें तो आप अपनी अधिमान्यता के क्रम में अभ्यर्थियों के नामों के सामने इन अधिमान्यताओं को इंगित करते हुए शेष अभ्यर्थियों के लिए आगे की अधिमान्यताओं 2,3,4 आदि को इंगित कर सकते हैं।
6. आश्वस्त हो लें कि आपने किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही संख्या दर्ज की है और यह भी देख लें कि एक ही संख्या एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने दर्ज नहीं किया गया है।

7. अधिमान्यता/पसंद केवल संख्याओं, जैसे कि 1,2,3, आदि में इंगित की जाएगी और एक, दो, तीन, आदि शब्दों में इंगित नहीं की जाएगी। शब्दों में अधिमान्यता/पसंद देने से मतपत्र अमान्य हो जाएगा।
8. संख्याओं को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में जैसे कि 1,2,3, आदि या रोमन रूप I,II,III आदि में, या देवनागरी रूप 1,2,3, में या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यताप्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उपयोग किए गए रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
9. मतपत्र पर अपना नाम या कोई शब्द नहीं लिखें और न ही अपने हस्ताक्षर करें या अद्याक्षर लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी न लगाएं। ये सभी आपके मतपत्र को अमान्य कर देंगे।
10. अपनी अधिमान्यताओं को इंगित करने के लिए अपनी पसंद के अभ्यर्थियों के सामने निशान या 'x' लगाना पर्याप्त नहीं है। ऐसा मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। अपनी अधिमान्यताओं को ऊपर बताए अनुसार केवल संख्याओं 1,2,3, आदि में इंगित करें।
11. अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि आप अपनी पहली अधिमान्यता अभ्यर्थियों में से किन्हीं एक के सामने संख्या "1" दर्ज करके इंगित करें। अन्य अधिमान्यताएं वैकल्पिक हैं, अर्थात आप दूसरी और अनुवर्ती अधिमान्यताएं इंगित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।

ख. अमान्य मतपत्र

वह मतपत्र अमान्य होगा, जिसपर -

1. संख्या 1 चिह्नित नहीं है;
2. संख्या 1 को एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने दर्ज किया गया है;
3. संख्या 1 को इस स्थान पर दर्ज किया गया है कि जिससे यह संदेह पैदा हो जाता है कि यह संख्या किस अभ्यर्थी के लिए लिखी गई है;
4. संख्या 1 और कुछ अन्य संख्याओं जैसे 2,3 आदि, को भी एक ही अभ्यर्थी के नाम के नाम के सामने दर्ज किया गया है;
5. अधिमान्यताएं, संख्याओं के स्थान पर शब्दों में दर्शाई गई हैं;

6.मतदान केंद्र में मतदान कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन के अतिरिक्त किसी अन्य पेन/पेंसिल द्वारा मत को चिह्नित किया गया है।

7.कोई निशान या लिखावट दर्ज है, जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है।

ग. प्राधिकृत अभिकर्ता को चिह्नित मतपत्र दिखाना (केवल राज्य परिषद के निर्वाचन के लिए लागू)

राज्य परिषद के लिए निर्वाचन में, किसी राजनैतिक दल के सदस्य एमएलए को, अपना मत चिह्नित करने के बाद उसे यदि मतदान केंद्र में ऐसा अभिकर्ता उपस्थित है तो बैलेट बॉक्स में मतपत्र (बैलेट) डालने से पूर्व, उस राजनैतिक दल, जिसका वह सदस्य है, के प्राधिकृत अभिकर्ता को मतपत्र दिखाना आवश्यक होता है। मतपत्र संबंधित प्राधिकृत अभिकर्ता को केवल दिखाया जाना चाहिए और उस अभिकर्ता को दिया नहीं जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मतपत्र (बैलेट) **केवल** संबधित राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को ही दिखाया जाए। किसी अन्य व्यक्ति को मतपत्र दिखाना मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे मामलों में मतपत्र रद्द किया जा सकता है। अतः मत चिह्नित करने के बाद निर्वाचक को मतदान कक्ष के अंदर ही रहते हुए ही मतपत्र को मोड़ देना चाहिए और अपने राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता की सीट के पास जाना चाहिए। संबंधित राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को मतपत्र दिखाते समय, निर्वाचक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतपत्र किसी और को दिखाई न दे। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के एजेंटों की सीटों के बीच पर्याप्त विभाजन/दूरी रखी जाएगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि एक से अधिक दलों के लिए एक ही प्राधिकृत अभिकर्ता की कोई अवधारणा नहीं है, भले ही ये दल एक गठबंधन में हों।

प्राधिकृत अभिकर्ता को मतपत्र दिखाने के बाद और अभिकर्ता द्वारा इसे देख लेने के बाद, निर्वाचक पहले से बनी परतों के अनुरूप ही मतपत्र को मोड़ देगा, ताकि किसी और को डाले गए मत का निशान दिखाई न दे और फिर मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा, यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसके विपरीत कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया हो। तत्पश्चात, निर्वाचक मतदान केंद्र से चला जाएगा।

निर्दलीय एमएलए किसी भी व्यक्ति को अपना चिह्नित मतपत्र **नहीं** दिखाएंगे। वे मतदान कक्ष के भीतर ही चिह्नित मतपत्र को मोड़ेंगे, बाहर आएंगे और इसे इसे मतपेटी के अंदर डाल देंगे।

अनुलग्नक-VII

[अध्याय-12, पैरा 12.2.6]

अनुलग्नक 9-क

अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतगणना हेतु समय और स्थान के संबंध में नोटिस

निर्वाचन का नाम --------------------------------

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 51 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा नोटिस देता/देती हूं कि मैंने उक्त नियम के अनुरूप, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मतगणना हेतु ----------- (महीना) 20 ------------- को दिन ------------------- के पूर्वा./अप. .... बजे को तिथि और समय के रूप में और ऐसे मतगणना हेतु --------------------(स्थान) को स्थान के रूप में निर्धारित करता हूं।

हस्ता/-..........

स्थान -------------

दिनांक -----------

रिटर्निंग अधिकारी.........

सेवा में

सभी अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्तागण

****

अनुलग्नक-VIII

[अध्याय-13, पैरा 13.3.4 (I)]

मतदान केंद्रों की सूची

------------------राज्य के -------------------जिल ा में स्नातकों/शि िक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र ------------ --के लिए

क्र. सं.	मतदान केंद्र की अवस्थिति	वह भवन, जिसमें यह अवस्थित होग ा	मतदान केंद्र का क्षेत्र	क्या वहां अलग से प्रवेश और निकास है, यदि नहीं तो क्या कारण है ं	मतदान क्षेत्र	क्या सभी मतदाताओं या केवल स्नातकों या केवल शिक्षकों के लिए एक ही है	कुल नियत मतदाताओं की संख्या	मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं को अधिकतम दूरी तय करनी है	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्तम्भ 1- मतदान केन्द्रों की क्रम संख्याएं निर्वाचन क्षेत्र के उतर-पश्चिम ी कोने से तर्कसंगत आधार पर आरंभ होनी चाहिए और टेढ़ी-मेढ़ी रीति से निर्वाचन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी कोने की ओर अग्रसर होना चाहिए।

स्तम्भ 2- निर्दिष्ट स्थान उस क्षेत्र का नाम है जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है। अस्थायी संरचनाओं की दशा में, अस्थायी संरचना के स्थान के लिए चुने गए ठीक-ठीक स्थल का वर्णन स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

स्तम्भ 3- भवन का पूरा नाम स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक मतदान केंन्द्र एक ही भवन में स्थित है, वहां स्थान को "नॉर्थ विंग", "साउथ विंग" आदि का उल्लेख करके स्पष्ट किया जाना चाहिए।

स्तम्भ 4- मतदान केन्द्र के क्षेत्र को वर्ग मीटर में दर्शाया जाना चाहिए। जहां पर अपरिहार्य स्थित है, वहां 20 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र वाले कक्षों/हॉल में मतदान केन्द्र बनाने के कारण को प्रपत्र के "अभ्युक्तियां" स्तम्भ में उपयुक्त प्रविष्टि के सामने बताया जाना चाहिए।

स्तम्भ 5- यदि पृथक प्रवेश और पृथक निकास हैं तो 'हां' लिखा जाना चाहिए। अन्यथा पृथक प्रवेश और पृथक निकास वाले कक्ष/हॉल में मतदान केन्द्र को नहीं बना पाने के कारण दिए जाने चाहिए।

स्तम्भ 6- गांवों, प्रखण्डों, वार्डों, गलियों, स्थ ानों के नाम, मकान संख्या दी जानी चाहिए। यदि नामावली के भाग विभाजित हों और मतदाताओं को भिन्न-भिन्न मतदान केंद्रों के लिए निर्दिष्ट किया गया हो, तो इस प्रकार विभाजित किए गए प्रत्येक भाग में मतदाताओं की क्रम संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्तम्भ 7- यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्या मतदान केन्द्र केवल स्नातकों के लिए या केवल शिक्षकों के लिए या स्नातकों और शिक्षकों दोनों के लिए है।

स्तम्भ 8- इस स्तम्भ में निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम रूप से प्रभावित निर्वाचक नियमावली के अनुसार मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदाताओं की कुल संख्या के संबंध में चाहिए।

स्तम्भ 9- इस स्तम्भ में मतदान क्षेत्र के दूरस्थ कोने स े मतदाताओं द्वारा तय की गई दूरी को इंगित किया जाना चाहिए।

स्तम्भ 10- जहां भी किसी मतदान केन्द्र के स्थान, भवन या क्षेत्र या निर्दिष्ट किए गए निर्वाचकों की संख्या या मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी, आदि के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना व्यवहार्य नहीं है, वहां इस स्तंभ में, किन्हीं अन्य ऐसी अभियुक्तियों, जो जिला निर्वाचन अधिकारी दर्ज कराना चाहता हो, के अतिरिक्त इसके विस्तृत कारण आयोग के विचारार्थ दिए जाने चाहिए।

निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की औसत संख्या प्रत्येक सूची के अंत में निरपवाद रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

इस सूची के साथ, एक मानचित्र साथ होना चाहिए जो निम्नलिखित के माप को दर्शाएगाः-

(i) सभी गांव और शहर में वार्ड या स्थान, जिसमें मानचित्र पर ही ऐसे प्रत्येक गांव या स्थान में मतदाताओं की संख्या दी गई हो तथा जहां यह सुविधाजनक या व्यवहार्य नहीं हो वहां मानचित्र के साथ संलग्न विवरण में दी जानी चाहिए;

(ii) मतदान केन्द्र की अवस्थिति के लिए चुना गया स्थान;

(iii) प्रत्येक केंद्र के लिए शामिल किया गया क्षेत्र; और

(iv) व्यवस्थित रीति से दर्शाई गई प्रत्येक मतदान केन्द्र की क्रम संख्या, जो अधिमानतः निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी कोने से आरंभ हो टेढ़ी-मेढ़ी रीति से अग्रसर होते हुए दक्षिण-पूर्वी कोने में समाप्त हो।

सूची में संक्षिप्तियों का प्रयोग प्रतिबंधित है।

यदि सूची में भवन आदि का वर्णन करने के लिए किसी स्थानीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इनको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

****

अनुलग्नक-IX

[अध्याय-13, पैरा 13.4.3]

--------------------विधान परिषद

मतदान केंद्रों की सूची

-------------------- राज्य के -------------- जिला में स्थानीय प्रधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र हेतु

क्रं स.	मतदान केंद्र की अवस्थ‍िति‍	भवन जिसमें यह अवस्थित होगा	स्थान‍ीय प्राधिकरणों के नाम जिनके मतदाता मत देने के पात्र होंगे	कुल निर्दिष्ट मतदाताओं की संख्या	मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मसौदा सूचियों की तैयारी से संब‍ंधित पूर्वगामी पैराग्राफ में अन्य सभी अनुदेशों, सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए ऐसी मसौदा सूचियों का प्रकाशन, राजनैतिक दलों के साथ परामर्श, आदि, इस तरह की सूचियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के पास अनुमोदन के लिए अग्रेषण और अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों के प्रकाशन हेतु स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सूची तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू हो‍ंगी।

अनुलग्नक-X

[अध्याय-13, पैरा 13.3.7]

अनुलग्नक-II-एल

आदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक काउंसिल निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसके द्वारा प्रदान किए गए मतदान केंद्रों की सूची को आयोग की पिछली मंजूरी के साथ, निरीक्षण के लिए इसकी एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराके और संलग्न किए गए प्रपत्र में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा।

(क) अपने कार्यालय में; और

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में।

जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे निम्नलिखित स्थानों जैसा वह उचित समझें, पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध, संलग्न प्रपत्र में नोटिस के साथ सूची के प्रासंगिक भागों की एक प्रति भी, जहां तक व्यवहार्य हो, बनाएगाः

(i) कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/प्रमंडलीय मजिस्ट्रेट/राजस्व प्रमंडलीय अधिकारियों/न्यायधीश और मुंसिफ अदालतें/प्रांत अधिकारी/तहसीलदार/अमीलदार/जिला बोर्ड/नगरपालिका समिति/अधिसूचित क्षेत्र समिति/उप-तहसीलदार/उप-रजिस्ट्रार/पुलिस स्टेशन/मौज़दार या सरपंच या संघ पंचायत घरों/विश्वविद्यालयों के कार्यालय में:

(ii) शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र के मामले में उस निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में जो किसी माध्यमिक विद्यालय के मानक से कम नहीं हो; और

(iii) इस तरह के अन्य स्थानों में ऐसे अन्य तरीके से जैसा वह आवश्यक तथा उपयुक्त समझे।

****

अनुलग्नक-XI

[अध्याय-13, पैरा 13.3.7]

अनुलग्नक-II-एम

मतदान केंद्रों की सूची के प्रकाशन का नोटिस

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 के उपबंधों, के अनुसरण में, मैं -------------------------, जिला निर्वाचन अधिकारी, ------------ राज्य के ---------------- निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा मतदान क्षेत्रों अथवा मतदाताओं के प्रत्येक समूह के सामने उल्लिखित संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र उपलब्ध कराता हूं।

जिला निर्वाचन अधिकारी

---------- निर्वाचन-क्षेत्र

दिनांकः ---------------

****

अक्सर पूछे जाने वाले

प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1. मतदान केंद्र/मतदान बूथ क्या है?

उ.:- मतदान केन्द्र वह स्थान है जहां मतदान के दिन निर्वाचकों द्‌वारा अपना मत डालने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। निर्वाचक नामावलियों के किसी एक भाग में शामिल सभी मतदाताओं को एक विशिष्ट मतदान केंद्र से संबद्‌ध किया जाता है। वर्तमान में, मतदान के लिए निर्धारित सभी स्थानों, यदि वे एक ही भवन में स्थित हों तो भी उन्हें मतदान केंद्र कहा जाता है।

प्र. 2. नया मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

उ.:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), आयोग के पूर्व अनुमोदन से नया मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए प्राधिकृत है। हालांकि, आयोग को मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भेजने से पूर्व, डीईओ को जनता से विनिर्दिष्ट तिथि तक आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, को आमंत्रित करते हुए और राजनैतिक दलों से परामर्श करके मतदान केंद्रों की मसौदा सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, डीईओ मतदान केंद्रों के प्रारूप प्रस्ताव को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के माध्यम से इसके अनुमोदन हेतु निर्वाचन आयोग को भेजता है। एक बार निर्वाचन आयोग द्‌वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर, अनुमोदित मतदान केंद्रों की ऐसी सूची को डीईओ द्‌वारा अंतिम प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

प्र.3. जिला निर्वाचन अधिकारी द्‌वारा नए मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए बुनियादी मापदंड क्या है?

उ. :- नए मतदान केंद्रों को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य मापदंड निम्नानुसार हैः-

- यदि एक गांव में 300 से अधिक निर्वाचक हैं और मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है तो नया मतदान केंद्र प्रस्तावित किया जा सकता है।
- यदि अतिसंवेदनशील मानचित्रण के मद्‌देनज़र ऐसा करना आवश्यक हो।

- यदि बड़ी संख्या में आवासीय इकाइयों के साथ एक नई कॉलोनी विकसित हुई है तो नया मतदान केंद्र सृजित किया जा सकता है।
- किसी मतदान केंद्र के लिए समनुदेशित मतदान क्षेत्र सघन होना चाहिए।

प्र.4. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग से आप क्या समझते है?

उ.:- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार, किसी निर्वाचक नामावली को सुविधाजनक 'भागों' में विभाजित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का एक 'भाग' एक चिह्नित मतदान केंद्र के साथ किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही सृजित भौगोलिक रूप से परिभाषित और चिह्नित मतदान क्षेत्र से मेल खाता है।

प्र.5. क्या निर्वाचक नामावली के एक भाग और किसी मतदान केंद्र के बीच कोई संबंध है?

उ.:- निर्वाचक नामावलियों को मतदान केंद्र-वार तैयार किया जाता है और निर्वाचक नामावली के एक भाग में शामिल निर्वाचकों को एक समान और संगत मतदान केंद्र संख्या वाले मतदान केंद्र निर्दिष्ट किए जाते हैं।

प्र.6. क्या भाग सं. और संगत मतदान केंद्र को विनिर्दिष्ट संख्या एक समान है?

उ.:- निर्वाचक नामावली के भाग की क्रम संख्या और संगत मतदान केंद्र की क्रम संख्या एकसमान संख्या होती है। दूसरे शब्दों में, निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 1 में शामिल निर्वाचकों को मतदान केंद्र संख्या 1 समुनदेशित किया जाएगा और आगे इसी प्रकार।

प्र.7. किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से आप क्या समझते हैं?

उ.:- निर्वाचक नामावली, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर साधारणतः निवास करने वाले निर्वाचकों के विवरणों जैसे नाम, आयु, लिंग, रिश्तेदार का नाम, एपिक संख्या आदि को शामिल करने वाली एक सूची है। निर्वाचक नामावलियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारियों द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार तैयार किया जाता है और अनुरक्षित रखा जाता है।

प्र.8. क्या मतदान केंद्र को मतदान क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जा सकता है?

उ.:- प्रायः मतदान केंद्रों को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित भाग के मतदान क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाता है, परंतु अपवादात्मक मामलों में, मतदान क्षेत्र के भीतर उपयुक्त भवनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण मतदान केंद्रों को मतदान क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जा सकता है। मतदान केंद्रों को सदैव निर्वाचकों की सुविधा को देखते हुए स्थापित किया जाता है।

प्र.9. मतदान केंद्र को विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले निर्वाचकों की अधिकतम संख्या क्या है?

उ.:- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 5(4) के अनुसार, नामावली के किसी भाग में शामिल किए गए नामों की संख्या सामान्यतया 2000 से अधिक नहीं होगी। हालांकि, आयोग ने निर्धारित किया है कि आदर्श स्थिति में किसी मतदान केंद्र क्षेत्र में 1500 से अधिक निर्वाचक नहीं होने चाहिए।

प्र.10. क्या किसी मतदान केंद्र में निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या की कोई सीमा है?

उ.:- विधि में ऐसी कोई सीमा नहीं प्रदान की गई है। हालांकि, आयोग ने अनुदेश दिया है कि 300 से अधिक मतदाताओं वाले प्रत्येक गांव के लिए एक मतदान केंद्र प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वहां इसके लिए उपयुक्त भवन हो। हालांकि, दूर-दराज के क्षेत्रों में, आयोग ने एकल परिवार अथवा एकल मतदाता तक के लिए भी मतदान केंद्र प्रदान करने का प्रयास किया है।

प्र.11. क्या मतदान केंद्र को निजी भवन में स्थापित किया जा सकता है?

उ.:- आयोग ने अनुदेश दिए हैं कि मतदान केंद्र सरकारी/अर्ध-सरकारी अथवा सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थानों में स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्लभ मामलों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले निजी भवन, मतदान केंद्र के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। मतदान शुरू होने से कम से कम 24 घंटे पहले और मतदान पूरा होने तक अपेक्षित मानकों को पूरा करने वाले ऐसे रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में निजी भवन होना चाहिए।

प्र.12 वे कौन से स्थान हैं जहां मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाती है?

उ.:- जैसा कि ऊपर कहा गया है, मतदान केंद्रों के प्रारूप के साथ-साथ अंतिम सूची, संबंधित डीईओ और ईआरओ के कार्यालयों में उपलब्ध होती है और साथ ही, इन्हें डीईओ तथा सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है। मतदान केंद्रों के प्रारूप के

साथ-साथ अंतिम सूची को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों और निर्वाचन में खड़े अभ्यर्थियों के साथ निःशुल्क साझा किया जाता है। ऐसी सूचियां विक्रय हेतु डीईओ/ईआरओ के कार्यालयों में भी उपलब्ध होते हैं।

प्र.13. मतदान केंद्र के औचित्य-स्थापन का क्या अर्थ है?

उ.:- निर्वाचकों की संख्या में होने वाले निरंतर परिवर्तन और अन्य विभिन्न परिवर्तनों जैसे मौजूदा भवनों की स्थिति में गिरावट, इलाके में अधिक उपयुक्त भवनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित की जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं की स्थिति, भौगलिक स्थितियों में बदलाव, कानून और व्यवस्था की स्थिति के मामले में मौजूदा मतदान केंद्रों का इतिहास आदि, को देखते हुए, समय-समय पर मौजूदा मतदान केंद्रों की समीक्षा की जाती है, ताकि किसी भी निर्वाचन के सुगम संचालन को सुनिश्चित किया जा सके और समीक्षा के इसी कार्य को मतदान केंद्रों का औचित्य-स्थापन कहा जाता है।

प्र.14 सहायक मतदान केंद्र क्या होते हैं?

उ.:- सहायक मतदान केंद्रों को निम्नलिखित संभावित परिस्थितियों में मौजूदा (वास्तविक) मतदान केंद्रों को दो भागों/तीन भागों में विभाजित करके बनाया जाता है:-

(क) यदि निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के बाद यह बात संज्ञान में आती है कि मतदान क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है और मौजूदा मतदान केंद्र में निर्वाचकों को संभालना नहीं होगा।

(ख) यदि निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निर्वाचन/उप-निर्वाचन की अचानक घोषणा की जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान केंद्रों के यादृच्छिकीकरण के कार्य के लिए समय नहीं है तथा मौजूदा निर्वाचक नामावली के आधार पर निर्वाचन का संचालन किया जाना अपेक्षित है। जहां तक व्यवहार्य हो, सहायक मतदान केंद्रों को वास्तविक (प्रमुख) मतदान केंद्र वाले भवन या परिसर में ही बनाया जाना चाहिए।

प्र.15 संवेदनशील मतदान केंद्र क्या है?

उ.:- पूर्व के निर्वाचनों में हुई हिंसा की घटनाओं के पिछले इतिहास, कमजोर वर्गों के मतदाताओं को भयभीत करना, असामान्य रूप से किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में अधिक मतदान होना आदि, जैसे मापंदडों के आधार पर निर्वाचन से पहले किसी संवेदनशील मतदान केंद्र की पहचान की जाती है। आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी मतदान केंद्र, जहां पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान डाले गए मतों का प्रतिशत 90% से अधिक था और जहां 75% से अधिक मत किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े थे, की पहचान संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में की जाएगी।

प्र.16. मोबाइल मतदान केंद्र क्या है?

उ.:- कभी-कभी निर्वाचन आयोग, अलग-अलग क्षेत्रों में बसे मतदाताओं को देखते हुए कुछ गांवों के लिए मोबाइल मतदान केंद्र प्रदान करता है ताकि निर्वाचकों को उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए लम्बी दूरी की यात्रा न करनी पड़े। मतदान दल एक पूर्व अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार मतदान के दिन वाहन से गांव-गांव जाता है और फिर मतदान समाप्ति के निर्धारित समय तक अंतिम गंतव्य पर रूकता है, जहां वे सभी मतदाता जो अपने गांव तक मोबाइल दल की यात्रा के दौरान मतदान नहीं कर सके, वे आकर मत डाल सके।

प्र.17. आदर्श मतदान केंद्र क्या है?

उ.:- निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र प्रणाली को और महत्व देने तथा मतदाता के लिए मतदान के सम्पूर्ण अनुभव को सुखद और समृद्ध बनाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र की अवधारणा पेश की है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण निर्धारक तथ्य मतदान के दिन मतदान केंद्र पर भवन की भौतिक संरचना, वहां उपलब्ध सुविधाओं, उन्नत कतार प्रबंधन और मतदान कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के व्यवहार के संबंध में मतदाता का वास्तविक अनुभव से इसका महत्व बढ़ेगा।

प्र.18. सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) क्या हैं, जो मतदान केंद्र पर होनी चाहिए?

उ.:- आयोग के निदेशानुसार, निम्नलिखित सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिएः-

क) रैम्प की व्यवस्था

ख) पेयजल की व्यवस्था

ग) पर्याप्त फर्नीचर

घ) उपयुक्त प्रकाश

ड़) सहायता डेस्क

च) उपयुक्त संकेतक

छ) शौचालय

ज) दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैम्प की व्यवस्था

उपर्युक्त के अलावा,

(i) मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने वाले निर्वाचकों के लिए धूप और बारिश से बचाव हेतु मतदान केंद्र पर शेड (छांव) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ii) मतदान केंद्र सामान्य तौर पर कम से कम 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र में भूतल पर होना चाहिए और इसमें विशिष्ट तौर पर प्रवेश तथा निकास के उद्देश्य से कम से कम दो द्वार होने चाहिए ताकि मतदान के समय भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

प्र.19. मतदान केंद्र पर महिला, वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की जाती है ं?

उ.:- निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि वृद्ध/अशक्त निर्वाचकों के आने-जाने में सहूलियत हेतु उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, मतदान केंद्र को किसी भवन के भ ूतल पर स्थापित किया जाना चाहिए। वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगों की श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं को बिना कतार में खड़े हुए मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए।

प्र.20. मतदान केंद्रों पर 'पर्दानशी ं महिलाओं' के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं?

उ.:- आयोग ने निदेश दिया कि यदि किसी मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त संख्या मे ं 'पर्दानशी ं' (बुर्का-पहने) महिला निर्वाचकों को समनुदेशित किया जाता है, तो पीठासीन

अधिकारी को उनकी पहचान के लिए और निजता, गरिमा और शालीनता का समुचित सम्मान करते हुए, एक अलग घिरे स्थान में किसी महिला मतदान अधिकारी द्वारा बाएं हाथ की तर्जनी/उंगली पर अमिट स्याही लगाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ऐसे विशेष घेरेदार स्थान बनाने के लिए, पीठासीन अधिकारी स्थानीय रूप से उपलब्ध लेकिन बिल्कुल सस्ती उपकरणों और स्थानीय कौशल का उपयोग कर सकते हैं जैसे चारपाइयां या कपड़े जैसे कि चादरों का उपयोग।

प्र.21. क्या निर्वाचनों के समय पर मतदान केंद्र का स्थान बदला जा सकता है?

उ.:- यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वर्तमान मतदान का भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है या यदि आयोग के संज्ञान में यह आता है कि मतदान केंद्र के लिए मूलतः अनुमोदित निजी भवन या स्थल का मालिक बाद में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी बन गया है अथवा उसे किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए प्रबल सहानुभूति है, तो मतदान केंद्र के स्थान को निर्वाचन के समय बदला जा सकता है।

प्र.22. ऐसी कौन-कौन सी स्थिति है जिसमें निर्वाचन आयोग मतदान के लिए अस्थायी मतदान केंद्र स्थापित कर सकता है?

उ.:- कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे कि प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था की समस्याओं में, निर्वाचन आयोग थोड़े समय के लिए पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र के स्थान से दूर, मतदान क्षेत्र के अंदर या बाहर अस्थायी मतदान केंद्रों का अनुमोदन कर सकता है।

प्र.23. आमतौर पर, मतदान के संचालन के लिए किसी मतदान केंद्र पर कितने मतदान अधिकारी को कार्य सौंपे जाते हैं?

उ.:- लोक सभा/विधानसभा के लिए एकल निर्वाचन में, एक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी होते हैं, जबकि एक साथ होने वाले निर्वाचनों में मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और पांच मतदान अधिकारी होते हैं।

प्र.24. मतदान अधिकारियों में से प्रत्येक के क्या उत्तरदायित्व हैं?

उ.:- आमतौर पर, एक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी होते हैं। पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा और उसकी जिम्मेदारी निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना है।

दूसरा पीठासीन अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान किए जाने के बाद, दूसरा पीठासीन अधिकारी निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएगा। दूसरा पीठसीन अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर (फॉर्म 17क में) का भी प्रभारी होगा। वह उन निर्वाचकों के उचित खाते को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान स्थापित कर ली गई है और जो उस रजिस्टर में (दर्ज) मतदान केंद्र पर मतदान करते हैं।

तीसरा मतदान अधिकारी वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह कंट्रोल यूनिट पर 'बैलेट' का बटन दबाकर मतदान कक्ष में रखे गए बैलेट यूनिट(टों) को सक्रिय करेगा। मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्वाचक को अनुमति देने से पहले, वह यह भी जांच और सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अभी भी स्पष्ट अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है।

पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का समग्र प्रभारी है और उसका प्रमुख कर्तव्य छद्म मतदान का संचालन सुनिश्चित कराना है तथा मतदान अभिकर्ताओं को दर्शाना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) कार्य करने की बिल्कुल सही स्थिति में है, उसे मतदान समय पर शुरू कराना और नियमित अंतराल पर बैलेट यूनिट की जांच करना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

प्र. 25. मतदान अभिकर्ता क्या है?

उ.:- मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनके हितों की देखरेख करने और मतदान केंद्र में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने के लिए मतदानकर्मियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है।

प्र.26. मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु क्या योग्यताएं हैं?

उ.:- किसी मतदान क्षेत्र या उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पड़ोसी मतदान केंद्र के सामान्य निवासी और निर्वाचक को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ताओं के पास सरकार या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र (एपिक) या कोई अन्य मान्यताप्राप्त पहचान उपकरण होना चाहिए जिसमें उसका/उसकी पहचान मौजूद हो।

प्र.27 मतदान केंद्र के भीतर मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की क्या व्यवस्था है?

उ.:- मतदान अभिकर्ताओं को इस तरह से बैठाया जाता है कि जब निर्वाचक मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो वे उसका चेहरा देख सकते हैं और उसे प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचाना जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। यह बेहतर होगा यदि मतदान अभिकर्ताओं को पहले मतदान अधिकारी के पीछे बैठने के लिए सीट दी जाए। जहां-कही भी प्रवेश के लिए दरवाजे की स्थिति के कारण यह संभव नहीं होता है, तो उन्हें मतदान अधिकारियों के ठीक सामने सीट दी जा सकती है। लेकिन उन्हें किसी भी स्थिति में ऐसी जगह पर नहीं बैठाना चाहिए, जहां उनके पास, मत दर्ज करते समय बैलेट यूनिट और मतदाता को देखने का मौका हो। ऐसे मतदान केंद्र के मामले में, जहां बहुत छोटा और अपर्याप्त स्थान हो अथवा जहां संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में असमान्य रूप से बड़ी संख्या में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति भी रहती है, ऐसे मामलों में जहां सभी मतदान अभिकर्ताओं को नहीं बैठाया जा सकता वहां नहीं रखा जा सकता है, वहां उचित सलाह के लिए प्रेक्षकों से संपर्क किया जाएगा और उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी।

प्र.28. मतदान केंद्रों के निकट अभ्यर्थियों द्वारा बूथों को स्थापित करने के संबंध में क्या अनुदेश हैं?

उ.:- आयोग के आदेशानुसार निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी मतदान केंद्र के निकट अपना निर्वाचन बूथ स्थापित कर सकता है, लेकिन वह ऐसा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर, मतदाताओं को उनके नाम का पता लगाने में मदद करने के लिए कर सकता है।

प्र.29 मतदान केंद्र के भीतर की गई वीडियोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी पर निर्वाचन आयोग के क्या अनुदेश हैं?

उ.:- डिजिटल फोटोग्राफी की शुरूआत उच्चतम न्यायालय की सलाह पर की गई थी (2003 के नागरिक अपील संख्या 9228 में दिनांक 11.1.2015 का निर्णय-जनक भिंगम बनाम दास राय और अन्य), लेकिन मतदान की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होने दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से निदेश दिया है कि एक डिजिटल कैमरा वाले व्यक्ति को निम्नलिखित की तस्वीर लेनी होगीः

- एपिक/ निर्वाचन आयोग के अन्य अनुमोदित फोटो पहचान पत्र के बिना मत डालने आ रहे सभी निर्वाचकों की प्रवेश के तुरंत बाद उसी क्रम में फोटो ली जानी चाहिए, जिस क्रम में फॉर्म 17क में उनकी प्रविष्टि की गई है।

  अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जैसे किः

- मतदान शुरू होने से पूर्व छद्म मतदान और ईवीएम सीलबंद किए जाने की
- मतदान कक्ष की अवस्थिति की निर्धारण (पृष्ठभूमि को भी कवर करते हुए न्यूनतम 3 (तीन) तस्वीरें)

- मतदान केंद्र में तैनात सीपीएमएफ/राज्य पुलिस कर्मियों की उपस्थिति दर्शाते हुए
- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति की।
- एएसडी सूची के अनुसार चुनौती प्राप्त/टेंडर वाले मतों/लापता मतदाताओं के मामले में निर्वाचकों की तस्वीर;
- मतदान के निर्धारित समय के समाप्त होने पर बाहर इंतजार कर रहे मतदाताओं की और कतार में खड़े अंतिम मतदाता की
- सेक्टर अधिकारियों, प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचक पदाधिकारियों के आगमन की।

  उच्चतम न्यायालय के सुझाव के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि प्रेक्षक से परामर्श करके मतदान केंद्र के भीतर चल रही मतदान कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की जा सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा कि वीडियोग्राफी करते समय इससे मत की गोपनीयता भंग न हो रही हो मतलब, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कर रहे मतदाता की वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, सामान्य व्यवस्था और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतदान केंद्र के अंदर मीडियाकर्मियों या किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्र.30 मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के क्या कर्तव्य हैं?

उ. - आयोग ने सीपीएमएफ के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों को परिभाषित किया हैः-

(क) जहां कहीं भी सीपीएमएफ क्षेत्राधिकार के लिए अग्रिम रूप से पहुंचता है, वहां वह फ्लैग मार्च, प्वाइंट पेट्रॉलिंग और अन्य विश्वास बढ़ाने संबंधी गतिविधियों को चलाएगा।

(ख) मतदान की पूर्व-संध्या पर (मतदान से एक दिन पहले) सीपीएमएफ संबंधित मतदान केंद्रों पर अपनी तैनाती और नियंत्रण करेगा।

(ग) मतदान दिवस पर, सीपीएमएफ मुख्य रूप से मतदान केंद्रों की सुरक्षा और मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होगा। सीपीएमएफ दल के एक जवान को मतदान केंद्र के द्वार पर तैनात किया जाएगा (या तो स्थिर या चलायमान तरीके से), ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, मतदान केंद्र के भीतर चल रही कार्यवाहियों पर नज़र रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, सीपीएमएफ के कम्पनी कमांडर भी क्षेत्राधिकार बल के रूप में अपने संबंधित मतदान केंद्रों के क्षेत्रों में जाएंगे और मतदान केंद्रों से संबंधित (कैचमेंट) क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपाय करेंगे।

(घ) यदि किसी कारणवश सीपीएमएफ के क्षेत्राधिकार वाले मतदान केंद्र तक सीपीएमएफ नहीं पहुंचे हैं, तो मतदान शुरू नहीं होगा।

(ङ) मतदान पूरा होने के बाद, मतदान किए हुए ईवीएम और पीठासीन अधिकारियों को स्वागत (रिसेप्शन) केंद्र तक सीपीएमएफ के दल द्वारा सुरक्षित ले जाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम में प्रेक्षक के साथ परामर्श करके इस संबंध में विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा।

(च) सीपीएमएफ, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा, जहां मतदान किए हुए ईवीएम का भंडारण होता है और उसे मतगणना दिवस तक वहां रखा जाता है।

प्र.31. किस प्रावधान के अंतर्गत, राज्य सभा के निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र बनाया जाता है?

उ.:- 1951 अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन में, मतदान उस स्थान पर कराया जाएगा जो स्थान निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। मतदान केंद्र सामान्य रूप से विधान सभा भवन की परिसीमा में निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्र.32. राज्य सभा के लिए निर्वाचन में निर्वाचक कौन होते हैं?

उ.:- राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन 1950 अधिनियम के अनुच्छेद 80(5) और इसकी धारा 27क से 27ञ तक में निर्धारित तरीके से किया जाता है।

प्र.33. राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र में राजनैतिक दलों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सीटों के बीच विभाजन की ऊंचाई क्या है?

उ.:- विभिन्न राजनैतिक दलों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं के सीटों के बीच विभाजन की ऊंचाई छह (06) फीट है।

प्र.34. राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है?

उ.:- रिटर्निंग अधिकारी राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में भी काम करता है।

प्र.35. राज्य सभा के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र में कितने मतदान पदधारीजन होते हैं?

उ.:- रिटर्निंग अधिकारी मतदान के संचालन में अपनी सहायता के लिए, जितनी संख्या में वह आवश्यक समझे, मतदान अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए उतनी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। सामान्य रूप से, इस उद्देश्य के लिए दो मतदान अधिकारी पर्याप्त होंगे। यदि, वह महसूस करता है कि निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक है, तो वह तीन मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है।

प्र.36 राज्य विधान परिषद के निर्वाचन में निर्वाचक कौन होते हैं?

उ.:- राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों और विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल होते हैं।

प्र.37. विधायकों द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन और राज्य सभा के लिए निर्वाचन के ब ीच में क्या अंतर है?

उ.:- राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन में मतदान उसी तरीके से होता है जैसा कि राज्य सभा के लिए निर्वाचन में मतदान का आयोजन होता है। उल्लेखनीय अंतर यह है कि (i) राज्य विधान परिषदों के लिए निर्वाचन के दौरान डाक पत्रों की गोपनीयता को सख्ती से बरकरार रखा जाएगा अर्थात विधायकों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचन के मामले में खुला बैलेट प्रणाली लागू नहीं होगा और (ii) राज्य विधान सभा के नामांकित सदस्य भी, यदि कोई हों, राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन में मत डालते हैं, जबकि केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्य सभा के लिए निर्वाचन में मत डालते हैं।

प्र.38. परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है?

उ:.- रिटर्निंग अधिकारी मतदान केंद्र उपलब्ध कराने और विधायकों द्वारा राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है, परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे या बड़े भाग को परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की एक पर्याप्त संख्या प्रदान करे। जहां एक निर्वाचन क्षेत्र दो जिलों तक फैला हुआ है, वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) यह तय करेगा कि किस जिले में निर्वाचन क्षेत्र का ज्यादा बड़ा भाग निहित है और उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र प्रदान करेगा जिसमें अन्य जिले में पड़ने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। हालांकि, जहां एक निर्वाचन क्षेत्र दो से अधिक ऐसे जिलों तक फैला हुआ है, जिसमें न तो पूरा और न ही निर्वाचन क्षेत्र का ज्यादा बड़ा हिस्सा किसी एक जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां प्रत्येक जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र उपलब्ध कराएगा।

****

"जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है और ऐसे उपबन्धित मतदान केंद्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमश: उपबन्धित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।"

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25)

यह सार-संग्रह निर्वाचन कार्मिकों, राजनैतिक दलों और आम लोगों के प्रयोग हेतु तैयार किया गया है।

अक्तूबर, 2020 दस्तावेज 1

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"कोई मतदाता न छूटे"